सत्यमेव जयते

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों

द्वारा

भारत में अल्पसंख्यक समुदायों

(मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन)

के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का संकलन

शिक्षा, कौशल और समान अवसर के माध्यम से सशक्तिकरण

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों

द्वारा

भारत में अल्पसंख्यक समुदायों

(मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन)

के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों

का

संकलन

सितम्बर, 2014

सत्यमेव जयते

Dr. NAJMA HEPTULLA
Minister of Minority Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

डा0 नजमा हेपतुल्ला
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
भारत सरकार

संदेश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए 29 जनवरी, 2006 को हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन शामिल हैं। मंत्रालय के अधिदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास हेतु व्यापक कार्यनीति, नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

मंत्रालय ने शैक्षणिक सशक्तिकरण, क्षेत्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक संस्थानों आदि के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजनाएं, कोचिंग योजनाएं, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण के लिए 'नई रोशनी', पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने के लिए 'जियो पारसी' तथा अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' जैसी बहुत सी योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए।

मंत्रालय का विचार है कि इन कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनता में इन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने की ज़रूरत है।

मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का एक नया "COMPENDIUM" प्रकाशित कर रहा है जो सरकार और लोगों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जानकारी के अंतर को पाटने के लिए प्रभावी औज़ार साबित होगी। केंद्र में, हम अच्छी गवर्नेंस के लिए मंत्रालय के कल्याण एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में आधारिक स्तर पर जानकारी पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुझे उम्मीद है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय आगे आयेंगे और इस "COMPENDIUM" का उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और विकास के लिए कोई कसर बाक़ी नहीं रखेगा।

जय हिंद!

Najma Heptulla

(नजमा हेपतुल्ला)

कार्यालयः 11वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 दूरभाषः 011–24364273–75 फैक्सः 011–24364276
Office: **11th Floor, B-1 Wing, Paryawaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 Tele: 011-24364273-75 Fax: 011-24364276**
Residence: **16, Teen Murti Lane, New Delhi - 110001 Tel.: 011-23016391, 23016436 Fax: 011-23010747**
Website:www.minorityaffairs.gov.in E-mail:ministerminority@gov.in

सत्यमेव जयते

विषय-वस्तु

भाग	अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – एक परिचय			1
I. शैक्षिक सशक्तीकरण	1	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	5
	2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	14
	3	मैरिट एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना (एमसीएम)	25
	4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)	36
	5	''नया सवेरा''–निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्धयोजना	37
	6	''नई उड़ान''–संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा मे चयनित अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना	39
	7	''पढ़ो परदेश'' – अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना	40
	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान		
	8	मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियाँ	45
	9	गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान	56
	10	नालंदा परियोजना– अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम	70
II. क्षेत्र विकास	11	प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम (15–पीपी)	79
	12	जन विकास कार्यक्रमः बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	86
III. महिला सशक्तीकरण	13	''नई रोशनी''–अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास योजना	121
IV. कौशल विकास	14	''सीखो और कमाओ''–अल्पसंख्यकों का कौशल विकास	127
V. आर्थिक सशक्तीकरण	15	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ऋण योजनाएं	135
	16	एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाएं	138
VI. वक्फ़ विकास	17	वक्फ़ अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण	143
	18	केंद्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	145
	19	राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको)	156
VII. समुदाय विशिष्ट कार्यक्रम	20	''जियो पारसी''	161
VIII. अनुसंधान/मीडिया	21	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं प्रचार सहित योजनाओं के विकास की समीक्षा	169
IX. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं के लिए स्वास्थ्य योजना	22	मौलाना आजाद सेहत स्कीम	187
X. मंत्रालय और उसके अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों के पते			198

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - एक परिचय

अल्पसंख्यक से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करने तथा समग्र नीति एवं नियोजन की रूपरेखा, समन्वय, मूल्याकंन एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विकास कार्यक्रमों एवं विनियामक की समीक्षा की दृष्टि से 29 जनवरी, 2006 में नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम 1992 के अंतर्गत आने वाले पाँच अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के कल्याण एवं विकास के लिए उत्तरदायी है।

यह मंत्रालय वर्तमान में डा0 नजमा हेपतुल्ला, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको), मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ), केंद्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) संगठन आते हैं। मंत्रालय के अधिदेश में शामिल हैं:

1. समग्र नीति, नियोजन, समन्वय, मूल्याकंन एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विकास कार्यक्रमों एवं विनियामक की समीक्षा।
2. कानून एवं आदेश संबंधी मामले को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।
3. भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय तथा भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित सभी मामले।
4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।
5. निष्क्रांत वक्फ़ संपत्ति अधिनियम,1950 (1950 का 31) के प्रशासन के तहत निष्क्रांत वक्फ़ संपत्तियों से संबंधित कार्य।
6. एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
7. पंत मिर्जा करार 1955 के तहत भारत में मुस्लिम मकबरों तथा पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम मकबरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श।
8. पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सवालों पर विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श।

सत्यमेव जयते

9. दान एवं धर्मार्थ संस्थाओं एवं धार्मिक दान संबंधी विषयों का विभाग के साथ निपटारा।

10. अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्थिति सहित अल्पसंख्यक संगठन, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान संबंधी मामले।

11. वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 तथा केंद्रीय वक्फ़ परिषद।

12. दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।

13. धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

14. न्यायमूर्ति सच्चर आयोग समिति संबंधी सभी मामले।

15. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम।

भाग-I

शैक्षिक सशक्तीकरण

अध्याय 1

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा I से X के छात्रों को प्रदान की जाती है।

❖ **पात्रता:**

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. छात्र के माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 1 (एक) लाख रु. से कम होनी चाहिए।

ii. छात्र को राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों / निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों / संस्था में अध्ययनरत् होना चाहिए।

iii. छात्रवृत्ति देना जारी रखा जाना पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर निर्भर है।

iv. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे छात्रों को इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

❖ **हकदारी:**

i. कक्षा VI से X तक के छात्रावासों में रहने वाले और छात्रावासों मे न रहने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 500 रु0 की दर से प्रवेश शुल्क।

ii. कक्षा VI से X तक के छात्रावासों में रहने वाले और छात्रावासों मे न रहने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष 350 / – रु0 की दर से शिक्षण शुल्क।

iii. किसी शैक्षिक वर्ष में कक्षा I से V तक के छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को अधिकतम 10 माह तक की अवधि तक प्रतिमाह 100 / – रु0 की दर से अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

iv. कक्षा VI से X तक के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रतिमाह 600 / – रु0 की दर से और छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को प्रतिमाह 100 / – रु0 की दर से अनुरक्षण भत्ता।

❖ 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

❖ मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप अपने जिला के स्कूल के प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या अल्पसंख्यकों के लिए प्रभारी अधिकारी से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

❖ सामान्यतः इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन द्वारा मार्च के महीने में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना

आवेदन पत्र का प्रारूप

केवल शासकीय प्रयोग के लिए

आवेदन की क्रम सं.	वर्ष	पाठ्यक्रम	क्या अनुमादित है

स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं

(आवेदक द्वारा भरा जाए)
भाग–1

1क नया या नवीकरण?

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)

उपनाम																				
प्रथम नाम																				
बीच का नाम																				

2. पिता का नाम

3. माता का नाम

सत्यमेव जयते

4. मूल निवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

5. पत्राचार के लिए पता

नाम																		
मकान सं.																		
मौहल्ला/गली																		
नगर/कस्बा/गाँव एवं डाकघर																		
जिला																		
राज्य																		
पिन कोड																		
दूरभाष सं., मोबाइल सं. यदि कोई हो																		
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																		

6. माता–पिता का पता

नाम																		
मकान सं.																		
मौहल्ला/गली																		
नगर/कस्बा/गाँव एवं डाकघर																		
जिला																		
राज्य																		
पिन कोड																		
दूरभाष सं., मोबाइल सं. यदि कोई हो																		
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																		

7. स्थायी पता

नाम																	
मकान सं.																	
मौहल्ला / गली																	
नगर / कस्बा / गाँव एवं डाकघर																	
जिला																	
राज्य																	
पिन कोड																	
दूरभाष सं., मोबाइल सं. यदि कोई हो																	
ई–मेल आईडी, यदि कोई हो																	

8. जन्मतिथि (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें)

दिन	दिन		मास	मास		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

9. पुरूष या महिला

10. राष्ट्रीयता

11. धर्म

12. शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा
(कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा का स्कूल / संस्थान / बोर्ड / परिषद	मुख्य विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत	श्रेणी / वर्ग / ग्रेड

13. पाठ्यक्रम का ब्यौरा जिसके लिए छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया है

(i) कक्षा का नाम

(ii) कक्षा की अवधि

(iii) शैक्षिक वर्ष

(iv) अंतिम बार शामिल कक्षा/शैक्षिक वर्ष

(v) अन्तिम परीक्षा में प्राप्तांक और प्रतिशतताः

(कक्षा–1 के छात्र के मामले में केवल आय का मानदंड लागू होगा)

14. आवास सहित स्कूल/संस्थान का ब्यौरा

(i) उस स्कूल/संस्थन का नाम, जहां प्रवेश लिया है

(ii) स्कूल/संस्थान का पता

15. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूरे अंक	अंकों का प्रतिशत

16. कुल वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क ..... रु.

(पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण जैसे प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, आदि, वापस की जाने वाली जमा राशि को छोड़कर)

क्र.सं.	मद	वार्षिक शुल्क
1		
2		
3		
4		
5		
6		
कुल		

17. छात्र के बैंक खाते का विवरण

(इन ब्यौरों की आवश्यकता, छात्रवृत्ति की मंजूरी के बाद तथा छात्रवत्ति राशि के वितरण से पहले होगी)

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)

(ii) बैंक का नाम

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) ..... राज्य ..... जिला ..... पिन .....

(iv) शाखा कोड सं.

(v) विगत वर्ष की छात्रवृत्ति के अनुसार रसीद जो स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(vi) बैंक खाता सं.
(..... शब्दों में)

(vii) बैंक खाते की प्रकृति ..... बचत/चालू

(viii) बैंक का एमआईसीआर कोड .....

(ix) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका –
ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो)

18. छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आयः _____ रु.

(वार्षिक आय के घोषणा पत्र का नमूना फॉर्म अनुबंध में दिया गया है, जिसे छात्र के माता–पिता द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। यदि माता–पिता/अभिभावक रोजगार में हैं तो नियोक्ता से आय का प्रमाणपत्र भी संलग्न करें)।

19. Documents enclosed with the application

19. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज

(i) पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित फोटोग्राफ

(ii) उपर्युक्त पैरा 12 में यथा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां

(iii) आय की घोषणा–स्वरोजगार में लगे माता–पिता/अभिभावक द्वार 10/–रू. के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र के रूप में या रोजगार में लगे माता–पिता/अभिभावक द्वारा नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र के रूप में

(iv) 10/–रू. के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर स्थायी निवास का प्रमाण

(v) पिछले वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की रसीद जो स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा पत्र–गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र/छात्रा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक समुदाय का है।

20. घोषणा

(i) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में दी गई सूचना सही है।

(ii) मैं इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूं।

(iii) मैं मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निबंधन शर्तों का पालन करूंगा।

(iv) मैं यह वचन देता हूं कि यदि किसी चरण में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी है या मैं दुराचरण का दोषी पाया जाता हूं अथवा मैं छात्रवृत्ति की निबंधन शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो कानून सम्मत दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे मंजूर की गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकेगा और मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की पूरी राशि वापस ली जाएगी अथवा मुझसे वसूल की जाएगी।

दिनांक : **छात्र के हस्ताक्षर**
स्थान :

भाग–II (स्कूल/संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जाएगा)

21. आवास सहित स्कूल/संस्थान का ब्यौरा

(i) उस स्कूल/संस्थान का नाम, जहां प्रवेश लिया है:
(ii) स्कूल/संस्थान का पता:
(iii) दूरभाष सं.:
(iv) फैक्स सं.:
(v) ई–मेल का पता:
(vi) यदि निजी संस्थान है तो स्कूल–संस्थान मान्यता प्राप्त है? यदि हाँ, तो मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम:

22. स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा किए जाने वाले सत्यापन/दी जाने वाली सूचना

(i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....सुपुत्र/सुपत्री श्री.....जो..... ..... स्कूल/संस्थान में शैक्षिक वर्ष.....के लिए.....कक्षा में दाखिल है, द्वारा उपरोक्त कालमों में भरी गई सूचना सही है।

(ii) छात्र/छात्रा, स्कूल/संस्थान के छात्रावासों में न रहने वाले या छात्रावास में रहता/रहती है।

या

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए छात्रावास में छात्र/छात्रा रहते/रहती है।

(iii) स्कूल/संस्थान में शैक्षिक वर्ष.....के लिए छात्र/छात्रा का नया प्रवेश हुआ है।

या

छात्र/छात्रा को शैक्षिक वर्ष ..... में ..... के लिए प्रोन्नति मिली है।

सत्यमेव जयते

23. स्कूल/कालेज/संस्थान के बैंक खाते का ब्यौरा (पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने के लिए)

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है):

(ii) बैंक का नामः

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) .....
..... राज्य ..... जिला ..... पिन

(iv) शाखा कोड संख्याः

(v) बैंक खाता संख्याः .....
(शब्दों में .....)

(vi) बैंक खाते की प्रकृतिः बचत/चालू

(vii) बैंक का एमआईसीआर कोडः .....

(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक अंतरण का तरीका –
ईसीए/आरटीजीएस/एनइएफटी/सीबीएस/कोड संख्या (यदि कोई हो):–

24. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/छात्रा ने वर्ष .....के लिए परीक्षा पास की है और .....प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा के अध्ययन के पाठ्यक्रम/या अध्ययन के स्कूल/संस्थान को नहीं बदला है, जिसके लिए वास्तव में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्ययन और/या स्कूल/संस्थान को बदल लिया है (जो लागू न हो उसे काट दें।)

दिनांकः
स्थानः

स्कूल/कालेज/संस्थान प्रमुख के
हस्ताक्षर मोहर सहित

माता–पिता/अभिभावक के आय का घोषणा पत्र
(नमूना)

मैं ..... जो ..... (छात्र का नाम) का (माता–पिता/अभिभावक) हूँ और जो ..... में पढ़ रहा है, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी स्रोतों से वार्षिक आय .....रूपए (शब्दों) ..... है।

मैं वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण में यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/असत्य है,तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्र को दिए गए सभी लाभ वापस लिए जा सकते हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः

(पिता/माता/अभिभावक)
आवासीय पता

अध्याय 2

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा XI के छात्रों से लेकर पीएच.डी के छात्रों को प्रदान की जाती है, जिसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

❖ पात्रता:

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई)/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध) में कक्षा XI और XII स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सरकारी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों और किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों/संस्थानों में अध्ययनरत होना चाहिए।

iii. छात्रवृत्ति देना जारी रखा जाना पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर निर्भर है।

iv. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे छात्रों को इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

❖ हकदारी:

इस योजना के तहत छात्रों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:

i. कक्षा XI से XII तक के छात्रावासों में रहने वाले एवं छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को अधिकतम 7000/– रू0 प्रतिवर्ष की दर से अथवा भुगतान किए गए वास्तविक प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क।

ii. कक्षा XI से XII स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रावासों में रहने वाले एवं छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को अधिकतम 10,000/– रू0 वार्षिक की दर से अथवा वास्तविक प्रवेश एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क।

iii. कक्षा XI और XII के तथा इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 380/– रू0 प्रतिमाह और छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को 230/– रू0 प्रतिमाह का अनुरक्षण भत्ता।

iv. स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 570/– रू0 प्रतिमाह और छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को 300/– रू0 प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता।

v. एम0फिल और पीएच0डी पाठ्यक्रमों के छात्रावासों में रहने वाले उन छात्रों (ऐसे शोध छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अध्येतावृत्ति न प्रदान की जाती हो) को 1200/– रू0 प्रतिमाह तथा छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को 550/– रू0 प्रतिमाह अध्येतावृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

- 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देने हेतु छात्र मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जा सकते हैं और सीधे ओनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली (ओएसएमएस) के माध्यम से अपने आवेदन ओनलाइन जमा करा सकते हैं।
- छात्रों द्वारा जिला के स्कूल के प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या अल्पसंख्यकों के लिए प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
- सामान्यतः इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा मार्च के महीने में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

केवल शासकीय प्रयोग के लिए **नया या नवीकरण**

आवेदन की क्र. सं.	वर्ष	पाठयक्रम	क्या अनुमोदित है

यहां पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं। स्वयं सत्यापन हस्ताक्षर का हिस्सा जो आधा फोटो पर हो और आधा आवेदन पर

1. पूरा नाम
(बड़े अक्षरों में)

उपनाम																		
प्रथम नाम																		
बीच का नाम																		

2. पिता का नाम/पति का नामः

3. माता का नामः

4. मूल निवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां से छात्र का संबंध हो)

5. आधार संख्या

(वैकल्पिक)

6. ईमेल पता

7. मोबाइल नंबर

8. पत्राचार के लिए पता

नाम																	
मकान सं.																	
मौहल्ला/गली																	
नगर/कस्बा/गाँव																	
एवं डाकघर																	
जिला																	
राज्य																	
पिन कोड																	

9. स्थायी पता (कृपया संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकरण से आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न करें (पता नहीं बदला है तो नवीकरण के मामलों के लिए प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है,)

नाम																	
मकान सं.																	
मौहल्ला/गली																	
नगर/कस्बा/गाँव																	
एवं डाकघर																	
जिला																	
राज्य																	
पिन कोड																	

10. **जन्मतिथि (कृपया प्रमाणपत्र संलग्न करें/नवीकरण के मामले में प्रमाणपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है)**

दिन	दिन		मास	मास		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

11. **पुरूष या महिलाः**

पुरूष	महिला

12. **धर्मः**

13. **राष्ट्रीयताः**

14. **मैट्रिक/एसएसएलसी/एसएससी के बाद से शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा (कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें (नवीकरण के मामले में प्रमाणपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं हैं)**

उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा का विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थन/परिषद	मुख्य विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत	श्रेणी/वर्ग/ग्रेड

15. पाठ्यक्रम का ब्यौरा जिसके लिए छात्रवृत्ती का आवेदन किया गया है:

(i) पाठ्यक्रम का नाम:

(ii) पाठ्यक्रम की अवधि:

(iii) शैक्षिक वर्ष:

16. कालेज/संस्थान का ब्यौरा:

(i) उस कालेज/संस्थान का नाम, जहां प्रवेश लिया है:

(ii) कालेज/संस्थान का पता:

(iii) दूरभाष संख्या:

(iv) फैक्स संख्या:

(v) ईमेल पता:

(vi) क्या कॉलेज/संस्था मान्यता प्राप्त है। यदि हां तो उस प्राधिकार का नाम दें जिसने संस्था को मान्यता दी है:

(vii) यह किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है/क्या इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है?

17. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए:

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूरे अंक	अंकों का प्रतिशत	प्रोन्नत, रोका गया हो या रोक लगाई गई हो

18. कुल वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क ..... रू. (रूपए शब्दों में)

(पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण वापस की जाने वाली जमा राशि को छोड़कर जैसे शिक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि)

क्र.सं.	मद	वार्षिक शुल्क
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	कुल	

19. छात्र के बैंक खाते का विवरणः

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)

(ii) बैंक का नाम

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) ..... राज्य ..... जिला ..... पिन

(iv) शाखा कोड सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(v) बैंक खाता सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(vi) बैंक खाते की प्रकृति ..... बचत/चालू

(vii) बैंक का एमआईसीआर कोड (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका – ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो):–

20. छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ..... रू. (रूपए शब्दों में)

(वार्षिक आय के घोषणा पत्र का नमूना फॉर्म अनुबंध में दिया गया है, जिसे छात्र के माता–पिता /अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। यदि माता–पिता/अभिभावक रोजगार में हैं तो नियोक्ता से आय का प्रमाणपत्र भी संलग्न करें)।

21. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज

(i) उपर्युक्त पैरा 11 में यथा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां। (नवीकरण आवेदन के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है)

(ii) आय की घोषणा गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र और नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र

(iii) स्थायी निवास का प्रमाण (यदि पते में कोई बदलाव नहीं है तो नवीकरण आवेदन के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है)

(iv) पिछले वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की रसीद जो संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

22. घोषणाः

(i) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में दी गई सूचना सही है।

(ii) मैं इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूं।

(iii) मैं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निबंधन शर्तों का पालन करूंगा।

(iv) मैं यह वचन देता हूं कि यदि किसी चरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मंजूरी प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी है या मैं दुराचरण का दोषी पाया जाता हूं अथवा मैं छात्रवृत्ति की निबंधन शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो कानून सम्मत दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे मंजूर की गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकेगा और मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की पूरी राशि वापस ली जाएगी अथवा मुझसे वसूल की जाएगी।

दिनांकः
स्थानः **छात्र के हस्ताक्षर**

सत्यमेव जयते

23. स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा किए जाने वाले सत्यापन/दी जाने वाली सूचनाः

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
सुपुत्र/सुपत्री/पत्नी श्री ..... जो .....
कॉलेज में शैक्षिक वर्ष ..... के लिए ..... पाठ्यक्रम में दाखिल है, द्वारा उपरोक्त कालमों में भरी गई सूचना सही है। छात्र/छात्रा, कॉलेज के छात्रावास में न रहने वाले या छात्रावास में रहता/रहती है।

छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिएः

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/छात्रा ने वर्ष .....के लिए परीक्षा पास की है और .....प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा के अध्ययन के पाठ्यक्रम/या अध्ययन और/या संस्थान को नहीं बदला है, जिसके लिए वास्तव में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्ययन और/या संस्थान को बदल लिया है (जो लागू न हो उसे काट दें।)

24. संस्थान/कालेज के बैंक खाते का विवरण (पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने के लिए):

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)

(ii) बैंक का नाम

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) .....

राज्य ..... जिला ..... पिन

(iv) शाखा कोड सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(v) बैंक खाता सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(vi) बैंक खाते की प्रकृति ..... बचत/चालू

(vii) बैंक का एमआईसीआर कोड (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो)

दिनांकः
स्थानः

संस्थान/कॉलेज/प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर सहित

सत्यमेव जयते

संलग्नक

पारिवारिक आय का घोषणा पत्र

मैं ..... जो ..... (छात्र का नाम) का (माता–पिता/अभिभावक) हूँ और जो ..... में पढ़ रहा है, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी स्रोतों से वार्षिक आय .....रूपए (शब्दों) ..... है।

मैं वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण में यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/असत्य है,तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्र को दिए गए सभी लाभ वापस लिए जा सकते हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः

(पिता/माता/अभिभावक)
आवासीय पता

(यह एक मसौदा प्रारूप है जिसमें कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा संशोधन किया जा सकता है।)

अध्याय 3

मेरिट-सह-साधन (एमसीएम) आधरित छात्रवृति

मेरिट–सह–साधन (एमसीएम) आधारित छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

❖ पात्रता:

मेरिट–सह–साधन (एमसीएम) आधारित छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. छात्र के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. छात्र को उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किया होना चाहिए।

❖ हकदारी:

इस योजना के तहत निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:

i. छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 10,000/– रु0 प्रतिवर्ष तथा छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को 5,000/– रु0 की दर से (केवल 10 माह के लिए) अनुरक्षण भता।

ii. छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के साथ–साथ छात्रावासों में न रहने वाले छात्रों को योजना के तहत सूचीबद्ध 85 संस्थानों के लिए पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति और अन्यों के लिए 20,000/– रु0 प्रतिवर्ष अथवा वास्तविक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

- ❖ 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
- ❖ एमसीएम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देने हेतु छात्र मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जा सकते हैं और सीधे ओनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली (ओएसएमएस) के माध्यम से अपने आवेदन ओनलाइन जमा करा सकते हैं।
- ❖ सामान्यतः इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा मार्च के महीने में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

सत्यमेव जयते

आवेदन पत्र का प्रारूप

मेरिट–सह–साधन

केवल शासकीय प्रयोग के लिए **नया या नवीकरण**

आवेदन की क्र. सं.	वर्ष	पाठयक्रम	क्या अनुमोदित है

यहां पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं। स्वयं सत्यापन हस्ताक्षर का हिस्सा जो आधा फोटो पर हो और आधा आवेदन पर

1. पूरा नाम
(बड़े अक्षरों में)

उपनाम																		
प्रथम नाम																		
बीच का नाम																		

2. पिता का नाम/पति का नामः

3. माता का नामः

4. **मूल निवास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां से छात्र का संबंध हो)**

5. **आधार संख्या**

(वैकल्पिक)

6. **ईमेल पता**

7. **मोबाइल नंबर**

8. **पत्राचार के लिए पता**

मकान सं.																		
मौहल्ला/गली																		
नगर/कस्बा/गाँव																		
एवं डाकघर																		
जिला																		
राज्य																		
पिन कोड																		

9. **स्थायी पता (कृपया संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकरण से आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न करें (पता नहीं बदला है तो नवीकरण के मामलों के लिए प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है,)**

मकान सं.																		
मौहल्ला/गली																		
नगर/कस्बा/गाँव																		
एवं डाकघर																		
जिला																		
राज्य																		
पिन कोड																		

10. जन्मतिथि (कृपया प्रमाणपत्र संलग्न करें/नवीकरण के मामले में प्रमाणपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है)

दिन	दिन		मास	मास		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

11. पुरूष या महिलाः

पुरूष	महिला

12. धर्मः

13. राष्ट्रीयताः

14. मैट्रिक/एसएसएलसी/एसएससी के बाद से शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा (कृपया राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें (नवीकरण के मामले में प्रमाणपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं हैं)

उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा का विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थन/परिषद	मुख्य विषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंकों का प्रतिशत	श्रेणी/वर्ग/ग्रेड

15. पाठ्यक्रम का ब्यौरा जिसके लिए छात्रवृत्ती का आवेदन किया गया है:

(i) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम:

(ii) पाठ्यक्रम की अवधि:

(iii) शैक्षिक वर्ष:

16. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश का आधार {प्रतियोगी परीक्षा योग्यता के आधार पर या अन्य आधार पर। कृपया ब्यौरा दें **(नवीकरण के मामलों के लिए भरे जाने की आवश्यकता नहीं है)}**

17. कालेज/संस्थान का ब्यौरा:

(i) उस कालेज/संस्थान का नाम, जहां प्रवेश लिया है:

(ii) कालेज/संस्थान का पता:

(iii) दूरभाष संख्या:

(iv) फैक्स संख्या:

(v) ईमेल पता:

(vi) क्या कॉलेज/संस्था मान्यता प्राप्त है। यदि हां तो उस प्राधिकार का नाम दें जिसने संस्था को मान्यता दी है:

(vii) यह किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है/क्या इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है?

18. छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए:

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूरे अंक	अंकों का प्रतिशत	प्रोन्नत, रोका गया हो या रोक लगाई गई हो

19. कुल वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क ..... रू. (रूपए शब्दों में)

(पाठ्यक्रम शुल्क का विवरण वापस की जाने वाली जमा राशि को छोड़कर जैसे शिक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि)

क्र.सं.	मद	वार्षिक शुल्क
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	कुल	

20. छात्र के बैंक खाते का विवरणः

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)

(ii) बैंक का नाम

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) ..... राज्य ..... जिला ..... पिन

(iv) शाखा कोड सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(v) बैंक खाता सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(vi) बैंक खाते की प्रकृति ..... बचत/चालू

(vii) बैंक का एमआईसीआर कोड (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक अंतरण का तरीका – ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो)

21. **छात्र के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय** ..... रू. (रूपए शब्दों में)

(वार्षिक आय के घोषणा पत्र का नमूना फॉर्म अनुबंध में दिया गया है, जिसे छात्र के माता–पिता /अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। यदि माता–पिता/अभिभावक रोजगार में हैं तो नियोक्ता से आय का प्रमाणपत्र भी संलग्न करें)।

22. **आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज**

(i) उपर्युक्त पैरा 11 में यथा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।

(नवीकरण आवेदन के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है)

(ii) आय की घोषणा गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र और नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र

(iii) स्थायी निवास का प्रमाण (यदि पते में कोई बदलाव नहीं है तो नवीकरण आवेदन के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है)

(iv) पिछले वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की रसीद जो संस्थान प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

23. **घोषणाः**

(i) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त में दी गई सूचना सही है।

(ii) मैं इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूं।

(iii) मैं मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए निबंधन शर्तों का पालन करूंगा।

(iv) मैं यह वचन देता हूं कि यदि किसी चरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मंजूरी प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी है या मैं दुराचरण का दोषी पाया जाता हूं अथवा मैं छात्रवृत्ति की निबंधन शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो कानून सम्मत दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त मुझे मंजूर की गई छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकेगा और मेरे द्वारा छात्रवृत्ति की पूरी राशि वापस ली जाएगी अथवा मुझसे वसूल की जाएगी।

दिनांकः
स्थानः **छात्र के हस्ताक्षर**

सत्यमेव जयते

24. स्कूल/संस्थान प्रमुख द्वारा किए जाने वाले सत्यापन/दी जाने वाली सूचनाः

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
सुपुत्र/सुपत्री/पत्नी श्री ..... जो .....
कॉलेज में शैक्षिक वर्ष ..... के लिए ..... पाठ्यक्रम में दाखिल है, द्वारा उपरोक्त कालमों में भरी गई सूचना सही है। छात्र/छात्रा, कॉलेज के छात्रावास में न रहने वाले या छात्रावास में रहता/रहती है।

छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिएः

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/छात्रा ने वर्ष .....के लिए परीक्षा पास की है और .....प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा के अध्ययन के पाठ्यक्रम/या अध्ययन और/या संस्थान को नहीं बदला है, जिसके लिए वास्तव में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अध्ययन और/या संस्थान को बदल लिया है (जो लागू न हो उसे काट दें।)

25. संस्थान/कालेज के बैंक खाते का विवरण (पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने के लिए)

(i) प्राप्तकर्ता का नाम (जैसा कि बैंक खाते में है)

(ii) बैंक का नाम

(iii) बैंक शाखा (पूरा पता) .....

राज्य ..... जिला ..... पिन

(iv) शाखा कोड सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(v) बैंक खाता सं. (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(vi) बैंक खाते की प्रकृति ..... बचत/चालू

(vii) बैंक का एमआईसीआर कोड (जहां आवश्यक हो वहां एक स्थान छोड़ दें)

(viii) बैंक में उपलब्ध इलैक्ट्रानिक अंतरण का तरीका – ईसीए/आरटीजीएस/एनईएफटी/सीबीएस/कोड सं. (यदि कोई हो)

दिनांकः
स्थानः

संस्थान/कॉलेज/प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर सहित

संलग्नक

पारिवारिक आय का घोषणा पत्र

मैं ..... जो ..... (छात्र का नाम) का (माता–पिता/अभिभावक) हूँ और जो ..... में पढ़ रहा है, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी स्रोतों से वार्षिक आय .....रूपए (शब्दों) ..... है।

मैं वचन देता हूँ कि यदि किसी चरण में यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/असत्य है,तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्र को दिए गए सभी लाभ वापस लिए जा सकते हैं और मेरे साथ मेरे बच्चे के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः

(पिता/माता/अभिभावक)

आवासीय पता

(यह एक मसौदा प्रारूप है जिसमें कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा संशोधन किया जा सकता है।)

पात्रता मानदंड

i) वे छात्र जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर मान्यता प्राप्त कॉलेज में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए दाखिला मिल गया है।

ii) वे छात्र जो बिना प्रतियोगी परीक्षा दिए बगैर मान्यता प्राप्त कॉलेज में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए दाखिला मिला हो, वे भी छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे। यद्यपि, ऐसे छात्रों के उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर अंक 50 प्रतिशत से कम न हों। इन छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर होगा।

iii) इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र को दूसरे पाठ्यक्रम के लिए अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा की सुविधाा नहीं मिलेगी।

iv) लाभार्थी/माता–पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) एक विशेष रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले छात्र के अध्ययन की जगह चाहे कहीं हो, वह केवल उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटा के तहत छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा।

आवेदन कैसे करें

यह योजना ओनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली (ओएसएमएस) के माध्यम से लागू की गई है। सभी छात्रों के लिए ओनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। छात्र इस मंत्रालय की छात्रवृत्ति पर बनी वेबसाइट www.momascholarship.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ओनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, छात्र आवेदन का प्रिंट आउट लेकर, उस संस्थान के माध्यम से जहां वे तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हों, उसे संस्थान/कॉलेज या राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन जो अल्पसंख्यक कल्याण के कार्य देखते हों के पास जमा करा दें। छात्र अपने आवेदन उसी राज्य में जमा कराएं जिस राज्य से वे आते हैं, न कि उस राज्य में जिस संस्थान में वह पढ़ रहा/रही हो।

अध्याय 4

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

इस योजना का उद्देश्य एम0फिल और पीएच0डी जैसी उच्चतर शिक्षा में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।

❖ **पात्रता:**

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के प्रावधानों के अध्यधीन अभ्यर्थी को किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए उस विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालिक एवं नियमित एम0फिल/पीएच0डी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए।

iii. अध्येतावृत्ति हेतु एक बार पात्र मान लिए गए अल्पसंख्यक समुदाय का छात्र किसी अन्य स्रोत जैसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे किसी अन्य निकाय से इस पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए कोई लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।

iv. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एम0फिल/पीएच0डी में अध्ययन हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/ राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) उत्तीर्ण होना अपेक्षित नहीं होगा।

v. जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) प्राप्त करने के लिए एम0फिल–पूर्व और पीएच0डी–पूर्व चरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंड लागू होंगे तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% का मानदंड लागू होगा।

❖ **हकदारी:**

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति की दर समय–समय पर संशोधन किए गए अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्येतावृत्ति के समतुल्य होगी।

- ❖ 30% अध्येतावृत्तियां शोध छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।
- ❖ कृपया जनवरी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विज्ञापन उसकी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर देखें।

अध्याय 5

''नया सवेरा''
नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल और क्षमता में वृद्धि का अवसर देकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र में नौकरियों और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश कराने में सहायता करना है।

❖ पात्रता:

इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. अभ्यर्थियों को वांछित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हक परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त किया होना चाहिए।

iii. किसी छात्र/छात्रा विशेष द्वारा इस योजना के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जाएगा, भले ही वह प्रतियोगी परीक्षा में कितनी ही बार शामिल होने का हकदार हो/की हकदार हो।

iv. कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत संख्या का 30 प्रतिशत छात्रा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाए।

❖ हकदारी:

इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी:

i. समूह 'क' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/– रु0 होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु0 प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु0 प्रति माह की दर से वृत्तिका।

ii. समूह 'ख' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/– रु0 होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु0 प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु0 प्रति माह की दर से वृत्तिका।

iii. समूह 'ग' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000/– रु0 होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु0 प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु0 प्रति माह की दर से वृत्तिका।

iv. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/– रु0 होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु0 प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु0 प्रति माह की दर से वृत्तिका।

v. निजी सेक्टरों में रोजगारों के लिए प्रशिक्षण हेतु कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/– रु0 होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु0 प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु0 प्रति माह की दर से वृत्तिका।

- वर्ष 2013–14 में अल्पसंख्यक छात्रों का ध्यान केंद्रित तैयारी के लिए इस योजना के तहत (भौतिकी,रसायन विज्ञान,जीव विज्ञान और/या गणित) में विज्ञान के साथ कक्षा 11 व 12 में नए घटक को जोड़ाः

  1. इस दौरान 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली में इस योजना के नए घटक को शुरू किया गया।

  2. राज्यों/संघ राज्य प्रशासन सहित सीबीएसई, आईसीएससी और अन्य बोर्डों सहित अन्य राज्यों/राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य बोर्डों को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बाद के वर्षों में निधियों की उपलब्धता के आधार पर अधिक से अधिक राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को शामिल किया जाएगा।

  3. आवासीय कोचिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के कारण किसी भी विश्वविद्यालय/मुख्याल में जिन संस्थाओं/स्कूलों/कालेजों के पास लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से छात्रावास की सुविधा के साथ विज्ञान धाराओं के संकाय होने पर उन कालेजों के बीच में से चयन समिति द्वारा संस्थाओं/स्कूलों/कालेजों का चयन किया जाएगा।

  4. छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और चयनित छात्रों को भी इस योजना के तहत निर्धारित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

  5. इस घटक के तहत चयनित छात्र के लिए सहायता राशि प्रति वर्ष 1,00,000/– रू. (रू. एक लाख) है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजना के ब्यौरे का विज्ञापन निकाला जाता है और प्रत्येक वर्ष कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in. पर जा सकते हैं।

- उम्मीदवारों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in. पर जाना चाहिए जहां मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के बारे में जानकारी लेकर, वे वहां दाखिला ले सकते हैं।

सत्यमेव जयते

''नई उड़ान''

संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक (prelims) परीक्षा मे चयनित अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना

- इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को, जिन्होने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी), तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, को प्रमुख परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत एक बार वित्तीय सहायता रू 50,000/– केवल राजपत्रित पद और रुपये 25,000/– अराजपत्रित पद के लिए दिये जाते हैं।
- प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद आवेदन सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है.
- कृपया अधिक जानकारी, नियम और शर्तों के लिए, मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in देखें।

अध्याय 7

"पढ़ो परदेश"

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

1. पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी। इसमें प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं बनायी और कार्यान्वित की जाएंगी। विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

3. विषयक्षेत्र

यह विदेश में स्नातकोत्तर और पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए ब्याज इमदाद की योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण स्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार घोषित किए गए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान करने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

4. ब्याज इमदाद हेतु शर्तें

(i) यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए लागू है। ब्याज इमदाद भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के साथ संबद्ध की जाएगी और केवल स्नातकोत्तर, एम. फिल, और पीएच.डी स्तरों के पाठ्यक्रमों में दाखिल विद्यार्थियों के लिए ही होगी।

(ii) इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को एक बार के लिए ही या तो स्नातकोत्तर, अथवा पीएच.डी स्तरों के लिए प्रदान की जाएगी। ब्याज इमदाद उन छात्रों को नहीं दी जाएगी जो किसी कारणवश बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें अनुशासनात्मक अथवा शैक्षिक आधार पर संस्थानों से निष्कासित किया गया है।

(iii) ऋण स्थगन अवधि के दौरान सामान्य क्रम में पूर्व–भुगतान पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर में 1% ब्याज की कमी का लाभ विद्यार्थियों को अंतरित किया जाएगा।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी योजना की किसी शर्त का उलंघन करता है तो इमदाद उसी समय बंद कर दी जाएगी।

(v) यदि कोई विद्यार्थी मिथ्या विवरण/प्रमाणपत्रों से इमदाद प्राप्त करता हुआ पाया जाता है, तो इमदाद तुरन्त वापिस ले ली/रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई इमदाद की राशि कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई के अलावा दांडिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(vi) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रदान नहीं की जाएगी यदि वह ऋण अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं।

(vii) विनिर्दिष्ट बैंक एक पृथक खाता और मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित रिकार्ड रखेंगे और यह मंत्रालय के अधिकारियों अथवा मंत्रालय और महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसियों द्वारा जाँच/लेखापरीक्षाओं के अधीन होंगे।

(viii) दूसरे वर्ष से ब्याज इमदाद की निधि विनिर्दिष्ट बैंक को, जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार पिछली निर्मुक्तियों के उपयोग प्रमाण पत्र के प्राप्त हो जाने पर जारी की जाएगी।

(ix) विनिर्दिष्ट बैंक वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगत ब्यौरे अपनी वेबसाईट पर डालेगा और योजना का कार्यान्वयन विनिर्दिष्ट बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसार करेगा।

(x) विनिर्दिष्ट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थी, जो अ॰जा॰/अ॰जा॰जा॰/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, उसी प्रयोजन के लिए अन्य स्त्रोतों से ब्याज इमदाद प्राप्त न कर पाएं।

(xi) विनिर्दिष्ट बैंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के परामर्श से पात्र विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद प्रोसेस करने और मंजूर करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(xii) इस योजना का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन अध्ययन पर आने वाला व्यय योजना के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(xiii) योजना की निबंधन एवं शर्तें, कार्य प्रणाली की बेहतरी और प्रभावी कार्यान्वयन प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यसक कार्य मंत्रालय के विवेकानुसार किसी भी समय बदली जा सकती हैं। तथापि, कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं होना चाहिए।

5. पात्रता

(i) विद्यार्थी ने पैरा–14 में दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में अनुमोदित स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी पाठ्यक्रमों में विदेश में दाखिला ले लिया हो।

(ii) उसने इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक ऐसोसिएसन (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत किसी विनिर्दिश्ट बैंक से ऋण प्राप्त किया हो।

6. आय की उच्चतम सीमा

(i) नियोजित अभ्यर्थी अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उसके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से प्रति वर्ष आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) आय प्रमाण पत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. अनुशंसात्मक समिति

(i) योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अनुशंसात्मक समिति, जिसमें वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि, नोडल बैंक के प्रतिनिधि तथा संयोजक के रूप में संबंधित निदेशक/उप सचिव होंगे, तिमाही आधार पर आवेदनों की समीक्षा करेगी और ब्याज इमदाद प्रदान करने की अनुशंसा करेगी।

(ii) आर्थिक इमदाद के लाभ यथा संभव अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में दिए जाएंगे।

(iii) बालिका अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

8. आर्थिक इमदाद की दर

(i) इस योजना के अंतर्गत, आईबीए की शैक्षिक ऋण योजना के तहत निर्धारित ऋण स्थगन की अवधि के लिए (अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि सहित रोजगार पाने के 6 माह और 1 वर्ष, जो भी पहले हो) आईबीए का शैक्षिक ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऋण स्थगन की अवधि के पूरा होने पर, बकाया ऋण राशि पर ब्याज विद्यार्थी द्वारा समय–समय पर संशोधित मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार दिया जाएगा।

(iii) ऋण स्थगन की अवधि के पश्चात मूलधन किस्तें और ब्याज अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

9. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां

योजना का कार्यान्वयन बैंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा किया जाएगा।

10. प्रशासनिक व्यय

(i) इस योजना के लिए वार्षिक बजट आबंटन के 3% से अनाधिक का प्रावधान प्रशासनिक और संबद्ध लागत अर्थात् कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों सहित कार्यालय उपकरणों, विज्ञापनों, कार्मिकों को लगाने के लिए मंत्रालय के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ii) इस प्रावधान का उपयोग योजना के मूल्यांकन और निगरानी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा काम में लगाई गई बाहरी ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से भी किया जाएगा। बैंक के प्रशासनिक लागत की हिस्सेदारी समझौता ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।

11. निगरानी एवं पारदर्शिता

(i) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय योजना के निष्पादन की निगरानी करेगा।

(ii) इस प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा एक वेब सक्षम निगरानी तंत्र का निर्माण किया जाएगा।

(iii) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक से तिमाही आधार पर वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिर्पोटों को मंत्रालय को भेजना अपेक्षित होगा।

(iv) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का वर्ष–वार, ब्यौरा संस्थान दर्शाते हुए, संस्थान का स्थान, कक्षा, लिंग, नया अथवा नवीनीकरण, स्थायी पता और माता–पिता का स्थायी पता रखेंगा।

(v) विनिर्दिष्ट नोडल बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर संगत वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे रखेगा।

12. अल्प संशोधन/परिवर्तन

बिना किसी वित्तीय विविक्षाओं के योजना में अल्प संशोधन/परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल का आश्रय लिए बिना किए जा सकते हैं।

13. मूल्यांकन

इस योजना के वित्तीय और वास्तविक निष्पादन की निगरानी समय–समय पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ख्याति प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन करके की जाएगी।

14. योजना के अंतर्गत शामिल 'सूचक विषय/विद्या विशेष (स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएच.डी के लिए)

उन विषयों/विद्या विशेष की सूची, जिन पाठ्यक्रमों में ब्याज इमदाद लिया जा सकता है, निम्नानुसार हैः

1. कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान,
2. वाणिज्य,
3. प्योर साइंस,
4. इंजीनियरिंग,
5. जैव प्रौद्योगिकी/जेनेटिक इंजीनियरिंग
6. औद्योगिक पर्यावरणीय इंजीनियरिंग
7. नैनो– टेक्नोलॉजी
8. मैरीन इंजीनियरिंग
9. पेट्रो–रसायन इंजीनियरिंग
10. प्लास्टिक प्रौद्योगिकी
11. क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग
12. मेकाट्रॉनिक्स
13. कृत्रिम आसूचना सहित आटोमेशन रोबोटिक्स
14. लेजर टेक्नोलॉजी
15. लो टेम्प्रेचर थर्मल डायनामिक्स
16. दृष्टिमिति
17. आर्ट रेस्टोरेशन टेक्नोलॉजी

18. डॉक एवं हार्बर इंजीनियरिंग
19. इमेजिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी
20. विकेन्द्रीकृत बिजली वितरण (सौर ताप के लिए) प्रणाली, ऊर्जा भंडारण इंजीनियरिंग, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा एफीसियेंट हैबिटेट सहित कम्पोजिट मैटेरियल इंजीनियरिंग
21. पैकेजिंग इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी
22. नाभिकीय अभियांत्रिकी
23. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साफ्टवेयर, साफ्टवेयर क्वालिती एस्योरेंस, नेटवर्किंग / कनेक्टिविटी इंजीनियरिंग, जोखिमपूर्व अथवा आपदा–प च दशाओं के तहत–संचार प्रणाली, मल्टी–मीडिया संचार सहित सूचना प्रौद्योगिकी।
24. औद्योगिक सुरक्षा इंजीनियरिंग
25. कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी
26. कृषि विज्ञान
27. मेडिकल
28. पुष्पकृषि एवं लैंडस्केपिंग
29. खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी
30. वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन
31. बागवानी
32. वनस्पति रोग विज्ञान
33. ऊर्जा अध्ययन
34. फार्म पावर और मशीनरी
35. पशु चिकित्सा विज्ञान
36. भूमि एवं जल प्रबंधन
37. वनस्पति प्रजनन और आनुवंशिकी
38. लघु ग्रामीण प्रौद्योगिकी
39. महासागर एवं वायुमंडलीय विज्ञान
40. एम.बी.ए
41. एम.सी.ए
42. *कोई अन्य विषय

* स्थिति की मांग के अनुसार समय–समय पर विषय मंत्रालय द्वारा जोड़े और हटाये जा सकते हैं।

अध्याय 8

मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियां

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ संगठन मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ) द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

एमएइएफ 10वीं पास मेधावी छात्राओं से सीधे आवेदन आमंत्रित करता है और 11वीं और 12वीं कक्षा में आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

❖ पात्रता:

इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं:

i. दसवीं की परीक्षा में 55% अंक।

ii. माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति पा रही छात्रा इस छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होगी।

❖ हकदारी:

दो वर्षों अर्थात् 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 6,000 / – रु0 वार्षिक की दर से अधिकतम 12,000 / – रु0 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेजे सकते हैं।
- किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार / शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है।
- निर्धारित कागजात / औपचारिकताओं के पूरा होने पर सफल उम्मीदवार के पते पर छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृति पत्र / चेक पंजीकृत डाक से सीधे ही भेजा जाएगा।
- विस्तृत ब्यौरे और आवेदन फार्म को डाउनलोड करने के लिए छात्र एमएइएफ की वेबसाइट अर्थात www.maef.nic.in पर लॉग ऑन करें। इसके अलावा सचिव (एमएइएफ) से दूरभाष सं. 011–23583788, 23583789 पर संपर्क किया जा सकता है

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 06 जुलाई,1989 को किया गया था। यह प्रतिष्ठान, एक स्वैच्छिक,अराजनैतिक तथा लाभ न कमाने वाला सामाजिक सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान का उद्देश्य, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषतः अल्पसंख्यकों में और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है।

योजना का शीर्षक

'अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना'

योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से संबंधित ऐसी मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा एवं सहायता देना जो वित्तीय सहयोग के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती है।

छात्रवृत्ति का प्रयोजन

यह छात्रवृत्ति स्कूल/कालेज की फीस पाठ्यक्रम की पुस्तकों, पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित लेखन सामग्री/उपकरणों की खरीद तथा आवास एवं भोजन प्रभारों के भुगतान पर होने वाले व्यय के लिए देय होगी।

महत्वपूर्ण

1. आवेदन फार्म प्रतिष्ठान की वेब साइट www.maef.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म की फोटोकॉपी भी उपयोग की जा सकती है। आवेदन के लिए फीस या किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।
2. छात्र द्वारा आवेदन फार्म प्रतिष्ठान को सीधे डाक द्वारा भेजा जा सकता है या प्रतिष्ठान कार्यालय में 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में सीधे दस्ती द्वारा भेजे जा सकते हैं।
3. किसी सेवा के लिए किसी को भी कोई प्रभार/शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना होता है।
4. निर्धारित कागजात/औपचारिकताओं के पूरा होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र/चेक सफल उम्मीदवार के पते पर सीधे पंजीकृत डाक से ही भेजा जाएगा।
5. किसी भी प्रश्न/सूचना के लिए केवल सचिव, मौलाना आजाद प्रष्ठिान को सीधे ही संपर्क किया जाना चाहिए।

पात्रता मानदंड/कौन आवेदन कर सकता है

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन) से संबंधित केवल लड़कियां ही

आवेदन कर सकती हैं।

2. किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (दसवीं कक्षा) परीक्षा में 55 प्रतिशत (कुल मिलाकर) अंक से कम नहीं प्राप्त किए हुए होने चाहिए। मान्यता प्राप्त 33 बोर्डों/परिषदों की सूची (संलग्नक–III) में दी गई है। यह आवेदन करने के लिए केवल योग्यता निर्धारण है और छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं देता है। ये राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों में से संबंधित राज्य के लिए नियत कोटे के आधार पर उच्च श्रेणी के आवेदकों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3. पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों सहित कुल आय 1,00,000/–रू. (केवल एक लाख रूपए) से कम होनी चाहिए।

- वेतनभोगी वर्ग के मामले में छात्रा को अपने माता–पिता/अभिभावक का पदनाम, वेतनमान, मूल वेतन तथा समग्र वेतन एवं घर पर लाए जाने वाले वेतन सहित पूरा विवरण देना चाहिए। केवल 'सेवा' लिख देना स्वीकार्य नहीं होगा। छात्रा को आवेदन के साथ अपने माता–पिता/अभिभावक के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत वेतन प्रमाण पत्र अथवा पेंशन प्रमाण पत्र (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में) संलग्न करना होगा।

- कृषि/बागवानी के मामले में छात्रा को सिंचित और असिंचित तथा उसके परिवार द्वारा अन्य भूमि संपदा के ब्यौरे एवं परिवार की कुल आय सहित कुल भूमि का उल्लेख करना होगा। माता–पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र (संलग्नक–II) के साथ साथ राजस्व प्राधिकारी से प्रमाण पत्र में इन ब्यौरों का उल्लेख भी किया जाएगा। व्यापारी वर्ग के मामले में छात्रा को परिवार के कुल कारोबार और कुल आय सहित स्पष्ट रूप से करोबार का नाम और प्रकार बताना होगा। इन ब्यौरों का उनके माता–पिता/अभिभावक द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र (संलग्नक–II) में भी उल्लेख करना होगा।

- अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त हुई आय का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, विशेषकर यदि छात्रा की माता भी रोजगार में है।

- यह नोट किया जाए कि छात्रा द्वारा आवेदन में दिए गए सभी आय प्रमाण पत्र एवं विवरणों की मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा आगे जांच की सकती है। तथ्यों में जानबूझ कर की गई गलती/तथ्यों के छुपाए जाने के मामले में यह प्रतिष्ठान, छात्रवृत्ति को रद्द/पहले से प्रदान/जारी की गई छात्रवृत्ति की वसूली करने के साथ–साथ कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है।

- माता–पिता/अभिभावक की ओर से ही आय प्रमाणप पत्र/शपथ पत्र (संलग्नक–II) दिया जाए तथा ये संबंधित गृह क्षेत्र से जारी हुए होने चाहिए। गृह क्षेत्र के अलावा जहां छात्र पढ़ रही है उस स्थान से जारी किया गया आय प्रमाणपत्र अथवा शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं होगा (फोटोकापी के मामले में यह राजपत्रित अधिकारी या संस्थान प्रमुख द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो)।

4. छात्रा का कक्षा XI में दाखिला पक्का होना चाहिए। कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी की गई दाखिला पर्ची जहां

इस समय पढ़ रही है और निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–I) में प्रधानाचार्य द्वारा की गई जांच भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेजी जानी चाहिए।

5. केंद्रीय सरकार या राज्य स्तर अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाखिला देने वाला विश्वविद्यालय / कालेज / संस्थान मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

6. यह केवल एक बार मिलने वाली छात्रवृत्ति है और स्थायी लाभग्राही के रूप में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए एक बार चयन की गई छात्रा को यह छात्रवृत्ति दुबारा प्रदान नहीं की जाएगी।

7. जो छात्रा किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही है वह इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

8. यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के बाद उस वर्ष 11वीं कक्षा में दाखिला लेने पर दी जाती है। बाद के वर्षों में दाखिला लेने वाली छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जिसका अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। 30 सितंबर के बाद प्राप्त हुए छात्रवृत्ति के आवेदन को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएइएफ इस मामले में डाक में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10. छात्रवृत्ति की कुल राशि 12,000 / – रू. (बारह हजार रूपए केवल) होगी जिसे 6,000 / – रू. (छह हजार रूपए केवल) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त का चेक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के बाद दिया जाएगा तथा दूसरी किस्त कक्षा XIवीं पास करने, और XIIवीं कक्षा में प्रवेश पाने के प्रमाण को प्रतिष्ठान के कार्यालय में जमा कराने के बाद दी जाएगी।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या. .....

(एमएइएफ द्वारा भरा जाएगा)

नोट: सभी कॉलम अवश्य भरे जाएं। जहां आवश्यक हो 'लागू नहीं' लिखें। अधूरे या समर्थित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी में देने होंगे। छात्रा का संपर्क दूरभाष संख्या देना अत्यंत आवश्यक है; वर्तमान स्कूल/कालेज का दूरभाष संख्या भी देना आवश्यक है।

स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रमाणित हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकएं

1) नाम

2) (क) पिता का पूरा नाम

(ख) अभिभावक का नाम

(ग) पिता/पति के संरक्षक न होने का कारण

3) जन्म स्थान एवं जन्म तिथि

4) राष्ट्रीयता और राज्य जिससे आवेदक संबंधित है

5) धर्म

6) आधार नं.

7) पूरा पता (क) वर्तमान–मकान नं.

मौहल्ला/गली

नगर/कस्बा/गाँव एवं डाकघर

जिला

राज्य पिन कोड

दूरभाष सं./मोबाइल नं.

ईमेल आईडी. (यदि कोई)

(यदि आवश्यक हो तो पीपी नम्बर दें।)

नोट : कृपया अपना पूरा नाम,पता एवं दूरभाष सं/मोबाइल सं. (यदि कोई हो) दें, अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) स्थाई मकान सं.

मौहल्ला / गली

शहर / गांव / डाकघर और पुलिस स्टेशन

जिला

राज्य पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल सं.

ई–मेल पता, (अगर हो)

(यदि आवश्यक हो तो, पीपी नम्बर दें)

8) पिता / अभिभावक का व्यवसाय

(क) सेवा के मामले i) पद

ii) कार्यालय का पता

iii) वेतनमान (ग्रेड)

iv) मूल वेतन

(v) भत्ते

(vi) कुल मासिक आय (मासिका)

vii) अन्य स्रोतों से आय

viii) माता की आय, यदि कोई हो

ix) पैन सं. (यदि आयकर देते हैं)*

पिता

माता

अभिभावक

(ख) कृषि के मामले में

i) कुल भूमि

ii) सिंचित

iii) असिंचित

iv) स्थान (पता)

v) अन्य भूमि संपत्ति

vi) कुल आय (वार्षिक)

vii) पैन सं. (यदि आयकर देते हैं)*

viii) कुल पारिवारिक आय (वार्षिक)

(ग) व्यवसाय के मामले

i) प्रकृति

ii) स्वामित्व/भागीदारी

iii) दुकान/कार्यशाला का स्वामित्व

iv) पता

v) भूमि वाली सम्पत्ति

vi) कुल आय (वार्षिक)

vii) पैन नं. (यदि आयकर देते हों)*

viii) कुल पारिवारिक आय (वार्षिक)

(घ) किसी अन्य व्यवसाय आदि के मामले में

9) मैट्रिक या समतुल्य के आरंभ से पास की गई सभी परीक्षाओं का विवरण

परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड	वर्ष	रोल नं.	प्राप्त अंकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

10) (क) स्कूल/कॉलेज का नाम व पूरा पता (जहां छात्रा पढ़ रही है)

जिला

पिन कोड

राज्य

टेलीफोन नं. (अनिवार्य है)

(ख) विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम जिसके साथ ये संस्थान संबद्ध है

(ग) दाखिले की तारीख

(घ) कक्षा / वर्ष जिसमें आवेदक अभी पढ़ रही है

(ङ) पाठ्यक्रम की अवधि और लिए गए विषय

(च) दान के भुगतान या खुली प्रतियोगिता / मैरिट के माध्यम से दाखिला हुआ।

11) यदि आवेदक किसी केन्द्र / राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान / एजेंसी व्यक्ति से कोई अन्य छात्रवृति / ऋण / शैक्षिक सहायता प्राप्त कर रही है तो उसकी मासिक दर तथा देने की तारीख सहित पूरा विवरण दें

12) अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

(क) आय प्रमाणपत्र / शपथपत्र (संलग्नक–II के अनुसार) ( )

(ख) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा अनुप्रमाणित Xवीं कक्षा की अंक सूची ( )

(ग) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन (संलग्नक–I के अनुसार) ( )

(घ) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा अनुप्रमाणित फोटो ( )

(ङ) वर्तमान स्कूल / कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा अनुप्रमाणित धर्म के प्रमाण का प्रमाणपत्र( )

13) मैं एतदद्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं यह जानती हूं कि यदि उक्त आवेदन में दिया गया विवरण गलत है तो मुझे जालसाजी हेतु भारतीय दंड संहिता के तहत सजा के साथ–साथ दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। यदि मैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति के लिए चयनित होती हूं तो मैं इस छात्रवृति की निबंधन एवं शर्तों का पालन करूंगी। यदि उक्त सूचना पूर्णतया या आंशिक रूप से गलत पाई जाती है तो छात्रवृति की पूरी राशि मेरे से एकमुश्त वसूली जा सकती है।

दिनांकः

स्थानः **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

संलग्नक–I

स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाने वाला सत्यापन फार्म*

(ये फार्म स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाएगा जहां इस समय छात्रा/आवेदक पढ़ रही है।)

(i) प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी .....
सुपुत्री श्री.....को इस स्कूल/कॉलेज में नियमित एवं पूर्णकालिक छात्रा के रूप में** ..... वर्ग में कक्षा/पाठयक्रम ..... में तारीख ..... को दाखिला दिया गया है और इस समय वह शैक्षणिक सत्र ..... में कक्षा/वर्ष ..... में पढ़ रही है।

(ii) वह केन्द्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/एजेंसी/व्यक्ति से .... रूपये की दर से (..... रूपये) छात्रवृति/शैक्षिक ऋण सहायता प्राप्त कर रही/नहीं कर रही है।

(iii) यह और प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में छात्र के दाखिला रिकार्ड में लिखित इनके पिता/अभिभावक का नाम पता तथा व्यवसाय ..... है।

(iv) वह ..... समुदाय (अर्थात मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्ध/पारसी) से संबंधित है।

(स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य की मोहर सहित हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)

स्थान : .....

तारीख : .....

नाम : .....

स्कूल/कॉलेज : .....

पूरा पता : .....

जिला : .....

राज्य : .....

फोन/मोबाईल सं. *** (अनिवार्य) .....

---

* इस सत्यापन फार्म को हस्ताक्षर करने से पहले छात्रा के दाखिला रिकार्ड के अनुसार आवेदन पत्र की जांच कर लें। यह अवश्य ही जांच की जाए कि पिता/अभिभावक के आय वाले कॉलम में दिए गए विवरण, व्यवसाय/धर्म उस संस्थान जहां छात्रा पढ़ रही है, में उपलब्ध रिकार्ड से मिलता है।

** कृपया यहां दाखिले का वर्ग, विशेष रूप से उल्लेख करें जैसे कि भुगतान सीट, निःशुल्क सीट, आरक्षित सीट, सामान्य मैरिट आदि।

*** संपर्क टेलीफोन सं. (लैंडलाइन और मोबाइल दोनों) भी अवश्य लिखे जाने चाहिए।

संलग्नक–II

आय के शपथपत्र के लिए नमूना

(20 रुपये के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर टाइप किए जाने वाला नमूना)

मै श्री/श्रीमती ..... जो ..... का पिता/संरक्षक हूं तथा ..... धर्म से संबंधित हूं और पूरा पता .... जिला ..... पिन कोड ..... राज्य ..... (जो मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृति के लिए एक उम्मीदवार है) एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं कि पिछले वर्ष 31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष में मेरी धर्मपत्नी की आय सहित मेरी कुल आय ..... रुपए (..... रुपए) थी।

आय का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) कृषिः
(2) अन्य भूमि संपत्तिः
(3) बिजनेसः
(4) कोई अन्य व्यवसाय (स्पष्ट करें):

मैं आयकर का भुगतान नहीं करता हूं या मैं आयकर देता हूं और मेरा पैन नं. ..... है।

(माता–पिता/अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर)

(मजिस्ट्रेट/नोट्री पब्लिक के मोहर सहित हस्ताक्षर)

नोट : (1) यदि माता और पिता दोनों कार्यरत हैं तो दोनों का वेतन प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
(2) आय और आय का स्रोत के ब्योरे का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके बिना आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

संलग्नक–III

बोर्डों / परिषदों की सूची

(1) आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश।
(2) अरूणाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अरूणाचल प्रदेश।
(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम।
(4) बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, बिहार।
(5) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़।
(6) गोवा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा।
(7) गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गुजरात।
(8) हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा।
(9) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश।
(10) जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, जम्मू एवं कश्मीर।
(11) झारखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, झारखंड।
(12) कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्नाटक।
(13) केरल पब्लिक परीक्षा बोर्ड, केरल।
(14) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश।
(15) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महाराष्ट्र।
(16) मणिपुर स्कूल परीक्षा बोर्ड, मणिपुर।
(17) मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड, मेघालय़।
(18) मिजोरम स्कूल शिक्षा बोर्ड, मिजोरम।
(19) नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, नागालैंड।
(20) उड़ीसा माध्यमिक स्कूल शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा।
(21) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, पंजाब।
(22) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान।
(23) सिक्किम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सिक्किम।
(24) तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु।
(25) त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा।
(26) यू. पी. हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
(27) उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तरांचल।
(28) पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल।

अखिल भारतीय बोर्ड / परिषदें

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
(2) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली।
(3) भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद।
(4) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
(5) राष्ट्रीय ओपन स्कूल, दिल्ली।

अध्याय 9

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत अधीनस्थ कार्यालय मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ) द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल्य वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक ढांचा तथा सुविधाएं प्रदान और विकसित करना है, जहां प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल/जूनियर कालेज/व्यावसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

पात्र संगठन

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पिछले तीन वर्षों से सोसायटी/ ट्रस्ट पंजीकृत हो।

(ख) सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए अथवा किसी व्यक्ति या एक परिवार द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समूह/परिवार के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

(ग) सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ाने के लिए कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए।

(घ) संस्थान जिसके विस्तार/मजबूतीकरण के लिए सहायता मांगी गई है, में लाभ प्राप्त कर रहे अधिकांश छात्र (50 प्रतिशत से अधिक) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/लक्षित समूह से होने चाहिए।

➢ **प्रयोजन जिसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है**

एमएइएफ द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है:

(क) स्कूलों के निर्माण/विस्तार के लिए।

(ख) विज्ञान/कंप्यूटर लैब प्रयोगशाला उपकरणों/फर्नीचर की खरीद के लिए।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के निर्माण/विस्तार के लिए।

(घ) होस्टल भवनों के निर्माण के लिए।

(ड.) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित डी.एड/बी.एड. कालेज के निर्माण/विस्तार के लिए।

पात्रता, वित्तीय सहायता सीमा और आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए गैर–सरकारी संगठन एमएइएफ की वेबसाइट अर्थात www.maef.nic.in. पर जा सकते हैं। आगे सचिव, (एमएइएफ) से भी दूरभाष सं. 011–23583788/23583789 पर संपर्क किया जा सकता है।

गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लिए दिशा–निर्देश/आवेदन पत्र

परिचयः

इस प्रतिष्ठान की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर की गई थी। उनका जीवन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा हुआ था। वे भारतीय राजनीतिक दृश्य पर एक स्तम्भ व्यक्तित्व थे तथा उर्दू साहित्य में एक उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। इसके साथ उन्होंने एक पत्रकार के रूप में ट्रेंड स्थापित करके इसमें और अधिक योगदान दिया। लेकिन उनकी प्रसिद्धि का महानतम अंश उनका विश्व दृष्टि के साथ चिंतन तथा मानवीय दृष्टिकोण था। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धर्म निरपेक्ष के साथ–साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों को धारण करने वाले वाले व्यक्ति थे। भारतीय आधुनिक पीढ़ी को फिर से मौलाना आजाद से परिचित कराने की आवश्यकता है।

यह प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, अराजनैतिक, लाभ न कमाने वाला सामाजिक सेवा संगठन है इसकी स्थापना समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 06 जुलाई 1989 को किया गया था।

प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और निर्धारित आवेदन प्रपत्रों का विवरण निम्नलिखित पृष्ठों में दिया गया हैः

योजना का उद्देश्य

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल्य वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक ढांचा तथा सुविधाएं प्रदान करना जहां प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक सकूल/जुनियर कॉलेज/व्यावसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

उद्देश्य जिसके लिए सहायता अनुदान दिया जाता है–

(क) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित स्कूलों के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थाओं के लिए विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला उपकरणों/फर्नीचर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्थाओं में होस्टल भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ड.) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबंधित डी.एड/बी.एड. कालेज के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

सहायता अनुदान के लिए पात्रता मानदंड –

- सोसायटी/ट्रस्ट पिछले तीन वर्षों से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए,
- सोसायटी/ट्रस्ट के पास तुलन पत्र के साथ उचित लेखा परीक्षित रिपोर्टें, प्राप्ति भुगतान तथा आय–व्यय का विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों में किए गए शैक्षिक कार्यकलापों को दर्शाया गया हो, होना चाहिए,
- सोसायटी/ट्रस्ट को स्वैच्छिक आधार पर उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जानकार व्यक्तियों की भागीदारी प्राप्त करने की स्थिति में होना चाहिए। सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए अथवा किसी व्यक्ति या एक परिवार द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समूह/परिवार के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। उन संस्थानों , जिनके निर्माण/विस्तार के लिए सहायता की आवश्यकता है, वे अस्तित्व में तथा संबंधित राज्य/केंद्रीय बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध होने चाहिए। सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ाने के लिए कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। सोसायटी/ ट्रस्ट को किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिक सद्भाव को खराब करने हेतु उकसाना नहीं चाहिए। संस्थान जिसके विस्तार/मजबूतीकरण के लिए सहायता मांगी गई है, में लाभ प्राप्त कर रहे अधिकांश छात्र (50 प्रतिशत से अधिक) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/लक्षित समूह से होने चाहिए,
- छात्रावास भवन के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थान जिसके लिए छात्रावास की जरूरत है वह कम से कम 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त होना चाहिए,
- सोसायटी/ ट्रस्ट के पास प्रस्तावित परियोजना के लिए कम से कम 1000 वर्ग गज भूमि (शहरी क्षेत्रों में) या कम से कम एक एकड़ भूमि (ग्रामीण क्षेत्रों में) अपने नाम में अथवा कम से कम 30 वर्षों के लिए लीज़ पर होना चाहिए,
- सोसायटी/ ट्रस्ट को परियोजना पर गैर–सरकारी संगठन के हिस्से के रूप में कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए,
- सोसायटी/ ट्रस्ट, भूमि पर अथवा प्रतिष्ठान की सहायता से बनाए गए भवन पर कोई ऋण नहीं लेगा, जिस पर प्रतिष्ठान की सहायता से भवन का निमार्ण किया गया है, फिर भी अगर यह जरूरी होता है तो उसके लिए प्रतिष्ठान की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देशः

- इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले सोसायटी/ ट्रस्ट, इस प्रयोजन के लिए संलग्नक –II पर दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे,
- पिछड़े क्षेत्र, विशेषकर जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उन पर उचित ध्यान/प्राथमिकता दी जाएगी,

- किसी एक ईकाई को दी जाने वाली सहायता 30.00 लाख रू. से अधिक नहीं होगी और एक समय में एक ही परियोजना के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ब्यौरे और सीमा आदि के लिए संलग्नक–क देखें,
- सहायता प्राप्त करने वाले को समग्र लाभ प्राप्तकर्ता संस्थान या इसके एक भाग को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर करने का वचन देना होगा,
- जब कभी जरूरी होगा इस योजना को संषोधित किया जा सकता है और किसी भी संगठन/संस्थान को एक स्थायी लाभग्राही के रूप में विचार करने का कोई दावा मान्य नहीं होगा,
- आवेदन पत्रों को प्रतिवर्ष 1 मई से 30 सितंबर तक प्रतिष्ठान के कार्यालय में डाक द्वारा या सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अधूरे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसमें कमी दर्शाते हुए उसे वापस कर दिया जाएगा। पुनः प्रस्तुत किए गए एवं संशोधित आवेदन पत्रों को नया आवेदन माना जाएगा,
- संलग्नक–I में उपलब्ध जांच सूची को सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए और प्रत्येक दस्तावेज की पृष्ठ संख्या का उचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- एक समय में केवल एक प्रस्ताव (एक प्रयोजन हेतु) स्वीकार किया जाएगा,
- आवेदन पत्र के साथ लगाए गए दस्तावेज/अनुलग्नक, प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित/साक्ष्यांकित किए हुए होने चाहिए। सोसायटी/ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा किए गए साक्ष्यांकन स्वीकार नहीं होंगे,
- छात्राओं/छात्रों के लिए छात्रावास भवन हेतु आवेदन के मामले में, उस संस्थान में छात्रावास भवन की जरूरत के औचित्य पर एक नोट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी छात्रावास भवनों के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार करते समय उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही छात्रावास चला रहे हैं।

योजना के तहत वित्तीय सहायता मंजूर करने की प्रक्रिया

- प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसकी प्रतिष्ठान कार्यालय में जांच की जाएगी और इसमें पाई गई कमियों के बारे में संगठन/संस्थान को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।
- पूरे प्रस्तावों को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसे राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिष्ठान के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिसे यह प्रतिष्ठान यह कार्य सौंपेगा, के माध्यम से किया जाएगा।
- निरीक्षण रिपोर्टों को विचारार्थ और निर्णय के लिए प्रतिष्ठान की उप समिति/शासी निकाय के सामने रखा जाएगा और उनका निर्णय संगठन/संस्थान को सूचित किया जाएगा।

संलग्नक–'क'

विभिन्न वर्गों के तहत सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए उच्चतम सीमाएं

क्रसं.	वर्ग	उच्चतम सीमाएं (रुपए)
1.	यदि स्कूल 5वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है और उसे 8वीं तक अपग्रेड किया जाना है।	05,00,000
2.	यदि स्कूल 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है और उसे 10वीं तक अपग्रेड किया जाना है।	10,00,000
3.	यदि स्कूल 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है और उसे 10वीं तक अपग्रेड किया जाना है तथा लक्षित समूह से संबद्ध बच्चे लगभग 500 हैं।	15,00,000
4.	यदि स्कूल 10वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है और उसे 12वीं/जूनियर कॉलेज/इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जाना है।	15,00,000
5.	हाईस्कूलों (1–10वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त) में प्रयोगशाला उपकरणों (भौतिकी/रसायन/जीवविज्ञान) उपकरणों की खरीद।	02,00,000
6.	12वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरणों (भौतिकी/रसायन/जीवविज्ञान/कम्प्यूटर) की खरीद।	03,00,000
7.	10वीं/12वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त स्कूलों में फर्नीचर एवं फिक्सचर (दोनों) की खरीद।	01,00,000
8.	उन स्कूलों में जहां कम्प्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है वहां कंप्यूटरों की खरीद।	02,50,000
9.	हॉस्टल भवनों के निर्माण हेतु क) 100 बिस्तरों वाला शयनागार की तरह का हॉस्टल भवन ख) 50 बिस्तरों वाला शयनागार की तरह का हॉस्टल भवन ग) 30 बिस्तरों वाला शयनागार की तरह का हॉस्टल भवन	 30,00,000 15,00,000 10,00,000
10.	i) डी.एड. कॉलेज भवन का निर्माण/विस्तार ii) बी.एड. कॉलेज भवन का निर्माण/विस्तार	15,00,000 30,00,000
11.	i) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण के लिए ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपकरणों/उपकरण/मशीनों की	10,00,000 05,00,000
12.	i) तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/आईटीसी भवन निर्माण के लिए ii) तकनीकी संस्थान/आईटीआई/आईटीसी के लिए उपस्कर/मशीन/उपकरण खरीदने के लिए	15,00,000 15,00,000

संलग्नक–I

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

क्र.सं.	दस्तावेज	पृ.सं.
1.	भरा हुआ आवेदन पत्र अर्थात संलग्नक I से VI तक	
2.	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	
3.	संस्था के बहिर्नियम एवं नियमावली अथवा न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति	
4.	संलग्नक–III के अनुसार गैर–सरकारी संगठन के सदस्यों की वर्तमान सूची की प्रमाणित प्रति	
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए गैर–सरकारी संगठन के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट/संक्षिप्त इतिहास	
6.	पिछले तीन वर्षों के लिए गैर–सरकारी संगठन के तुलन पत्र, प्राप्ती/भुगतान एवं आय व्यय के विवरणों सहित लेखापरीक्षित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति	
7.	स्कूल/कॉलेज/संस्थान को दी गई अनुमति/मान्यता/संबद्धता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति	
8.	गैर–सरकारी संगठन के नाम में भूमि/भवन की टाइटल डीड अर्थात पंजीकृत सेल डीड/उपहार डीड/एक्सचेंज डीड अथवा आबंटन आदेश या लीज डीड (जो 30 वर्षों से कम न हो)	
9.	निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि के राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति (यदि सिविल निर्माण का प्रस्ताव है)	
10.	वकील की ओर से निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि के शीर्षक प्रमाण पत्र सहित संक्षिप्त इतिहास या अन्वेषण रिपोर्ट (यदि सिविल निर्माण का प्रस्ताव है)	
11.	भूमि के प्रयोग को बदलने अर्थात कृषि से अकृषिक करने के लिए एसडीएम से दिए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (यदि सिविल निर्माण का प्रस्ताव है)	
12.	निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि से संबन्धित भार–रहित प्रमाण पत्र जो उप पंजीयक द्वारा जारी किया गया है	
13.	प्रस्तावित निर्माण के लिए मंजूर किए गए साइट प्लान की प्रमाणित प्रति (यदि सिविल निर्माण का प्रस्ताव है)	
14.	सनदी नक्शा – नवीस/लाइसेंसशुदा इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए तैयार किए गए मदवार विस्तृत अनुमान (यदि सिविल निर्माण का प्रस्ताव है)	
15.	उपकरणों/कंप्यूटरों/फर्नीचर की खरीद के लिए तुलनात्मक विवरण सहित कम से कम तीन स्टैन्डर्ड फर्मों से प्राप्त निविदाएं (यदि उपस्करों की खरीद का प्रस्ताव है)	
16.	चलाए जा रहे व्यवसाय एवं पाठयक्रम सहित प्रस्तावित व्यवसायों का ब्यौरा (यदि आईटीआई/पौलिटेक्निक/वीटीसी का प्रस्ताव है)	
17.	संलग्नक–V के अनुसार कक्षा–वार/व्यवसाय–वार छात्रों की सूची	
18.	पिछली बोर्ड परीक्षा के परिणाम की शीटों की प्रमाणित प्रति/परिणाम का ब्यौरा	
19.	संलग्नक–IV के अनुसार वर्तमान कक्षाओं/व्यवसायों और प्रस्तावित कक्षाओं/व्यवसायों के लिए कक्षा–वार/व्यवसाय–वार फीस का ढांचा	
20.	संलग्नक–VI के अनुसार शिक्षकों का ब्यौरा	
21.	वर्तमान स्कूल/कॉलेज/संस्थान/भवन के विभिन्न कोणों से तीन पोस्ट–कार्ड आकार के फोटो।	

नोट : 1) कृपया सभी आवष्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र भरकर भेजें। यदि आवेदन पत्र अधूरा पाया जाता है या अंतिम तिथि तक अर्थात 30 सितम्बर तक कमियाँ दूर नहीं की जाती हैं तो फाइल को बंद कर दिया जाएगा और इस पर आगे पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2) यदि प्रस्ताव स्कूल/कॉलेज/वीटीसी/आईटीआई के लिए प्रयोशाला उपस्करों/कम्प्यूटरों/फर्नीचर/उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के लिए है तो जांच सूची के क्रम संख्या 5, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक–II

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र, नई दिल्ली रेल आरक्षण केन्द्र के सामने,
चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–110055

आवदेन पत्र प्रस्तुत करने के लिए तारीख : 01 मई से 30 सितम्बर तक

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्रः
(सही उद्देश्य के लिए उचित बक्से में (✓) टिक करें)

- स्कूल भवन का निमार्ण/विस्तार ☐
- डी. एड/बी.एड कॉलेज भवन का निर्माण/विस्तार ☐
- लड़कियों के हॉस्टल भवन का निर्माण ☐
- लड़कों के हॉस्टल भवन का निर्माण ☐
- स्कूल के लिए विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला उपस्करों/फर्नीचर की खरीद ☐
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/आईटीआई/पॉलटैक्निक का निर्माण/विस्तार ☐
- वीटीसी/आईटीआई/पॉलटैक्निक के लिए उपस्करों/मशीनरी/उपकरण/फर्नीचर की खरीद ☐

---

1) पिन कोड/फोन/फैक्स संख्या सहित सोसायटी/ट्रस्ट का नाम और पूरा पता :

2) पिन कोड/फोन/फैक्स संख्या सहित उस संस्थान का नाम और पता जिसके लिए सहायता अपेक्षित है :

3) संपर्क व्यक्ति (नाम, पदनाम, पता तथा फोन संख्या सहित) :

4) आवेदक की स्थिति (सोसायटी/ट्रस्ट) :

5) किलोमीटर में दूरी सहित निकटतम रेलवे स्टेशन :

6) एन.जी.ओ. की पंजीकरण संख्या, तारीख और पंजीकरण का स्थानः (पंजीकरण प्रमाण पत्र, संस्था के अंतर्नियम एवं नियमावली/न्यास विलेख तथा संलग्नक–।।।, के अनुसार सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) :

7) गैर–सरकारी संगठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि/शैक्षिक कार्यकलाप और अन्य कार्यकलाप :

8) (क) अपेक्षित वित्तीय सहायता (शब्दों व अंकों दोनों में) :

(ख) वित्तीय सहायता का प्रयोजन :

9) गैर–सरकारी संगठन, प्रस्तावित परियोजना पर अपने संसाधनों से कितनी राशि का निवेष करेगा :

10) सरकार, स्थानीय निकाय, अन्य संस्थान से प्राप्त वित्तीय सहायता, यदि कोई है (पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयोजन सहित प्रत्येक मद में प्राप्त राशि दर्शाएं) :

11) मैलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान/केन्द्रीय वक्फ़ परिषद से प्राप्त वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, यदि हां तो उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें :

12) गैर–सरकारी संगठन के बैंक खाते में निधियां (संगठन की तुलनपत्रों सहित ऑडिट रिपोर्टो, प्राप्ति/भुगतान एवं आय/व्यय विवरणों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) :

13) अभिप्रेत लाभग्राही कौन हैं :

14) क्षेत्रों में अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या :

15) क्या ये संस्थान अपने भवन अथवा किराए के भवन में चल रहा है (वर्तमान भवन के तीन पोस्ट कार्ड साईज फोटो संलग्न करें) :

16) संस्थान का स्तर (मान्यता प्राप्त या बिना मान्यता प्राप्त), मान्यता/संबद्वता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, बोर्ड परिणाम शीटों की प्रति संलग्नक–V के अनुसार छात्रों के ब्यौरे तथा संलग्नक–VI के अनुसार षिक्षकों के ब्यौरे संलग्न करें) :

17) संस्थान द्वारा ली जा रही कक्षा–वार/व्यवसाय–वार फीस (संलग्नक–IV के अनुसार ब्यौरे संलग्न करें) :

18) उपलब्ध भवन के ब्यौरे :

19) उपलब्ध भूमि का क्षेत्र (वर्ग गजों/एकड़ों में उल्लेख करें) (जांच सूची के अनुसार कागज पत्र संलग्न करें) :

20) लड़के/लड़कियों के हॉस्टल भवनों के निर्माण के लिए उचित औचित्य (अलग कागज का उपयोग करें) :

21) वर्तमान व्यवसायों के ब्यौरे (यदि प्रस्ताव वीटीसी/आईटीआई/पॉलिटैक्निक के लिए है) :

22) नए व्यवासाय के ब्यौरे (यदि प्रस्ताव वीटीसी/आईटीआई/पॉलिटैक्निक के लिए है) :

मैं एत्दद्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदन पत्र में दी गई सूचना सत्य एवं सही है।

तारीख : .....

स्थान : .....

एनजीओ के अधिकृत व्यक्ति के पूरे नाम और मुहर सहित हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

- कृपया सभी कॉलमों को भरें।
- कृपया प्रत्येक पृष्ठ पर उचित संख्या सहित सावधानी पूर्वक जांच सूची के अनुसार दस्तावेज संलगन
- यदि अपेक्षित दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में है तो उसका प्रमाणित अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा।
- सोयायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव द्वारा संलग्न आवेदन दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएं/मुहर लगी हो।

संलग्नक–III

सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्यों का नाम	पुत्र/पुत्री	दूरभाष संख्या सहित पूरा पता	पदनाम

फीस का ढांचा (कक्षा–वार/व्यवसाय–वार)

क्र.सं.	कक्षा/व्यवसाय	मासिक फीस	वार्षिक फीस	क्या कोई रियायत दी जाती है।

संलग्नक–V

वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले छात्रों के ब्यौरे

शैक्षणिक वर्ष .....

क्र.सं.	कक्षा	अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्र					अन्य समुदायों से संबद्ध छात्र			समग्र कुल
		मुस्लिम		अन्य		योग	छात्र	छात्राएं	योग	
		छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं					

संस्थान के प्रधानाचार्य की मुहर व हस्ताक्षर

सोसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक की मुहर एवं हस्ताक्षर

संलग्नक–VI

शिक्षकों के ब्यौरे

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	योग्यता	कार्य अनुभव	प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित

I) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबन्धित स्कूलों के निर्माण / विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

II) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबन्धित संस्थाओं के लिए विज्ञान / कंप्यूटर प्रयोगशाला उपस्करों / फर्नीचर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

III) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र / आईटीआई / पॉलिटेक्निक के निर्माण / विस्तार तथा उपस्करों / मशीनों / फर्नीचर खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

IV) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबन्धित संस्थाओं में होस्टल भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

V) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से संबन्धित डी.एड / बी.एड कॉलेज के निर्माण / विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

VI) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी बालिकाओं के लिए मौलाना अज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

अध्याय 10

"नालंदा परियोजना"

अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम

भूमिका

∞ "नालंदा परियोजना" देश में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक प्रबंधित महाविद्यालयों (एमएमडीसी) में जागरुकता, अभिमुखीकरण तथा विकास के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है। यह परियोजना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ0प्र0), जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नोडल स्टॉफ कॉलेज भी है, में "प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग, और मूल्यांकन" योजना के अंतर्गत, शुरू की गई है।

∞ सच्चर समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों के शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है। मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों तथा जैनों से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सभी स्तर पर छात्रवृत्तियों के माध्यम से पहले से ही सहायता दे रहा है। मंत्रालय का यह दृढ़ विश्वास है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यार्थियों को सहायता देने के अलावा समय–समय पर शिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना भी आवश्यक है। हालांकि, एनसीईआरटी, एनईयूपीए आदि जैसी एजेंसियां ऐसे शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम में लगे हुए हैं, फिर भी मंत्रालय समझता है कि अल्पसंख्यकों के मामले में उच्च शैक्षिक संस्थानों के संकाय विकास के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है।

∞ उच्च शिक्षा व्यक्तिगत, संस्थागत और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए साधन है। कार्यबल की उत्कृष्टता किसी राष्ट्र और मानवता के सततविकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है। ज्ञान की सीमाओं और मूल्यों के संवर्धन को बढ़ाने के लिए उत्कष्टता जरूरी है।

∞ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का यह भी दृष्टिकोण है कि उच्च शिक्षा की समग्र गुणवता में सुधार लाने के लिए अपने स्थानीय संदर्भों और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए संगत ज्ञान को पुनःपरिभाषित करने हेतु प्रयासों को सहायता देने के अलावा पूर्व–स्नातक स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को उदार सहायता की भी जरूरत है।

संकाय विकास कार्यक्रम की आवश्यकता

∞ संकाय विकास उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रभावपरकता का एक आवश्यक तत्व है। यह अकादमिक कार्यक्रमों की गुणवता में सुधार लाने और उभर रहे संकाय, विद्यार्थी, कार्यक्रम तथा उद्योग की जरूरतों के प्रत्युत्तर हेतु उपाय के रूप में अनेक एकादमिक संस्थान में इसको अग्रता मिल गई है। जिस सीमा तक

विश्वविद्यालय / कॉलेज संकाय विकास के लिए सहायता करते हैं, विद्यार्थियों के कार्य में लगने और प्रेरणा के स्तर पर ठोस रूप में लक्षित होंगे और इस प्रकार अंततोगत्वा विद्यार्थी का अधिगम बढ़ेगा।

- शिक्षा में संकाय विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता अनेक कारणों यथा उच्च शिक्षा की आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों की मांगों और संतुलित शिक्षण, छात्रवृत्ति, सेवा, वैयक्तिक उत्तरदायित्व की जटिलता में वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।
- संकाय विकास एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संकाय अकादमिक और व्यावसायिक समुदायों के लिए अधिक कारगर शिक्षक, छात्र और योगदानकर्ता बनने के एक प्रयास में उनके शिक्षण और अनुसंधान आधार को बढ़ाता है।
- संकाय विकास का प्रमुख लक्ष्य उत्कष्टता प्राप्त करने और संकाय सदस्यों के रूप में बढ़ने के लिए नए तरीकों को सीखने में सहायक है। यह समझ, अधिगम और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। संकाय विकास में शिक्षा, सहयोग, संसाधन और सहायता शामिल है।
- संकाय और अनुदेशात्मक विकास के अलावा, संकाय विकास स्वयं का सरोकार बदलती संस्कृति से भी रखता है। शैक्षिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से संकाय बदल रहे अकादमिक माहौल में उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए आवश्यक कौशल शिक्षा सकता है।
- आज के छात्र यह उम्मीद करते हैं और कई मामलों में मांग करते हैं कि उनके अनुदेशक डिजीटल प्रौद्योगिकियों के प्रकार के साथ उन्हें शिक्षित करें, जिसे उन्होंने अपने में समाहित कर लिया है और जिससे परिचित हैं।
- संकाय, जो व्यावसायिक विकास में लगा है, वह बढ़ी हुई जीवंतता, सूचित अध्यापन–कला, शिक्षण अभिनवता और विद्वतापूर्ण शिक्षण के रूप में भी लाभ का अनुभव करते हैं।
- इसके अलावा, संकाय व्यावसायिक विकास उभर रही प्रौद्योगिकियों के कारगर प्रयोग के लिए भी योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों के समग्र विकास के लिए एक सुदृढ़ नीव स्थापित करता है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- संकाय को सामान्य दिनचर्या से ऊपर जाने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और प्रेरणा देना।
- विद्यार्थी के दृष्टिकोण को समझने में उनकी सहायता करना।
- शिक्षण और अधिगम के लिए विविध दृष्टिकोणों की शुरूआत करना।
- इन्हें उनके ज्ञान और कौशल के खजाने को एकीकृत करना।

∞ वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कौशलों के साथ आधुनिक अध्यापन–कला और उच्च शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करना।

कारगर संकाय विकास कार्यक्रम कैसे विकसित किया जाए

∞ एक कारगर संकाय विकास कार्यक्रम सृजित करने के लिए, संकाय सदस्यों के दृष्टिकोण को जानना महत्वपूर्ण है, जिसकी वास्तव में जरूरत है। संकाय विकास का तत्व न केवल क्रियाकलापों की मात्रा है अपितु खुले संवाद में, सफलताओं का उत्सव, और भावी विकास क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं में असफलता का विश्लेषण भी है।

∞ यह सुनिश्चित करने के लिए संकाय विकास प्रयास कारगर हैं, इसके लिए जांच सूची निम्नानुसार हैः–

- अपने संकाय की भूमिकाओं और प्रत्याशाओं को समझना तथा संकाय विकास कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ प्रशासकों की सहायता लेना।
- अपने संकाय के विद्यार्थियों के साथ सम्मान और विश्वास विकसित करना।
- सतत नई योग्यताओं के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य की समीक्षा करना, जो उन सभी पहलुओं का समाधान करता है, जो प्रत्येक सेटिंग में संकाय की सफलता को प्रभावित करे।
- अपने संकाय विकास संस्कृति के साथ संस्थागत/संगठनात्मक संस्कृति को जोड़ना।
- संगत कार्यक्रम परिणामों को प्रतिष्ठापित करने के लिए आवश्यकता आधारित आकलन करना।
- विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को बनाना और कार्यान्वित करना।
- कार्यक्रम के लिए आवश्यक मानव और वित्तीय संसाधन निर्धारित करना तथा मुहैया कराना।
- संगत नेतृत्व की पहचान करना।
- प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से वास्तविक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। कई वर्षों के लिए सुसंगत विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। संकाय अधिगम के लिए बेंचमार्क निर्धारित करना।
- समय से और कारगर प्रतिपुष्टि मांगना।
- संकाय विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए पारितोषिक स्वरूपों को क्रियान्वित करना।
- सहयोग, समूह के साथ मिलकर कार्य करने, और साझा दूरदर्शिता के आधार पर अधिगम के लिए संस्कृति तैयार करना।

नालंदा परियोजना के अंतर्गत संकाय विकास कार्यक्रम के संघटक

∞ यह अल्पावधि एक सप्ताह, दो सप्ताह अथवा एक माह का आवासीय अभिमुखीकरण–सह–जागरुकता सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसे मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर मंत्रालय द्वारा चयनित पात्र संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा।

∞ कार्यक्रम का विषय, जो आयोजनकर्ता संस्था (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा विकसित किया जाएगा, उसे देश में अल्पसंख्यकों के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली और संगत अध्यापन कला में सुधार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालना चाहिए। प्रशिक्षण माड्यूल आयोजनकर्ता संस्थान द्वारा विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण माड्यूल में कम–से–कम प्रति सप्ताह एक क्षेत्र दौरा होना चाहिए।

पात्र संगठन/संस्थान

निम्नलिखित संस्थान/संगठन (इसके पश्चात संगठन) नालंदा परियोजना के अंतर्गत संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र होंगे:–

क) संसद के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय और कम–से–कम 10 वर्षों से चल रहे हों।

ग) अध्यापन कला और एनईयूपीए, एनसीईआरटी आदि जैसे पाठ्यक्रमों को विकसित करने में लगे केंद्रीय सरकार के संस्थान।

घ) भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान आदि जैसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विशेषज्ञ राष्ट्रीय संस्थान।

ङ) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज, दि एनर्जी रिसर्चज इंस्टीट्यूट (टेरी) आदि जैसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थान।

अनिवार्य इन–कैम्पस सुविधाएं

आयोजक संस्थान के पास अनिवार्य रूप में निम्नलिखित इन–कैम्पस सुविधाएं होनी चाहिए :

- सभी प्रशिक्षणार्थियों को समावेजित करने के लिए संलग्न शौचालय के साथ आवासीय सुविधा;
- भोजन की सुविधा;
- सभी प्रतिभागियों को समावेजित करने के लिए आधुनिक गैजेट्स के साथ सज्जित सम्मेलन कक्ष;

- एक सुस्थापित कम्प्यूटर लैब;
- मनोरंजन / खेल सुविधा;
- ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक सुस्थापित संसाधन केंद्र।

लागत मानक

क) 50 (पचास) प्रतिभागियों के कार्यक्रम के लिए, 1.25 लाख रु0 प्रतिदिन अनुमेय होगा। इस प्रतिदिन की लागत में निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(i) प्रतिभागियों के लिए बोर्डिंग / लॉजिंग तथा यात्रा भत्ते। यात्रा भत्ता द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित ट्रेन द्वारा अनुमेय होगा।

(ii) मानदेय (प्रयोजन का उल्लेख करते हुए)।

(iii) स्टेशनरी / सूचना पुस्तिका।

(iv) डाक प्रभाग / फैक्स प्रभाग / दूरभाष प्रभाग सहित आकस्मिक खर्चे।

(v) प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्रवाहियां।

(vi) क्षेत्र दौरे।

(vii) ऊपरी खर्चे, यदि कोई हैं (परियोजना लागत के 2.5 तक सीमित)।

ख) परियोजना के अनुमोदन के पश्चात, व्यावसायिक प्रभारों के रूप में निधियां दो किस्तों में जारी की जाएंगी। प्रथम किस्त –90% और दूसरी किस्त कार्यक्रम के पूरा होने के बाद और रिपोर्ट तथा लेखा विवरण के प्राप्त हो जाने पर दूसरी किस्त – 10%।

ग) कार्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात, संगठन फोटोग्राफों तथा निर्धारित प्ररूप में मंत्रालय को व्यय के ब्यौरों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना

∞ संकाय विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव या तो समाचार पत्र में विज्ञापन और मंत्रालय की वेबसाइट की माध्यम से अथवा सरकार के संगठन द्वारा सीधे आमंत्रित किए जा सकते हैं अथवा मंत्रालय द्वारा स्वयं सीधे प्रस्तावित / प्रायोजित किए जा सकते हैं। यह सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के संगत प्रावधानों का अनुसरण करके मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसियों के साथ भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के मामले में, मंत्रालय जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी संगठन को भी लगा सकता है। मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता संस्थान–आधारित होगी और संगठन के प्रमुख को जारी की जाएगी।

∞ इस परियोजना के अंतर्गत संकाय विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र/इच्छुक संगठन निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट)** में मंत्रालय को अवगत करेगा।

प्रस्तावों पर कार्रवाई

क. संकाय विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, निम्नलिखित समिति प्रस्तावों की जांच करेगी और विचार करेगी :

1.	संयुक्त सचिव (संबंधित प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव)	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एनईयूपीए	सदस्य
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव/आईएफडी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	निदेशक/उप सचिव (अनुसंधान और मीडिया)	संयोजक

चयनित एजेंसी का अंतिम अनुमोदन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त किया जाएगा।

निबंधन और शर्तें

इस परियोजना के अंतर्गत, सहायता प्राप्त करने वाले क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा निम्नलिखित सामान्य शर्तों का अनुपालन किया जाएगाः

(i) संगठन लेखाओं का अनुरक्षण करेगा और उन संस्थानों के मामले में सरकार के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित अंतिम लेखाओं को प्राप्त करेगा, जिनके लेखें सरकार के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो, लेखा परीक्षित किए जाते हैं और इन्हें सुपुर्द काम के पूरा होने पर उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) संगठन इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित सुपुर्द कार्य के लिए किसी अन्य स्त्रोत से कोई व्यावसायिक शुल्क ना तो स्वीकार करेगा और ना ही लगाएगा।

(iii) परियोजना पावतियों और व्ययों के लिए अलग से लेखें रखे जाएंगे, यद्यपि, व्यय की कुछ मदें संस्थान/संगठन द्वारा अन्य किसी क्रियाकलापों पर किए गए खर्च के समान हो सकती है।

(iv) संगठन को वास्तविक व्यय की एक तैयार करनी अपेक्षित होगी और वास्तव में किए गए व्यय के विवरण के साथ इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। इस व्यय के बारे में एक प्रमाण–पत्र भी रिकॉर्ड करना भी अपेक्षित होगा कि व्यय स्वीकृत अनुदान के अनुसार ही किया गया है।

(v) परियोजना से संबंधित लेखों/दस्तावेजों आदि, जिनके लिए व्यावसायिक शुल्क उपलब्ध कराया गया है, मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की जांच हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना से संबंधित लेखें

भारत के महालेखापरीक्षक अथवा उनके विवेकाधिकार द्वारा नामिति (यों) को लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(vi) संगठन योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों से पूर्ण अथवा काफी हद तक अभिग्रहीत सभी परिसंपत्तियों के अभिलेख तैयार करेगा रख–रखाव करेगा। ऐसी परिसंपत्तियां मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना अन्य कार्यों के लिए निपटाई, रोकी अथवा उपयोग नहीं की जांएगी।

(vii) संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा और उन्हें सुपुर्द किए गए कार्य के लिए विचारार्थ विषय दिए जाएंगे।

(viii) सुपुर्द किए गए कार्य को पूरा करने में विलंब के लिए सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) द्वारा मंत्रालय के निर्णय के अनुसार व्यावसायिक प्रभारों में कमी की जा सकती है। यह शास्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संगठन के बीच सहमति के अनुसार कुल व्यावसायिक प्रभार के अधिकतम 10% तक हो सकती है।

(ix) परियोजना निदेशक मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अंतिम रिपोर्ट में दिए गए प्रशिक्षण, अपनाई गई कार्यप्रणाली, प्रशिक्षुओं की संख्या, विशेषज्ञों के ब्यौरे, प्रशिक्षण का परिणाम, व्यय ब्यौरे, फोटोग्राफ आदि के ब्यौरे शामिल होंगे।

(x) संगठन, परियोजना दस्तावेज/सरकारी स्वीकृति में किसी निबंधन एवं शर्त के उल्लंघन पर परियोजना के लिए स्वीकृत राशि के चेक/बैंक ड्रॉफ्ट/ई–ट्रॉंस्फर को भुनाए जाने की तिथि से सामान्य वित्तीय नियमों अथवा मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के परामर्श से निर्धारित ब्याज दर पर नुकसान सहित पूरी राशि वापिस करने के लिए बाध्य होंगे बशर्ते कि सरकार अपने विवेकाधिकार से ऐसे ब्याज को प्रभारित किए जाने के लिए अथवा किसी परिवर्तित तारीख के लिए ब्याज की गणना के प्रयोजन से तारीख में ढ़ील दे सकती है। मंत्रालय के पास ब्याज की गणना और ब्याज को लगाने के लिए प्रभावी तारीख के संबंध कानूनी राय लेने का अधिकार सुरक्षित है।

(xi) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का निणर्य, इस प्रश्न पर की क्या स्वीकृति पत्र के साथ–साथ इसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों का भंजन और उल्लंघन हुआ है कि नहीं, अंतिम होगा और संगठन पर बाध्यकारी होगा।

(xii) सभी विवादों के लिए, न्यायाधिकार क्षेत्र केवल दिल्ली होगा।

सत्यमेव जयते

भाग-II

क्षेत्र विकास

सत्यमेव जयते

अध्याय 11

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों/विभागों की तमाम योजनाओं को कवर करते हुए एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभ का प्रवाह समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचे। और जहां कहीं संभव हो, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यक्रमों के अंतर्गत परिव्ययों/लक्ष्यों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कुछ अनुपात के आबंटन की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम "अल्पसंख्यक बहुल आबादी" अर्थात् ऐसी इकाई, जहां अल्पसंख्यक आबादी कुल आबादी का कम से कम 25% हो, जिला/उप–जिला इकाईयों को कवर करता है।

उद्देश्य :

(क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना;

(ख) मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केन्द्र सरकार के पदों पर भर्ती करना;

(ग) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की उपयुक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार लाना; और

(घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण एवं नियंत्रण।

(क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना– वर्तमान में इस खंड में अन्य मंत्रालयों/विभागों के निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है:

(i) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) की समुचित उपलब्धता:

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का उद्देश्य है, उपेक्षित वर्गों के बच्चों, गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं का सम्पूर्ण विकास। इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जैसे संपूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, पूर्व स्कूल व अनौपचारिक शिक्षा। आईसीडीएस प्रोजेक्ट और आंगनवाड़ी केन्द्र की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले गाँवों/प्रखण्डों में स्थापित की जाएगी ताकि इस योजना का लाभ ऐसे समुदायों को भी उचित रूप से मिल सके।

(ii) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना:

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसी अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे विद्यालयों की एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांवों/क्षेत्रों में स्थापित की जाएं।

(iii) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधनः

उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते थे।

(iv) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरणः

गहन क्षेत्र और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

(v) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतिः

अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना बनाई गई एवं कार्यान्वित की गई।

(vi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करनाः

सरकार, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सभी सम्भव सहायता देगी ताकि यह अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावी रूप से सुदृढ़ व व्यापक कर सके।

(ख) आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी : वर्तमान में इस खंड में अन्य मंत्रालयों/विभागों के निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया हैः

(i) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजनाः

(क) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) का पुनः नामकरण करते हुए उसका नाम आजीविका दिया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्व–रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य, बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा आय अर्जन संपत्तियां उपलब्ध करा कर, गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस एसजीएसवाइ योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत (कम से कम 15 प्रतिशत), ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है।।

(ख) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) के दो मुख्य घटक हैं : शहरी स्वरोजगार योजना (यूएसइपी) और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूइपी)। यूएसइपी और यूडब्ल्यूइपी के अन्तर्गत वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों का कतिपय प्रतिशत (कम से कम 15 प्रतिशत), अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।

(ii) तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयनः

अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में लगा

हुआ है या दस्तकारी द्वारा अपनी जीविका कमाता है। ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और जीविका क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए ''उत्कृष्टता केन्द्रों'' के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का चयन उसी आधार पर किया जाएगा ।

(iii) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को 1994 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य, अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। एन.एम.डी.एफ.सी. को अधिक इक्विटी सहायता देकर इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है जिससे कि यह अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा ।

(ख) स्वरोजगार पहलों के सृजन और उसे बनाये रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हैं :– खेती के लिए ऋण, लघु उद्योगों व छोटे कामधंधों के लिए ऋण, खुदरा व्यापार, व्यवसायी व स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण, घर के लिए ऋण व अन्य छोटे ऋण। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रेणियों में प्राथमिकता क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण का निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित है।

(iv) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती:

(क) राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए।

(ख) रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मामलों में भी, सम्बन्धित विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती करते समय अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों के साथ–साथ निजी कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है।

(ग) अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना–वर्तमान में इस खंड में अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल किया गया है:–

(i) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी:

इन्दिरा आवास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया गया है ।

(ii) अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति में सुधारः

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की योजनाओं के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार शहरी मलिन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देती है। जिससे इन बस्तियों में जन सुख–सुविधाएं और मूल सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों तथा इन समुदायों की घनी आबादी वाले नगरों/मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले।

(घ) साम्प्रदायिक दंगो की रोकथाम व नियंत्रणः

(i) साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथामः

सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा संभावित के रूप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में ऐसे जिला व पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अत्यधिक कुशलता, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में और अन्य कहीं भी, सांप्रदायिक तनाव को दूर करना प्रशासन की प्राथमिक डयूटियों में होना चाहिए।

(ii) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजनः

उन सभी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा में हिस्सा लेते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके।

(iii) साम्प्रदायिक दंगो के पीड़ितों का पुनर्वासः

साम्प्रदायिक दंगो के पीड़ितों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए शीघ्र उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

लक्षित समूह :

कार्यक्रम के तहत लक्षित समूह में अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में, जहां वास्तव में, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक बहुसंख्यक में हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए ही होगा।

***मंत्रालय/विभाग जिनकी योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया गया है :–**

कुल 11 मंत्रालयों/विभागों की विकास योजनाएं/कार्यक्रमों को निम्नानुसार शामिल किया गया है :

क्र. सं.	कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग का नाम	शामिल योजना/कार्यक्रम का नाम	अभ्युक्तियां
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	योजनाएं केवल अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं।
		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	
		मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	
		मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
		शिक्षा के संवर्धन हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.इ.एफ.) की योजनाएं	
		निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	
		राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की ऋण योजनाएं	
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
		• मदरसों (एस.पी.क्यू.इ.एम.) में गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना	विशेष पहल
		• अल्पसंख्यक संस्थानों (आई.डी.एम.आई.) की अवसंरचना विकास हेतु योजना	
		• उर्दू के शिक्षण हेतु अधिक संसाधन	
3.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं मुहैया कराने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका के रूप में पुनःनामित)	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
		इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाए.)	
5.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.)	स्वर्ण जयंगी शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
		• शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) • एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में निधियों/लाभों की निगरानी की जाती है।

क्र. सं.	कार्यान्वयन मंत्रालय / विभाग का नाम	शामिल योजना / कार्यक्रम का नाम	अभ्युक्तियां
6.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
7.	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऋण	अल्पसंख्यकों के सुवश्य निर्धारण की योजना
8.	शहरी विकास मंत्रालय	• शहरी अवसंरचना और सरकार (यू.आई.जी.) • छोटे और मझोले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में निधियों / लाभों की निगरानी की जाती है।
9.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में निधियों / लाभों की निगरानी की जाती है।
10.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	अल्पसंख्यकों की भर्ती हेतु विशेष विचार किए जाने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2007 का संशोधित दिशा–निर्देश।	विशेष पहल
11.	गृह मंत्रालय	साम्प्रदायिक सौहार्द पर संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक जुलाई 2008	विशेष पहल

निगरानी तंत्र : अल्पसंख्यकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र निम्नानुसार है :

क्र.सं.	स्तर	संक्षेप में निगरानी तंत्र
1.	केन्द्र	• सचिव (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) की अध्यक्षता में अन्य मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर प्रगति की निगरानी की जाती है। • सचिवों की समिति द्वारा प्रगति की समीक्षा छमाही आधार पर। • इसके बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी इस प्रगति से अवगत कराया जाता है।
2.	राज्य	• राज्य स्तर की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। • राज्य स्तरीय समिति में दो संसद सदस्य, एक लोक सभा से और एक केंद्र सरकार द्वारा नामित राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा का सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा नामित दो विधायक शामिल होते हैं। • राज्य स्तरीय समिति में शामिल एक सदस्य लोक सभा से और एक विधानसभा से होना चाहिए, जो उन राज्यों में किसी अल्पसंख्यक बहुल जिले से चुना गया हो। • राज्य स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है और यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजती है।
3.	जिला	• जिला स्तर की निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। • जिला स्तरीय समिति में जिले के सभी संसद सदस्यों और सभी विधायकों को शामिल किया जाता है। • इसके अलावा, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा से एक सांसद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। • जिला कलेक्टर को जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करनी होती है। • जिला स्तरीय समिति प्रगति की रिपोर्ट इसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अल्पसंख्यकों का कार्य देख रहे राज्य के विभाग को प्रस्तुत करती है।

• प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in देखें। संबद्ध मंत्रालय/विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा निर्देश मान्य होंगे।

अध्याय 12

''जन विकास कार्यक्रम''

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका आरंभ वर्ष 2008–09 में किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में लागू किया गया था। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (अ.ब.क्षे.) के स्थान पर नियोजन की इकाई के रूप में सघन अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले स्थानों पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी) बनाते हुए लक्षित अल्पसंख्यकों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित रखने के लिए, इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया है। कार्यक्रम के दायरे को अन्य योग्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों जैसे शहरों/नगरों में विस्तारित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 196 पिछड़े जिलों के 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) और 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों (एमसीटी) में इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। पहचान किए गए (एमसीबी) और (एमसीटी) की सूची संलग्नक में उपलब्ध है।

इस क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े आबादी वाले गांवों/ ब्लॉकों/मुहल्ले के सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है जिससे इस कार्यक्रम का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल सके, जिसमें मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा घटक है। यह क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसलिए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया गया है, बल्कि इसका नियतन पूरे क्षेत्र के लिए किया गया है।

एमएसडीपी द्वारा अंतरों को दूर करने वाली परियोजनाएं तथा अंतरों को दूर न करने वाली परियोजनाएं दोनों को ही संचालित किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उन्मुख आय सृजन के अवसरों के अलावा शिक्षा, साफ–सफाई, पक्के मकान, पेय जल और विद्युत आपूर्ति के प्रावधान से संबंधित परियोजनाओं को लिया जाएगा। जीवन स्तर में सुधार के लिए अपेक्षित संपर्क सड़क, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, आईसीडीएस केन्द्रों, कौशल विकास और विपणन सुविधाओं और आय सृजक गतिविधियां तथा विकास प्रक्रिया हेतु प्रेरक तत्व जैसे तथ्यों को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।

एमएसडीपी हेतु योजना तैयार करते समय, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कौशल प्रशिक्षण सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास को प्राथमिकता देंगे। राज्य को दिए गए नियतन का कम–से–कम 10% अल्पसंख्यक युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलापों हेतु निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं में शिक्षा को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए एमएसडीपी के तहत 9वीं कक्षा की अल्पसंख्यक छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें दी जा सकती हैं। छात्रा 8वीं कक्षा की निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हो और 9वीं कक्षा में पढ़ाई जारी रख रही हो और ऐसी छात्रा ''गरीबी रेखा से नीचे'' के परिवार से संबंधित होनी चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के तहत पुनर्गठित एमएसडीपी की मुख्य विशेषताएंः

क) नियोजन की इकाई क्षेत्र के रूप में अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक होगा।

ख) अन्य योग्य क्षेत्रों जैसे अल्पसंख्य बहुल नगरों/शहरों एवं गांवों के समूह में कार्यक्रम का विस्तार।

ग) जमीनी स्तर पर नियोजन सुनिश्चित करने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करने के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन।

घ) राज्यों की अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए 10 करोड़ रूपए की परियोजना को अनुमोदित करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

ड) ब्लॉक स्तरीय सूत्रधार की नियुक्ति।

च) स्वतंत्र निगरानी प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण शुरू करना।

छ) समवर्ती बेसलाइन सर्वेक्षण।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियांः

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल 3780 करोड़ रूपए में से 3733.90 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी और राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 31 मार्च,2012 तक 2935.29 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना (इआयो) घर–301221, स्वास्थ्य केंद्रों–2537, आंगनबाड़ी केंद्रों–27595, पेयजल आपूर्ति–35775, अत्तिरिक्त वर्ग के कमरे–13508, स्कूल बिल्डिंग–660, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों–72, पॉलिटेक्निक संस्थान–31, सौर लालटैन/सौर प्रकाश–30314 और छात्रावास–334 सहित कई योजनाएं संचालित की गईं।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए, एमएसडीपी के तहत 5775 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए थे। सितंबर,2013 तक, 1758 करोड़ रूपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी। एमएसडीपी के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना घर–29885, स्वास्थ्य केंद्रों–481,आंगनबाड़ी केंद्रों–5269, पेयजल आपूर्ति–17704, अत्तिरिक्त वर्ग के कमरे–4625, स्कूल बिल्डिंग–40, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों–41, पॉलिटेक्निक संस्थान–13 और छात्रावास–228 सहित कई योजनाएं संचालित की गईं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत शामिल किए गए राज्य/जिला–वार ब्लॉकों और शहरों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
1	अंडमान एवं निकोबार	निकोबार	कार निकोबार	
			नानकोरी	
	उप–योग	**1**	**2**	
2	आध्र प्रदेष	मेडक	न्यालकल	
			जहिराबाद	
			कोहिर	
		कडप्पा	रायचोटी	
				प्रोद्ददुर (एम)
				रायचोटी (सीटी)
		करनूल	नंदीकोटकुर	
			सरवेल	
			अटमाकुर	
			चांगलामारी	
				अदोनी (एम)
				गुंटकल (एम)
		निजामाबाद	रांजल	
			येदपल्ली	
				निजामाबाद (एम)
				बोधान (एम)
		अदिलाबाद	.	अदिलाबाद (एम)
			.	कागजनगर (एम)
		रंगारेड्डी	.	राजेंद्र नगर (एम)
			.	तंदुर (एम)
		गुंटुर	.	नरसरौपेट (एम)
		अनंतपुर	.	कादिरी (एम)
	उप–योग	**8**	**10**	**12**
3	अरूणाचल प्रदेष	तवांग	लुमला	
			तवांग	
			मुकतो	
		पश्चिम कमेंग	नफरा बुरागांव	
			दिरांग	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			कलकटांग	
		पूर्व कमेंग	सेप्पा	
			पक्के केस्संग	
		पपुम पारे	दोइमुख–किमिन	
			सगली	
		लोवर सुबंसरी	चाम्बंग	
			याचुली	
			पालिन	
		डब्ल्यू. सैंग	मेचुका	
			कयिंग–पयुम	
			बासर	
			गेंसी	
		यू. सियांग	तुतिंग	
		लोहित	नामसाई	
		चंगलांग	नमपोंग–मनमाऊ	
			खगम–मियाओ	
			बार्डुम्सा–दियुन	
		तिरप	नामसंग	
			निआउसा	
			पंगचाओ–वाक्का	
		पूर्व सियांग	रम्ले बंगो	
	उप–योग	**11**	**26**	
4	असम	कोकराझार	दोतोमा	
			कचुगांव	
			हातिधुरा	
			गोसाइगांव	
			सीदी–चिरांग पीटी.	
		धुबरी	अगामोनी	
			गोलोकगंज	
			रूप्सी पीटी	
			गौरीपुर	
			देबितोला	
			बिरशिंगजरूआ	
			महामाया	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			नायरालगा	
			बिलासीपारा	
			चपर–सालकोचा	
			जमादरहत	
			दक्षिण सलमारा	
			फेकमारी	
			मानकचर	
		गोलपारा	कुशधावा	
			जलेसवर	
			लखिपुर	
			खरमुजा	
			बलिजाना	
			कृष्णाई	
			मतिया	
			दुधनई	
		बोगायीगांव	सीदली–चिरांग पीटी.	
			बैतमरी	
			सृजनग्राम	
			तपातरी	
			मनिकपुर	
		बरपेटा	गोबरधना	
			चकचका	
			रूपसी पीटी	
			मंडिया	
			चेंगा	
			गुमाफुलवाड़ी	
			भवानीपुर	
			पकबेतबारी	
			बरपेटा	
			सरूखेतरी	
		कामरूप	बिहदिया–जजिकोना	
			बचेरा	
			रंगिया	
			हाजो	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			गोराइमरी	
			बानगांव	
			चमरिया	
		नलबरी	बरिगोग–बनभग	
			मधुपुर	
			बरखेतरी	
		दरंग	उदलगुरि	
			सिपाछर	
			पब–मंगलदाई	
			कलाईगांव	
			बेचिमारी	
			दोलगांव–सियालमारी	
			रोवता	
		मारीगांव	भुरबंधा	
			मयांग	
			लहरीघाट	
			मेराबरी पीटी	
			कपिली पीटी.	
		नागांव	पश्चिम–कालियाबोर	
			पखिमरिया	
			रहा	
			बजियागांव	
			लावोखोवा	
			मैराबरी पीटी.	
			बतादरवा	
			जुरिया	
			रूपाही	
			खागरीजन	
			कथियातोली	
			बिन्नाकांडी	
			जुगिजन	
			धल पखूरी	
			उदली	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			लमदिंग	
		सोनितपुर	चटिया	
			धेकियाजुली	
			गभरू	
			बरचाला	
			बलीपारा	
			बिशवनाथ	
		लखिमपुर	लखिमपुर	
			करूनाबरी	
			नोवबोइचा	
				उत्तर लखिमपुर (एमबी)
		कारबी आंगलोंग	बोकाजन	
			निलिप	
		नोर्थ कछार हिल्स	न्यू संगबार	
			हरंगजाऊ	
			जतिगां वेली	
		कछार	कातिगोराह	
			सलचपरा	
			बारखोला	
			कलैन	
			सिलचर	
			उदारबोंद	
			सोनाई	
			नरशिंगपुर	
			पालनघाट	
			बसकांडी	
			लखिपुर	
			बिन्नाकांडी	
		करीमगंज	नोर्थ करीमगंज	
			साउथ करीमगंज	
			बदरपुर	
			पथेरकांडी	
			लोवाईरपोआ	
			रामकृष्ण नगर	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			दुल्लावचेरा	
		हैलाकांडी	अलगापुर	
			हैलाकांडी	
			लाला	
			कत्लीचेरा	
			साउथ हैलाकांडी	
	उप–योग	**17**	**118**	**1**
5	बिहार	परिश्चम चंपारन	मैनातंत्र	
			नरकटियागंज	
			लौरिया	
			सिक्ता	
		सीतामढ़ी	बैरगनिया	
			बोखारा	
			परीहार	
			बजपत्ती	
			पुप्री	
			नानपुर	
		मधुबनी	कलुवाही	
			मधुबनी	
			बिस्फी	
				मधुबनी (एम)
		सुपौल	बसंतपुर	सुपौल (एम)
		अररीया	नरपतगंज	
			रानीगंज	
			फोरबेसगंज	
			अररीया	
			सिक्ती	
			पलासी	
			जोकिहट	
		किशनगंज	तेरहागछ	
			दिघलबैंक	
			ठाकुरगंज	
			पोथिया	
			बहादुरगंज	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			कोचाधामिन	
			किशनगंज	
		पूर्णिया	कृत्यानंद नगर	
			पूर्णिया ईस्ट	
			कस्बा	
			श्रीनगर	
			जलालगढ़	
			अमौर	
			बैसा	
			बैसी	
			दगरूआ	
		कटिहार	फाल्का	
			कोरहा	
			हसनगंज	
			कदवा	
			बलरामपुर	
			बरसोई	
			आजमनगर	
			प्राणपुर	
			कटिहार	
			मानसाही	
			बरारी	
			मनिहारी	
			अम्दाबाद	
		दरभंगा	दरभंगा	
			मानीगच्ची	
			अलीनगर	
			हयाघट	
			जाले	
			सिंघवारा	
			कोतिरानवेय	
			किरातपुर	
			गोरा बैराम	
		गोपालगंज	उचकागांव	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			माझां	
			थावे	
		सिवान	हसनपुरा	
			हुसाइंगंज	
			बरहारिया	
				सिवान (एम)
		भागलपुर	सोनहौला	
			जगदीशपुर	भागलपुर (एम कोर्प)
		बांका	धुरैया	
		वैशाली	चेहरा कालन	
		समस्तीपुर	ताजपुर	
		पूर्व चंपारन	अदापुर	
			रामगढ़वा	
			बंजारिया	
			नरकटिया	
			थाका	
		नालंदा		बिहार (एम)
		पटना		फुलवारी शरीफ (एनए)
		रोहतास		सासाराम (एम)
		नवादा		नवादा (एम)
	उप–योग	**20**	**75**	**8**
6	छत्तीसगढ़	जशपुर	कंसाबेल	
			दुलदुला	
			मनोरा	
			जषपुरनगर	
			कुनकुरी	
	उप–योग	**1**	**6**	
7	दिल्ली	उत्तर–पूर्व दिल्ली	उत्तर–पूर्व	
	उप–योग	**1**	**1**	
8	गुजरात	कच्छ	लखपत	
			भुज	
			अब्दसा	
			गांधीधाम	
	उप –योग	**1**	**4**	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
9	हरियाणा	कैथल	गुहला	
		फतेहबाद	टोहाना	
			रतिया	
		सिरसा	दबवाली	
			ओढान	
			बारागुधा	
			एल्लनाबाद	
		गुड़गावं + मेवात	तावडु	
			नुह	
			नगिना	
			फिरोजपुर झिरका	
			पुन्हाना	
		फरीदाबाद	हथीन	
		यमुनानगर	सदौरा	
			छछरौली	
	उप–योग	**6**	**15**	
10	जम्मू एवं कश्मीर	लेह (लद्दाख)	नोबरा	
			लेह	
			खालसी	
			न्योमा	
			खारू	
			दुरबुक	
		राजैरी	नोवशेरा	
	उप–योग	**2**	**7**	
11	झारखंड	पलामु	महुआदान	
		गिरीडिह	धनवार	
			गंडे	
			.	गिरीडिह (एम)
		देवघर	पालोजारी	
			मधुपुर	
			करोन	
		गोड्डा	पथरगामा	
			महागामा	
		साहिबगंज	बरहेत	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			साहिबगंज	
			मनङ्रो	
			राजमहल	
			उधवा	
			पथना	
			बरहरवा	
		पकौर	लिटिपारा	
			हिरनपुर	
			पकौर	
			महेशपुर	
		दुमका	शिकारीपारा	
			नारायणपुर	
		रांची	कांके	
			चनहो	
			बेरो	
			मंदार	
			तोरपा	
			रानिया	
			मुरहु	
		लोहारदागा	कुरू	
		गुमला	कामदारा	
			बसिया	
			चेनपुर	
			दुमरी	
			राइदिह	
			सिमदेगा	
			कुरदेग	
			बोलबा	
			थेथाइटनगर	
			कोलेबिरा	
			जलडेगा	
			बानो	
		गर्हवा	गर्हवा	
		हजारीबाग	कटकमसंडी	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
		धनबाद	गोबिंदपुरी	
				भुली (सीटी)
				झारिया (एनए)
				जोरापोखार (सीटी)
	उप–योग	**13**	**44**	**4**
12	कर्नाटक	बिदर	बिदर	
			होमनाबाद	
		गुलबर्गा	चितापुर	
		बागलकोट	.	जमखंडी (टीएमसी)
			.	बागलकोट (सीएमसी)
		रायचुर	.	रायचुर (सीएमसी)
			.	सिंधनुर (टीएमसी)
		कोप्पल	.	गंगावती (सीएमसी)
			.	कोप्पल (टीएमसी)
		हवेरी	.	हवेरी (टीएमसी)
		बेलारी	.	होसपेट (सीएमसी)
	उप–योग	**7**	**3**	**8**
13	केरल	वेयनाड	पनमरम्	
			मानंथवाड़ी	
			कलपेट्टा	
			सुल्तानबथेरी	
		मलपुरम	.	पोन्नानी (एम)
	उप–योग	**2**	**4**	**1**
14	मध्य प्रदेष	शिओपुर	.	शिओपुर (एम)
		इंदौर	.	मऊ केंट (सीबी)
		वेस्ट निमार	.	खारगोन (एम)
		ईसट निमार	.	बुरहानपुर (एम कोरप)
	उप–योग	**4**	–	**4**
15	महाराष्ट्र	बुलदाना	शेगांव	
			चिखली	
			बुलदाना	
			खमगांव	
		वाशिम	मनगरूलपिर	
			करंजा	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
		यावातमाल	नेर	
		हिंगोली	हिंगोली	
		जलगांव		चोपड़ा (एम सीआई)
		परभनी		परभनी (एम सीआई)
		जलना		जलना (एम सीआई)
		बिद		परली (एम सीआई)
		लातुर		लातुर (एम सीआई)
				उदगिर (एम सीआई)
	उप–योग	**9**	**8**	**6**
16	मणिपुर	सेनापति	कांगपोकपी टी.डी. ब्लॉक	
			सैतु गमफाजोल टी.डी. ब्लॉक	
			सैकुल टी.डी. ब्लॉक	
		तमेंगलोंग	तौसम टी.डी. ब्लॉक	
			तमेई टी.डी. ब्लॉक	
			तमेंगलोंग टी.डी. ब्लॉक	
			नुनग्बा टी.डी. ब्लॉक	
		चुराचांदपुर	परबुग टी.डी. ब्लॉक	
			थानलोन टी.डी. ब्लॉक	
			हेंगलेप टी.डी. ब्लॉक	
			समुलामलान	
			चुराचांदपुर	
			सिंग्नगाट टी.डी. ब्लॉक	
		थौबल	थौबल सी.डी. ब्लॉक	
		इम्फाल ईस्ट	इम्फाल ईस्ट–II सी.डी. ब्लॉक	
			जिरिबम सी.डी. ब्लॉक	
		उखरूल	चिंगाई टी.डी. ब्लॉक	
			उखरूल टी.डी. ब्लॉक	
			कामजोंग चस्साद टी.डी. ब्लॉक	
			फुंगयार फाइसत टी.डी. ब्लॉक	
			कसोम खुल्लेन टी.डी. ब्लॉक	
		चंडेल	माची टी.डी. ब्लॉक	
			तेंगनौपल टी.डी. ब्लॉक	
			चंडेल टी.डी. ब्लॉक	
			चकपिकारोंग टी.डी. ब्लॉक	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
	उप–योग	**7**	**25**	
17	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	जिकजक	
			सेलसेला	
	उप–योग	**1**	**2**	
18	मिजोरम	ममित	वेस्ट फाईलेंग	
		लांगतलाई	लांगतलाई	
			चांगते	
	उप–योग	**2**	**3**	
19	ओडिशा	सुन्दरगढ़	बलिसंकरा	
			गुरुंडिया	
			सबदेगा	
			कुतरा	
			कुआरमुण्डा	
			नगांव	
			राजागंगापुर	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का	
			ठीक ठीक नाम राज्य सरकार	
			द्वारा सुनिष्चित किया जाएगा)	
		गजापति	आर. उदयगिरी	
			मोहना	
			नगड़ा	
			गुमा	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का	
			ठीक ठीक नाम राज्य सरकार	
			द्वारा सुनिष्चित किया जाएगा)	
		कंधमाल	कोटागढ़	
			दरिंगबड़ी	
			गांव वर्गीकृत नहीं (ब्लॉक का	
			ठीक ठीक नाम राज्य सरकार	
			द्वारा सुनिष्चित किया जाएगा)	
		रायगढ़	चंद्रपुर	
			गुनूपुर	
		भद्रक		भद्रक (एम)
	उप–योग	**5**	**19**	**1**

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
20	पंजाब	संगरुर	मलेरकोटला–I	
			मलेरकोटला–II	
		गुरदासपुर	धारीवाल	
			गुरदासपुर	
			कलानौर	
			डेरा बाबा नानक	
	उप–योग	**2**	**6**	
21	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	
		अलवर	लक्षमनगढ़	
			किसनगढ़ बस	
			तिजरा	
			रामगढ़	
		भरतपुर	कमन	
			नगर	
		जैसलमर	सम	
			संकरा	
		बरमेर	चोहतन	
		सवाई माधोपुर	.	गंगापुर सिटी (एम)
		नागौर	.	मकराना (एम)
		टोंक	.	टोंक (एमसीआई)
	उप–योग	**8**	**10**	**3**
22	सिक्किम	उत्तर	मनगन	
			चुगंथांग	
	उप–योग	**1**	**2**	
23	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	मेलाघर	
			बोक्सानगर	
			कथलिया	
		दक्षिण त्रिपुरा	कारबुक	
			रूपाईछरी	
		धलाई	दुम्बुरनगर	
			छमनु	
		उत्तर त्रिपुरा	दास्दा	
			गौरनगर	
			कदमतला	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			पेंचरथल	
			जम्पूई हिल्स	
	उप–योग	**4**	**12**	
24	उत्तर प्रदेष	सहारनपुर	नागल	
			सदौली कदीम	
			मुजफ्फराबाद	
			पुवारका	
			बलिया खेरी	
			सरसवान	
			गनगोह	
			दियोबंद	
			फोरेस्ट विलेज	
		मुजफ्फर नगर	उन	
			कंधला	
			कैराना	
			थाना भवन	
			चर्थवाल	
			पुर्काजी	
			मुजफ्फरनगर	
			बघारा	
			बुधाना	
			शाहपुर	
			मोरना	
			जनसथ	
		बिजनौर	मोहम्मदपुर डियोमल	
			नाजीबाबाद	
			किरतपुर	
			हल्द्वार (खरी झलु)	
			कोतवली	
			अफजलगढ़ (कासिमपुर गढ़ी)	
			नेहतौर	
			अल्लाहपुर	
			बुधानपुर सोहारा	
			जलीलपुर	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			नूरपुर	
			फोरेस्ट विलेज	
		मुरादाबाद	बिलारी	
			पनवासा	
			ठाकुरद्वारा	
			दिलारी	
			छजलेट	
			भगतपुर टांडा	
			मुरादाबाद	
			मुंडा पाण्डेय	
			दिंगारपुर	
			असमौली	
			सम्भल	
		रामपुर	सौर	
			बिलासपुर	
			सैदनगर	
			चमराऊ	
			शाहाबाद	
			फोरेस्ट विलेज	
		ज्योतिबा फुले नगर	धनौरा	
			अमरोहा	
			असमौली	
			जोया	
			गजरौला	
		मेरठ	जनिखुर्द	
			राजपुरा	
			सरूरपुर खुर्द	
			परिक्षितगढ़	
			मचरा	
			मेरठ	
			खरखोड़ा	
		गाजियाबाद	भोजपुर	
			हापुर	
			गढ़ मुक्तेश्वर	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			राजापुर	
			धौलाना	
			सिम्भावली	
		बरेली	फतेहगंज पश्चिम	
			बहेरी	
			शेरगढ़	
			रिछा	
			भोजीपुरा	
			बिथरिचैनपुर	
			नवाबगंज	
		बाराबंकी	फतेहपुर	
			सिरौली गौसपुर	
			मसौली	
		फैजाबाद	मवेई	
			पुरेदालाई	
		सुल्तानपुर	कुर्वा	
			सिंहपुर	
			शुकुल बाजार	
			जगदीशपुर	
			दुबेपुर	
		बहराईच	हुजूरपुर	
			नवाबगंज	
			बलाहा	
			रजिया	
			चितौड़ा	
			तजवापुर	
			फखारपुर	
			केसरगंज	
			जरवाल	
		श्रावस्ती	हरीहरपुर रानी	
			जमुनाहा	
			सिरसिया	
		बलरामपुर	तुलसीपुर	
			गेसरी	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			पचपेरवा	
			श्री दत्त गंज	
			उत्रौला	
			गैनदास बुजुर्ग	
			रेहरा बाजार	
		गोंडा	इटिया ठोक	
			मुजहाना	
			हल्धरमऊ	
			बभनजोत	
		सिद्धार्थ नगर	शोहराजगढ़	
			नवगढ़	
			मिथवाल	
			भनवापुर	
			बरहनी बजार	
			बिर्दपुर	
			इटवा	
			खुनियोन	
			डोमरियागंज	
		संत कबीर नगर	सोथा	
			बघौली	
			सेमरियावन	
		आजमगढ़	साथियों	
			मुहम्मदपुर	
			मिर्जापुर	
				मुबारकपुर (एमबी)
		बुलदंशहर	गुलौथी	
			बुलंदशहर	
		राय बरेली	सिंहपुर	
			बहादुरपरु	
		बाघपत	छपरौली	
			पिलाना	
		सीतापुर	लहरपुर	
			बिसवन	
			महमुदाबाद	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
				लहरपुर (एमबी)
		बदायूं	दहगवन	
			कादर चौक	
		बस्ती	रामनगर	
		ईटा	गंज दुंडवारा	
		शाहजहांपुर	खुतर	
		खीरी	कुम्भीगोला	
			बंकेईगंज	
			फूलबेहर	
		गाजीपुर	भदौरा	
		महराजगंज	पर्थवाल	
		पीलीभीत	अमरिया	
			पुरानपुर	
		गौतमबुद्ध नगर	.	दादरी (एमबी)
		अलीगढ़	.	अलीगढ़ (एम कोरप.)
		फिरोजाबाद	.	फिरोजाबाद (एमबी)
		हरदोई	.	शाहाबाद (एमबी)
		उन्नव	.	उन्नव (एमबी)
		कनौज	.	छिबरामऊ (एमबी)
			.	कनौज (एमबी)
		ईटावा	.	ईटावा (एमबी)
		कानपुर नगर	.	कानपुर (सीबी)
		जलाउं	.	जलाउं (एमबी)
			.	कोंच (एमबी)
		महोबा	.	महोबा (एमबी)
		फतेहपुर	.	फतेहपुर (एमबी)
		प्रतापगढ़	.	बेला प्रतापगढ़ (एमबी)
		अम्बेड़कर नगर	.	टांडा (एमबी)
		संत रविदास नगर	भदोही	भदोही (एमबी)
	उप–योग	**41**	**144**	**18**
25	उत्तराखंड	गढ़वाल	फोरेस्ट विलेज	
		उघम सिंह नगर	फोरेस्ट विलेज	
			रूद्रपुर	
			जसपुर	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			काशीपुर	
			बजपुर	
			सीतारगंज	
		हरिद्वार	भगवानपुर	
			रूड़की	
			नरसन	
			बहादराबाद	
			लाकसर	
			फोरेस्ट विलेज	
		देहरादून	विकास नगर	
	उप–योग	**4**	**14**	
26	पश्चिम बंगाल	दार्जलिंग	गोरूबथान	
			जेरबंगला सुकियापोखरी	
			कुरसियोंग	
			रंगली रंगलिवोट	
			कालिमपोंग–I	
			कालिमपोंग–II	
			फांसिदेवा	
		कूच विहार	सिताई	
			हल्दीबारी	
			तुफानगंज–I	
			कूच बिहार–I	
			दिनहाता–I	
			दिनहाता–II	
			सीतालकुची	
		उत्तर दिनाजपुर	चोपरा	
			इस्लामपुर	
			गोलपोखर–I	
			गोलपोखर–II	
			करणदिघि	
			रायगंज	
			हेमताबाद	
			इतहार	
		दक्षिण दिनाजपुर	बंसहरी	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			तपन	
			कुशमुंडी	
			गंगारामपुर	
			कुमारगंज	
			हरिरामपुर	
		मालदाह	मलदाह (पूरानी)	
			हरिशचंद्रपुर–I	
			हरिशचंद्रपुर–II	
			चंचल–I	
			चंचल–II	
			रतुआ–I	
			रतुआ–II	
			इंग्लिश बाजार	
			मानिकचक	
			कालियाचक–I	
			कालियाचक–II	
			कालियाचक–III	
		मुर्शिदाबाद	फरक्का	
			समसेरगंज	
			सुति–I	
			सुति–II	
			रघुनाथगंज–I	
			रघुनाथगंज–II	
			लालगोला	
			सागरदिघि	
			भगवानगोला–I	
			भगवानगोला–II	
			रानीनगर–II	
			जालांगी	
			दोमकाल	
			रानीनगर–I	
			मुर्शिदाबाद जयगंज	
			नाबाग्राम	
			खरग्राम	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			कांडी	
			बेरहामपोर	
			हरीहरपारा	
			नवादा	
			बेलदंगा–I	
			बेलदंगा–II	
			भारतपुर–II	
			भारतपुर–I	
			बुरवान	
		बीरभूम	सुरी–I	
			मयुरेशवर–I	
			लाबपुर	
			मोहम्मद बाजार	
			मुरारी–I	
			मुरारी–II	
			नलहाटी–I	
			नलहाटी–II	
			रामपुरहट–I	
			रामपुरहट–II	
			सुरी–II	
			नानूर	
			इलमबाजार	
			दुबराजपुर	
		बर्द्धमान	कटवा–I	
			पुरबस्थली–II	
			भटर	
			गल्सी–I	
			बर्द्धवान–I	
			कलना–I	
			रैना–I	
			मंगोलकोटे	
			केतुग्राम–I	
			मांटेशवर	
			खंडाघोश	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
		नादिया	हरिंघटा	
			करीमपुर–I	
			करीमपुर–II	
			तेहाट्टा–I	
			तेहाट्टा–II	
			कालीगंज	
			नकाशीपारा	
			चापरा	
			कृष्णनकर– II	
			नाबाद्वीप	
		उत्तर 24 परगना	हबरा– I	
			संदेषखली– I	
			स्वरूपनगर	
			हबरा– II	
			आमदंगा	
			बरासत– I	
			बरासत–II	
			देगंगा	
			बदुरिया	
			बसिरहट– I	
			बसिरहट– II	
			हरोवा	
			राजरहट	
			मिनाखान	
			हसनाबाद	
		मेदिनीपुर	केशपुर	
			सुताहाटा–I	
			नंदीग्राम– I	
		हावड़ा	आमता– I	
			जगतबल्लावपुर	
			दोमजुर	
			संकरैल	
			पंचला	
			उल्लुबेरिया– II	

क्रम सं.	राज्य	जिला	एमएसडीपी के अंतर्गत यथा प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/नगरों के नाम	
			ब्लॉक	शहर
			उल्लुबेरिया– I	
			बागनान–I	
		दक्षिण 24 परगना	कुलताली	
			बज–बज– II	
			थाकुरपुकुर महेसटोला	
			बज–बज– I	
			बिश्णुपुर–I	
			बिश्णुपुर–II	
			भांगर–I	
			भांगर–II	
			केंनिंग–I	
			केंनिंग–II	
			बरूईपुर	
			मगराहट–II	
			मगराहट–I	
			फाल्ता	
			डायमंड हारबर–I	
			डायमंड हारबर–II	
			कुल्पि	
			मंदीरबाजार	
			मथुरापुर– I	
			जयनगर–I	
			जयनगर–II	
			बसंती	
		जलपाईगुड़ी	माल	
			कालचीनी	
	उप–योग	**14**	**151**	
	योग	**196**	**710**	**66**

परिशिष्ट–II

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत एमसीबी/नगरों/शहरों/समूहों हेतु योजना प्रस्ताव का जिला–वार सार

1. जिला और राज्य का नामः .....

2. प्रस्ताव में शामिल एमसीबी/नगरों/समूहों का नामः .....

3. योजना प्रस्ताव की भेजी जाने वाली कुल राशिः .....

घोषणा :

(i) (क) यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तावित सभी स्थान को अपने आवाह क्षेत्र में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी है।

(ख) यदि नहीं, ऐसे किसी स्थान को शामिल करने हेतु उचित औचित्य।

(ग) यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी स्कूल जहां अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला तथा छात्रावास प्रस्तावित हैं, कम से कम 25% अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन हो।

(ii) विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित लागत अनुमान, उस प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों/परिकल्पना के आधार पर कुल व्युत्पन्न मानकीकृत लागत के अनुसार है।

(iii) यह सुनिश्चित किया गया है कि यहां केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी योजना के साथ कार्य की कोई पुनरावृत्ति नहीं है तथा इस संदर्भ में संबंधित निदेशक/मिशन निदेशक से परामर्श कर लिया गया है।

(iv) सभी निर्माण कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध है।

(v) इस योजना में प्रस्तावित परिसंपत्तियों से संबंधित रख–रखाव और आवर्ती लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(vi) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए योजना प्रस्ताव को राज्य–वार समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

(vii) पेयजल आपूर्ति योजना की परियोजनाओं को राज्य स्तर की योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निजी सचिव/सचिव
(नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)
..... **विभाग**
..... **सरकार**

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

राज्य स्तर समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव का ब्लॉक/नगर/समूह–वार ब्यौरे

क्रम.सं.	परियोजनाओं के नाम	गैप फिलिंग अथवा नॉन–गैप फिलिंग परियोजनाएं (यदि गैप फिलिंग, केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित है)	इकाइयों की संख्या	ईकाई लागत	कुल लागत	साझा अनुपात	केन्द्र का शेयर	राज्य का शेयर	प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कार्य निष्पादन एजेंसियां
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
उप–योग									
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
उप–योग									
(3) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
उप–योग									
(4) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम									
1									
2									
3									
उप–योग									
सकल योग									

डीएलसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

निजी सचिव/सचिव
(नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

उपयोग प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :

बहुक्षेत्रीय विकास योजना से अनुमादित वित्तीय सहायता : ..... लाख रूपए

अब तक की तिथि तक जारी राशि (विवरण निम्नलिखित क्रम में) :

क्रम सं.	पत्र सं. और तिथि	राशि
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/दिनांक 2013	..... लाख रुपए
2.		

वर्तमान निर्मुक्ति/निर्मुक्तियां, जिसके लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है :

1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/दिनांक 2013	..... लाख रुपए
2.		
3.		

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष..... के दौरान दिनांक .....2013 के पत्र सं. ..... अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई .....लाख रूपए {(शब्दों में).....} की राशि में से .....लाख रूपए {(शब्दों में).....}, जो पिछले वर्ष व्यय न हुई शेष राशि के रूप में है, ...लाख रू0 {(शब्दों में)..... .....} निम्नलिखित कार्यों के मद में उपयोग में लाई गई है :

(परियोजना का नाम)

संघटक/कार्य मद	उपयोग में लाई गई राशि
क.	
ख.	
ग.	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मै इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत, जिन शर्तों पर सहायता स्वीकृत की गई थी, मैं उन शर्तों को पूरा करता हूँ/पूरा किया जा रहा है और मैंने निम्नलिखित बातों की जांच यह देखने के लिए कर लिया है कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी, उसी प्रयोजन में राशि का उपयोग हुआ है।

वे बातें, जिनकी जांच की गई :

1. खाता बही और बाउचर
2. माप पुस्तक
3. सहायता अनुदान/ऋण पंजिका
4. व्यय पंजिका

दिनांक .....स्थिति के अनुसार शेष .....लाख रू0 उपयोग में लाए लाने के लिए अवशेष है:

विभाग सचिव द्वारा हस्ताक्षर	अल्पसंख्यक कार्य से जुड़े विभाग के सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर
नाम	नाम
तिथि	तिथि
स्थान	स्थान
कार्यालय की मुहर	कार्यालय की मुहर

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)–I के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	इकाइयों की सं.	ईकाई लागत	साझा अनुपात	अनुमोदित केन्द्रीय हिस्सेदारी	केन्द्रीय हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि							अनुमोदित राज्य हिस्सेदारी	राज्य हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि					
						प्रथम किस्त	प्रयुक्त	द्वितीय किस्त	प्रयुक्त	तीसरी किस्त	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त		प्रथम किस्त	प्रयुक्त	द्वितीय किस्त	प्रयुक्त	तीसरी किस्त	प्रयुक्त
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)	(xix)
(1)	**अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम**																		
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
	उप–योग																		
(2)	**अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम**																		
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
4																			
	उप–योग																		
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)																		
1																			
2																			
3																			
4	**उप–योग**																		
	सकल योग																		

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)–Iए (11वीं योजना के लिए) के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वास्तविक प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट

जिला का नाम : .....

राज्य स्तर समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव का ब्लॉक/नगर/समूह–वार ब्यौरे							
क्रम सं.	अनुमादित परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	पूर्ण इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या जहां कार्य प्रगति पर है।	इकाइयों की संख्या जहां–जहां कार्य शुरू नहीं हुए।	मद (iv) के तहत कार्य समापन की अनुमानित तिथि। मद (v) के तहत कार्य के संबंध में विलंब के लिए कारण	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
(1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)							
1							
2							
3							
योग							
(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)							
1							
2							
3							
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम							
(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)							
1							
2							
3							
योग							
(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)							
1							
2							
3							
योग							

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)–Iए (11वीं योजना के लिए) के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय प्रगति

..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट :

जिला का नाम .....

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	इकाईयों की सं.	इकाई लागत	साझा अनुपात	अनुमोदित केन्द्रीय हिस्सेदारी	केन्द्रीय हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि					अनुमोदित राज्य हिस्सेदारी	राज्य हिस्सेदारी के लिए जारी एवं प्रयुक्त निधि			
						प्रथम किस्त	प्रयुक्त	द्वितीय किस्त	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त		प्रथम किस्त	प्रयुक्त	द्वितीय किस्त	प्रयुक्त
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)
(1)	**अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम**														
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
(2)	**अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर/समूह का नाम**														
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	(दिनांक) ..... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित ..... (संख्या)														
1															
2															
3															
	उप–योग														
	सकल योग														

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)–Iए (11वीं योजना के लिए) के कार्यान्वयन पर जिला–वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट

वास्तविक प्रगति

.... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट

जिला का नाम : ....

राज्य स्तर समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव का ब्लॉक/नगर/समूह–वार ब्यौरे							
क्रम सं.	अनुमादित परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	पूर्ण इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या जहां कार्य प्रगति पर है।	इकाइयों की संख्या जहां–जहां कार्य शुरू नहीं हुए।	मद (iv) के तहत कार्य समापन की अनुमानित तिथि। मद (v) के तहत कार्य के संबंध में विलंब के लिए कारण	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	(दिनांक) .... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित .... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
	(दिनांक) .... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित .... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
	(दिनांक) .... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित .... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						
	(दिनांक) .... को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित .... (संख्या)						
1							
2							
3							
	योग						

भाग-III

महिला सशक्तीकरण

सत्यमेव जयते

अध्याय 13

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना

नई रोशनी, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया कराकर अल्पसंख्यक महिलाओं सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है। यह शतप्रतिशत केंद्रीय खंड योजना है।

लक्षित समूह

(क) लक्षित समूहों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों और जैन से संबंधित महिलाएं शामिल हैं। तथापि, समाज के बहुलता के स्वरूप को और सुदृढ़ता प्रदान करने तथा अपने भाग्य को संवारने के स्वयं के प्रयासों में समैक्य और एकता लाने की दृष्टि से, योजना में परियोजना प्रस्ताव के अधिकतम 25% तक मिश्रित रूप से गैर–अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को भी शामिल किये जाने की अनुमति है। संगठन द्वारा यह प्रयास किए जाने चाहिए कि इस 25% के समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं, विकलांग महिलाओं और अन्य समुदाय की महिलाओं का मिश्रित प्रतिनिधित्व हो।

(ख) पंचायती राज्य संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी समुदाय की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास किए जाएंगे।

क्रियान्वयन संगठन

(क) मंत्रालय इस योजना को गैर–सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/संस्थानों के माध्यम से लागू करता है जो महिलाओं को विशेश प्रशिक्षण मॉड्यूल पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चयन के लिए संगठनों को इस योजना के तहत निर्धारित अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना और कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल

- प्रशिक्षण मॉड्यूल में संविधान और विभिन्न अधिनियमों के तहत महिलाओं से संबंधित मुद्दों और अधिकारों

के साथ–साथ केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध अवसरों, सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी को शामिल किया जाता है।

प्रशिक्षण के प्रकार

(क) प्रशिक्षण दो तरह के होंगे (क) गांव/मुहल्लों में अर्थात् गैर–आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में (ख) आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में।

(ख) एक बैच 25 प्रशिक्षुओं का होगा

(ग) प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह अर्थात 6 दिनों की होगी।

पात्र महिला प्रशिक्षु

(क) यद्यपि कोई वार्षिक आय सीमा नहीं है, किन्तु उन महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में वरीयता दी जाएगी, जिन महिलाओं के अभिभावक अथवा माता–पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो।

(ख) लड़कियों/महिलाओं का आयु समूह 18–65 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ग) गैर–आवासीय प्रशिक्षण के मामले में इन प्रशिक्षुओं ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षु आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें छूट प्रदान करते हुए इसे 5वीं कक्षा तक किया जा सकता है। आवासीय प्रशिक्षण के मामले में इन प्रशिक्षुओं ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षु आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें छूट प्रदान करते हुए इसे 10वीं कक्षा तक किया जा सकता है।

महिला प्रशिक्षुओं की सूची

(क) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण संचालन हेतु चयनित संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/इलाकों से योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चयन, पहचान और प्रेरित करें।

(ख) महिला प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन हेतु संगठनों में ग्राम पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख शामिल होंगे और ऐसी सूचियां पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होंगी।

(ग) संगठन द्वारा प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले सूची प्रस्तुत की जाएगी।

वित्तीय सहायता :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता की अनुमति है :

(क) गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए 25 के 1 बैच हेतु – 71,550/– रु0 केवल।

(ख) आवासीय प्रशिक्षण के लिए 25 के 1 बैच हेतु – 221,250/– रु0 केवल।

- **देख–रेख एवं सहायता (हैंड होल्डिंग)**

(क) देख–रेख एवं सहायता, संगठन द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से लेकर अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक सेवा स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिन्होंने नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण लिया हो।

(ख) संगठन के सुविधा–प्रदाता परियोजना अवधि के दौरान एक माह में कम–से–कम एक बार शक्तिप्रदत्त महिलाओं की सहायता के लिए गांव/इलाकों का दौरा करेंगे।

(ग) यह, योजना की सफलता के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों को इस योजना में यथा परिकल्पित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता मिल रही है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल–मई में राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय समाचारपत्रों में संगठनों से प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए विज्ञापन दिया जाता है।

- इस योजना के अंतर्गत विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in देखें।

भाग-IV

कौशल विकास

अध्याय 14

"सीखो और कमाओ"

अल्पसंख्यकों का कौशल विकास

यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का मॉडयूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) और परम्परागत कौशलों में उन्नयन करते हुए उन्हें बाजार से जोड़ना है, जिससे उनके लिए स्व–रोजगार/रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

- **योजना का कार्यक्षेत्र**

(क) इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परम्परागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके अथवा वे स्व–रोजगार के लिए समुचित रूप से कुशल हो सकें।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉडयूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एमइएस पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशल जैसे कि कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, बुनाई, काष्ठ कार्य, चमड़े की वस्तुएं कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रम भी किसी विशिष्ट राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इससे एक तरफ अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का संरक्षण करने तथा दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

- **लक्षित समूह**

यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 6 (छः) अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के लाभ के लिए क्रियान्वित की जाएगी। तथापि, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहां उन पर भी कार्यक्रम हेतु विचार किया जा सकता है, किन्तु वे कुल सीटों के 5% से ज्यादा के हकदार नहीं होंगे।

- **पात्र संगठन**

योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से किया जाएगाः

(क) सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकारों/संघ राज्यों के प्रशासनों की सोसायटियां।

(ख) कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम विगत 3 वर्षों में कौशल विकास के पाठयक्रमों का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबद्ध हो तथा प्लेसमेंट रिकार्ड हो।

(ग) कोई भी उद्योग अथवा उद्योगों की ऐसोशिएसन जैसे कि एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान।

(ड.) अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सिविल सोसाईटियां (सीएस)/गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)।

केन्द्रीय/राज्य के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए अथवा बहिष्कृत किए गए संगठन पात्र नहीं होंगे।

- **पात्र प्रशिक्षणार्थी/लाभार्थी**

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14–35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शिक्षा कम से कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।

- **व्याप्ति**

(क) इस योजना की शुरुआत देश में कहीं पर भी की जा सकती है, किन्तु प्राथमिकता उन संगठनों को दी जाएगी जिसका उद्देश्य सुनिश्चत बाजार संबंधों से अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का विकास करना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों/ब्लॉकों/नगरों/गावों के समूहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव करना है।

(ख) योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लायी जा रही कलाओं और शिल्पों सहित पारंपरिक कौशलों का संवर्धन करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी तथा राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा।

- **बालिकाओं के लिए आरक्षण**

न्यूनतम 33% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

- **प्लेसमेंट गारंटी**

उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समग्र रूप से 75% प्लेसमेंट की गारंटी देंगे और उसमें से कम से कम 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

- **योजना के संघटक**

योजना के दो संघटक होंगे:

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) पारंपरिक व्यापारों/शिल्पों/कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम:

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होना है।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत किस्म का रोजगार मिले।

(iv) प्रत्येक प्रतिभागी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के विकल्पों में से अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(v) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे एमइएस दिशा–निर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

(vi) आधुनिक कौशलों हेतु कौशल प्रशिक्षण के उपरान्त 75% प्लेसमेंट होना चाहिए और उसमें से कम से कम 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(ख) परंपरागत ट्रेडों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम:

(I) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपेक्षित रोजगारपरकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

i. पारंपरिक ट्रेडों में लगे हुए युवाओं की पहचान और स्व–सहायता समूहों (एसएचजी)/प्रायोजक कंपनियों में समूहीकरण। स्व–सहायता समूहों में औसतन 20 सदस्य होंगे।

ii. युवाओं को उनके कौशल स्तरों (विषय प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण, सॉफ्ट कौशल, आईटी प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जो स्व–सहायता समूह को बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल विकसित करने में सक्षम बना सके।

iii. अग्रवर्ती (ग्राहक पहुँच) तथा पूर्ववर्ती लिंकेज (विक्रेता पहुँच) मुहैया कराना। इनको समझौता ज्ञापन की व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व–सहायता समूह के लिए निधियां जुटाना।

v. एसएचजी/उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन दल की सेवायें किराये पर लेने में सहायता देना।

(II) ये कार्यक्रम न्यूनतम 02 माह तथा चुनिंदा ट्रेड के लिए अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए है।

(III) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि इन क्रियाकलापों के उपरान्त युवाओं के लिए आय को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए उनके माध्यम से स्थापना और प्रचालन हेतु निधियों की उपलब्धता सहित कौशल युवाओं के स्व–सहायता समूह का सृजन किया जाना चाहिए।

(IV) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस) दिशा–निर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

- **संगठन के पास सुविधाएं**

(क) संगठन संस्थान में नामांकित बाह्य स्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं (पुरूष एवं महिला प्रशिक्षुओं के लिए अलग–अलग) सुनिश्चित करेगा।

(ख) संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पर्याप्त कक्षाएं, प्रदर्शन सुविधाएं, प्रसाधन (महिलाओं हेतु अलग प्रसाधन सहित) तथा अवसंरचना इत्यादि होनी चाहिए।

- **वित्तपोषण का स्वरूप**

(क) निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) परियोजना लागत की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को भी पूरा करते हों।

(ग) प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु प्रति लाभार्थी लागत मानक निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं तथा लागत ब्यौरे में नीचे दिए गए सभी संघटकों को अलग से शामिल किया जाना चाहिए :

लागत शीर्ष	अधिकतम अनुमत्य व्यय (आईएनआर)
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्क स्टेशनों इत्यादि सहित किराए संबंधी / पट्टा व्यय।	प्रति उम्मीदवार अधिकतम 20000 रुपये
किराए संबंधी, बिजली, पानी, जेनरेटर तथा अन्य संचालन व्ययों सहित प्रषिक्षण केन्द्रों का ओएण्डएम	
प्रषिक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन, चाय एवं यात्रा संबंधी खर्च	
प्रषिक्षकों का प्रषिक्षण तथा प्रवर्तन	
प्रषिक्षकों एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का वेतन, लर्निंग किट, मूल्याकन एवं प्रमाणीकरण सहित प्रषिक्षण खर्च	
एमआईएस वेबसाईट, ट्रैकिंग तथा अन्य मौनिटेरिंग सहित खर्च	
संस्थागत अधिशीर्ष (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10%)	
2000 रूपये प्रति माह की दर से प्लेसमेंट उपरान्त सहायता (प्लेस किए गए सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के उपरान्त 2 माह के लिए दिया जाएगा)	4000
उप–योग	24000
प्लेसमेंट के उपरान्त सहायता को छोड़कर सभी लागतों की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय और सभी शर्तों को पूरा करते हों।	**1000**
कुल लागत	**25000**

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी :

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन / आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रूपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रूपये की दर से मासिक वज़ीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रूपये प्रति माह होगा।

(क) पारंपरिक ट्रेडों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु लागत मानक निम्नानुसार हैं:

संगठन को गैर–आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 10000 / – रूपये तथा आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 13000 / – रूपये प्रतिमाह की दर से लागत दी जाएगी जिसमें अग्रलिखित शामिल होगा: (संगठन / संस्थान कार्यक्रम की अवधि के आधार पर आकलन प्रस्तुत करेंगे) (साथ ही इसमें एसएचजी निर्माण, प्रशिक्षण निधियां जुटाना, अग्रवर्ती एवं पूर्ववर्ती लिंकेज स्थापित करना तथा प्रबंधकीय टीम

की सेवाएं किराए पर लेना शामिल हैं)

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन/आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) के लिए 1500 रूपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रूपये की दर पर मासिक वज़ीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रूपये प्रति माह होगा।

(iii) कच्चा माल इत्यादि के खरीद हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 2000/– रूपये एकबारगी लागत के रूप में।

(iv) संकाय/सहायक स्टॉफ इत्यादि को मासिक पारिश्रमिक।

(v) अन्य प्रशिक्षण लागत।

(vi) परीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को पैनल में शामिल करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियाँ (पीआईए) मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in देखें।
- कौशल विकास प्रशिक्षण में रूचि रखने वाले पात्र अल्पसंख्यक युवा अपने क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए पैनल में शामिल एजेंसियों की जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minorityaffairs.gov.in देखें।

भाग-V

आर्थिक सशक्तीकरण

सत्यमेव जयते

अध्याय 15

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएँ (एनएमडीएफसी)

- **आवधिक ऋण**

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इसे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आवधिक ऋण योजना के अधीन वित्त पोषण के लिए 10.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। एनएमडीएफसी द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाता है, परंतु इसकी अधिकतम सीमा 9,00,000 रु. है। परियोजना की बाकी लागत राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी तथा लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। यद्यपि लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत अवश्य योगदान करना होता है। लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की दर घटते हुए शेष पर 6 प्रतिशत वार्षिक है। आवधिक ऋण योजना के अधीन किसी भी व्यावसायिक रूप से लाभप्रद तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के लिए विभिन्न खंडों जैसे कृषि एवं उससे संबंधित, तकनीकी व्यवसाय, लघु व्यापार, कारीगर एवं पारंपरिक व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में श्रेणीकृत किया गया है। योजना के मापदंड निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	मापदंड	योजना का विवरण
1	ऋण राषि	10.00 लाख रु. तक
2.	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	ऋण राषि पर – 50,000 रु. तक 5 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर – 50,000 रु. से अधिक 6 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए ब्याज दर	3 प्रतिषत वार्षिक
4.	अधिस्थगन काल	6 महीने
5.	लाभार्थियों के लिए चुकौती अवधि	5 वर्ष
6.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए चुकौती अवधि	8 वर्ष
7.	वित्त पोषण के साधन एनएमडीएफसी:एससीए: लाभार्थी योगदान	90:5:5
8.	उपयोग अवधि	3 महीने

• लघु वित्त

लघु वित्त पोषण योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लघु ऋण दिया जाता है, विशेषकर, दूर–दराज गांव और शहरों की मलिन बस्तियों में जीवन यापन कर रही अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को जो औपचारिक बैंकिंग ऋण और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एनएमडीएफसी की ऋण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। एनएमडीएफसी द्वारा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की तर्ज पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में यह भी पूर्व अपेक्षा की जाती है कि लाभार्थी पहले तो स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित हों तथा नियमित बचत करने की आदत बनाएं। योजना के अधीन वास्तविक गैर–सरकारी संगठनों और उनके स्वयं सहायता समूहों के जालतंत्र (नेटवर्क) के माध्यम से गरीबों में से भी अति गरीब व्यक्तियों को लघु ऋण प्रदान किया जाता है। यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है जो लाभार्थी के घर द्वार पर ऋण की तुरंत अदाएगी सुनिश्चित करती है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के मापदंड निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	मापदंड	योजना का विवरण
1.	ऋण राशि	स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए प्रति सदस्य 50,000/– रु. तक
2.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के लिए ब्याज दर	2% वार्षिक (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए 1% मार्जिन)
4.	गैर–सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक (गैर–सरकारी संगठनों के लिए 5% का मार्जिन)
5.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक (राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए 6% का मार्जिन)
6.	लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज दर	7% वार्षिक
7.	सीधे एनएमडीएफसी द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक (गैर–सरकारी संगठनों के लिए 6% वार्षिक मार्जिन)
8.	अधिस्थगन अवधि	3 माह
9.	गैर–सरकारी संगठनों/संघ को ऋण मंजूरी के लिए एससीए के पास प्रत्यायोजित अधिकार	प्रति गैर–सरकारी संगठन/संघ 25 लाख रु. की सीमा
10.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	3 वर्ष
11.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / गैर–सरकारी संगठनों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	4 वर्ष / 3 वर्ष
12.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / गैर–सरकारी संगठनों के लिए उपयोग अवधि	3 माह / 1 माह
13.	वित्त पोषण के साधन एनएमडीएफसी:एससीए:लाभार्थी योगदान	90 : 5 : 5

• शैक्षिक ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इसका कार्यान्वयन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों को रोजगारन्मुख शिक्षा देने के उद्देश्य से एनएमडीएफसी द्वारा शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अधीन व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 2.00 लाख रु. की दर से अधिकतम 10.00 लाख रु. की राशि उपलब्ध है। लघु अवधि के एक वर्ष तक की अवधि वाले लागत गहन कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 3.00 लाख रु. की राशि उपलब्ध है। 3 वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रु. की दर से 6.00 लाख रु. की राशि उपलब्ध है। आगे, विदेशों में पाठ्यक्रमों के लिए जोकि 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष 4.00 लाख रु. की दर से अधिकतम 20.00 लाख रु. की राशि उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 1 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे आगे लाभार्थियों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् ऋण की वापसी अधिकतम पाँच वर्षों में करनी होगी। योजना के मापदंड निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	मापदंड	योजना का विवरण
1.	ऋण राशि	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण राशि इस प्रकार होगी:– – एक वर्ष की अवधि के अल्प अवधि उच्च कौषल विकास प्राठ्यक्रम के लिए 3.00 लाख रु. तक। – 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ भारत में 'व्यावसायिक और रोजगारन्मुख' डिग्री पाठ्यक्रम' के लिए प्रतिवर्ष 2.00 लाख रु. की दर से 10.00 लाख रु. तक। – 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम' के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रु. की दर से 6.00 लाख रु. तक। – 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ 'विदेष में पाठ्यक्रम' के लिए प्रतिवर्ष 4.00 लाख रु. की दर से 20.00 लाख रु. तक।
2.	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर	3% वार्षिक
3.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए ब्याज दर	1% वार्षिक
4.	अधिस्थगन काल	6 महीने के पाठयक्रम के पूरा होने या रोजगार मिलने के बाद, जो भी पहले हो।
5.	ऋण स्वीकृति के लिए एससीए को प्रत्यायोजित प्राधिकार	प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को जमीनी हकीकत के आधार पर ऋण की स्वीकृति/संवितरण की सलाह दी गई है।
6.	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष
7.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के लिए पुनर्भुगतान की अवधि	5 वर्ष
8.	वित्त पोषण के साधन एनएमडीएफसी:एससीए: लाभार्थी योगदान	90 : 5 : 5

अध्याय 16

एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाएँ

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना**

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य लक्षित वैयक्तिक लाभार्थियों को स्व रोजगार/रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना है। एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 90 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण संस्थान सरकारी/मान्यता प्राप्त होना चाहिए। केवल उन क्रियान्वयन संगठनों/ प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जाएगा जो प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 80 प्रतिशत रोजगार/स्व–रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। योजना के मापदंड निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं	मापदंड	योजना का विवरण
1.	प्रषिक्षण लागत	प्रति माह प्रति प्रषिक्षणार्थी 2,000/– रु. तक
2.	प्रषिक्षण की अवधि	6 माह तक
3.	वजीफा	प्रति माह प्रति प्रषिक्षणार्थी 1,000/– रु. तक
4.	वित्त पोषण के साधन एनएमडीएफसी:एससीए/प्रषिक्षण संस्थान	90:10

- **विपणन सहायता कार्यक्रम**

एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रदर्शनियों में अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों को सहभागिता का अवसर प्रदान कर, उनके उत्पादों की बिक्री कर, विपणन सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना के मापदंड निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	मापदंड	संशोधित योजना
1.	एससीए स्तर पर प्रदर्शनी के आयोजन की लागत	क श्रेणी के शहरों के लिए 20,000 रु./स्टॉल ख श्रेणी के शहरों के लिए 16,000 रु./स्टॉल ग श्रेणी के शहरों के लिए 12,000 रु./स्टॉल घ श्रेणी के शहरों के लिए 10,000 रु./स्टॉल सभी महानगर क श्रेणी के शहर,महानगर के अलावा अन्य सभी राज्यों की राजधानियाँ ख श्रेणी के शहरों में हैं, जिला मुख्यालय ग श्रेणी के शहर और अन्य घ श्रेणी के शहर हैं।
2.	यात्रा भत्ता	2 व्यक्तियों (वास्तविक आधार पर) के लिए द्वितीय श्रेणी शयनयान या साधारण बस का किराया

3.	मंहगाई भत्ता	प्रत्येक कारीगर/स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 500/– रु.
4	प्रतिभागियों	कारीगरों/व्यक्तिगत लाभार्थी (प्रति स्टॉल 2 लाभार्थियों); उन स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास 10–15 सदस्य होंगे; स्टॉलों को 2:1: के अनुपात में स्वयं सहायता समूहों/कारीगरों/व्यक्तिगत लाभार्थियों में आवंटित किया जाएगा।
5	प्रदर्शनी में अधिकतम स्टॉल	संख्या 10–40
6	प्रदर्शनी की अधिकतम अवधि	सामान्यतः 2 सप्ताह
7	वित्त पोषण के साधन एनएमडीएफसी:एससीए/एनजीओ	90% : 10%

- **महिला समृद्धि योजना**

एनएमडीएफसी द्वारा महिला सदस्यों को सिलाई, कटिंग एवं कढ़ाई आदि व्यवसायों में स्वयं सहायता समूहों में गठित करने तथा उनको प्रशिक्षण देने के साथ–साथ लघु ऋण प्रदान करने के लिए इस अनूठी योजना को शुरू किया गया। एनएमडीएफसी द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छह माह है तथा प्रशिक्षण खर्च की अधिकतम सीमा प्रति प्रशिक्षार्थी 1,500 रु. प्रति माह है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी को 1,000 रु. प्रति माह वज़ीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण खर्च तथा वज़ीफे का भुगतान एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात, गठित स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अधिकतम 50,000 रु. का आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

- **डिज़ाइन विकास/कौशल उन्नयन के लिए सहायता**

शिल्पकारों को नए डिजाइनों को समझने तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के शिल्पकारों के लिए डिजाइन विकास/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जमा कराए गए प्रस्तावों का एनएमडीएफसी द्वारा स्वागत किया जाता है। मूल्यांकन करने के पश्चात प्रस्तावों की गुणवत्ता के आधार पर, एनएमडीएफसी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है।

एनएमडीएफसी से संपर्क करने के लिए कृपया दूरभाषः 011–22441442–44 से संपर्क करें और वेबसाइटः www.nmdfc.org देखें।

सत्यमेव जयते

भाग-VI

वक्फ़ विकास

वक्फ़ अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ़ बोर्डों के कार्यों/प्रक्रियाओं के अभिलेख रख–रखाव को सुगम बनाने, पारदर्शिता लाने और कम्प्यूटरीकरण करने तथा एकल वेब आधारित केंद्रीकृत अनुप्रयोग विकसित करने के उद्देश्य से, दिसम्बर, 2009 में राज्य वक्फ़ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना शुरू की।

उद्देश्य :

क. राज्य स्तर पर अनुरक्षित अर्थात राजस्व विभाग आदि के विभिन्न आंकड़ों के आधार पर वक्फ़ से संबंधित आकडों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच करना।

ख. विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर) द्वारा इस्तेमाल के लिए केन्द्रीकृत और वेब आधारित डाटाबेस का सृजन।

ग. संपत्ति पंजीकरण प्रबंधन, मुतावल्ली रिटर्न्स प्रबंधन, संपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंधन, वाद ट्रैकिंग प्रबंधन, और प्रलेख पुरालेखन तथा सुधार प्रबंधन।

घ. अतिक्रमण रोकने के लिए समन्वय विकसित करने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)।

ड. मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन।

च. शहरी वक्फ़ संपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंधन।

छ. वक्फ़ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट समय से सुनिश्चित किया जाना।

ज. सभी मैन्यूअल अभिलेखों, विलेखों और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण।

झ. वक्फ़ पंजिकाओं का मानकीकरण और स्वचलीकरण।

ञ. राज्य वक्फ़ बोर्डों से संबंधित अन्य क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण (वेतन और लेखा, स्थापना, प्रशासन, केन्द्रीय रजिस्ट्री आदि)

व्याप्ति :

सभी 30 राज्यों के वक्फ़ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ़ परिषद।

सहायता :

राज्य वक्फ़ बोर्डों को निम्नलिखित हेतु सहायता–अनुदान प्रदान किया जाता है :

क) केंद्रीय कम्प्यूटिंग सुविधाओं की स्थापना (सीसीएफ);

ख) तकनीकी सहायता हेतु लगाए गए कर्मचारियों को भुगतान;

ग) वक्फ़ अभिलेखों के मेटा डाटा का सृजन;

घ) वक्फ़ अभिलेखों का डिजिटीकरण; आदि

- इस योजना में 27.10 लाख रु0 प्रति राज्य वक्फ़ बोर्ड की दर से एक बारगी सहायता–अनुदान प्रदान किया जाता है।

ऑनलाइन सहायता :

- इस योजना में भारतीय वक्फ़ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) हेतु एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किए जाने की परिकल्पना है।
- वक्फ़ बोर्ड की योजनाओं के ब्यौरे के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in देखें।

अध्याय 18

केंद्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी)

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना राज्य वक्फ़ बोर्डों के कार्यों तथा देश की वक्फ़ संस्थाओं के सुचारू प्रशासन से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए एक वैधानिक संस्था के रूप में दिसम्बर, 1964 में की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष होता है, जो वक्फ़ मामलों का प्रभारी केंद्रीय मंत्री होता है और इसके अन्य सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होती तथा इनकी नियुक्ति निर्धारित अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा की जाती है। परिषद का सचिव मुख्य कार्यकारी होता है।

वक्फ़

चल या अचल संपत्ति का मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त धार्मिक, धर्मनिष्ठ या धर्मार्थ के उद्देश्य से स्थायी रूप से ''समर्पण'' वक्फ़ कहलाता है। वक्फ संस्थाएं मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक मामलों को देखती है। ये संस्थाएं केवल मस्जिदों और दरगाहों आदि का ही सहयोग नहीं करती, बल्कि समाज कल्याण के कार्यों में संलग्न स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और मुसाफिर खानों की भी सहायता करती है।

वक्फ़ का प्रशासन

वक्फ़ अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके द्वारा देश में वक्फ़ के हितों को बढ़ावा देने की आम चिंताओं के मुद्दों को उठाया जाता है। वक्फ़ अधिनियम 1954 में वक्फ़ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराना, केंद्रीय वक्फ़ परिषद का गठन करने और राज्य वक्फ़ बोर्डों आदि की स्थापना करने का प्रावधान था। इस वक्फ़ अधिनियम 1954 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की बेहतर व्याख्या के लिए इसमें कई बार आवश्यक संशोधन किए गए। यह वक्फ़ अधिनियम 1995 जम्मू एवं कश्मीर और दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर को छोड़कर देश भर में लागू है।

नवीनतम संशोधन 2013 में किए गए हैं और वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः–

(I) कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वक्फ़ का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया है और उसे एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाए। राज्य सरकार 3 महीने के भीतर सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति करेगी।

(ii) अतिक्रमण रोकने में असफल लोक सेवकों के खिलाफ प्रत्येक अपराध के लिए 15000/– रूपए की दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद को राज्य वक्फ़ बोर्डों को उनके प्रदर्शन, विशेष रूप से वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, वक्फ़ कार्यों के रखरखाव, राजस्व रिकार्ड और वक्फ़ संपत्तियों के अतिक्रमण रोकने के लिए दिशा–निर्देश जारी

करने का अधिकार दिया गया है।

(iv) राज्य वक्फ़ बोर्ड की स्थापना छह महीने की अवधि के भीतर की जाएगी।

(v) बिक्री, उपहार बंधक और वक्फ़ परिसंपत्तियों का हस्तांतरण को नए सिरे से शून्य कर दिया गया है, क्योंकि व्यापक रूप से यह महसूस किया जा रहा था कि इन हस्तांतरण के माध्यमों से बहुमूल्य वक्फ़ परिसंपत्तियों को विमुख किया जा रहा है। इससे बहुमूल्य वक्फ़ परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण को रोका जा सकेगा।

(vi) वाणिज्यिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए पट्टे की अवधि को वर्तमान 3 वर्षों से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया है।

(vii) वक्फ़ परिसम्पत्तियों के पट्टे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया।

(viii) वक्फ़ परिसम्पत्तियों के अपवर्तन को रोकने के लिए दो वर्षों के सश्रम करावास के साथ दंडात्मक कार्रवाई हेतु एक नई उप धारा को जोड़ा गया है। इसके अलावा बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर किसी अपराध का कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा।

(ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ़ परिसम्पत्तियों से अधिकरण के बेदखली के आदेश को लागू करने का अधिकार दिया गया।

(x) अधिकरण का दायरा विस्तृत किया गया है। अधिकरण, वक्फ़ या वक्फ़ परिसम्पत्तियों से संबंधित सभी विवादों, प्रश्नों और अन्य मुद्दों का निर्धारण करेगा और अधिरकण में एक अध्यक्ष होगा जो जिला, सत्र या सिविल जज प्रथम श्रेणी के पद से नीचे का नहीं होगा। अन्य दो सदस्य जिसमें एक राज्य सिविल सेवा के अधिकारी जो अतिरिक्त जिला मस्ट्रेट के समकक्ष होंगे और अन्य सदस्य मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे। अधिकरण, वक्फ़ या वक्फ़ परिसम्पत्तियों से संबंधित सभी विवादों, प्रश्नों और अन्य मुद्दों, किराएदार की बेदखली या पट्टादाता के अधिकार एवं दायित्व और ऐसी परिसंपत्ति के पट्टे का निर्धारण करेगा।

(xi) अधिकरण के आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर सरकारी एजेंसी के कब्जे की वक्फ़ संपत्तियों को बोर्ड या मुतावल्ली को लौटा दी जाएगी। इसके अलावा यदि संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होगी तो सरकारी एजेंसी को आवेदन देना होगा और अधिकरण द्वारा प्रचलित बाजार मूल्य पर किराया या मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा।

कार्य

केंद्रीय वक्फ़ परिषद निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

1. □हरी वक्फ़ संपत्तियों का विकास

(I) वक्फ़ भूमि पर मुख्य परियोजनाएं

शहरी वक्फ़ संपत्तियों की विकास योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय वक्फ़ परिषद द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के अधीन परिषद द्वारा संबद्ध राज्य वक्फ़ बोर्डों के माध्यम से वक्फ़ भूमि पर वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम भवन यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, नर्सिंग होम एवं शीत भंडार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(ii) वक्फ़ भूमि पर लघु परियोजनाएं

इस योजना के तहत परिषद द्वारा वक्फ़ भूमि पर आर्थिक/व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य लघु परियोजनाओं के लिए 50.00 लाख रू. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना ग्रामीण वक्फ़ संपत्तियों पर भी लागू होती है।

2. शैक्षिक योजना

केंद्रीय वक्फ़ परिषद द्वारा समुदाय के सामाजिक और कल्याणकारी कर्त्तव्यों को भी पूरा करने के के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को चलाया जाता है, जिसमें गैर–सरकारी संगठनों और तकनीकी संस्थाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए सीधे अनुदान सहायता दी जाती है।

वर्तमान में केंद्रीय वक्फ़ परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाने के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है:–

(i) तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और मदरसा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के आगे वितरण हेतु राज्य वक्फ़ बोर्डों को बराबर का अनुदान।

(ii) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आईटीआई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(iv) पुस्तकालयों को बुक–बैंक के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

केंद्रीय वक्फ़ परिषद, नई दिल्ली

(भारत सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय)

(व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व दिशा–निर्देशों को ध्यान–पूर्वक पढ़ लें)

1. शहरी विकास वक्फ़ संपत्तियों के लिए केंद्रीय वक्फ़ परिषद 12 सालों की आसान किस्तों में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। तथापि परिषद लाभत्वित ऋण संस्थानों से दान में 6 प्रतिशत तक शिक्षा कोश के लिए होता है। इस प्रकार परिषद के शिक्षा कोश से जो राशि तथा बैंकों में जमा राशि से प्राप्त ब्याज से शिक्षा कोश बनता है और जिसका उपयोग विभिन्न शिक्षा योजनाओं जैसे तकनीकी डिप्लोमा पाठयक्रमों, हाई स्कूल और मदरसा के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड को मिलान अनुदान, स्कूल के पुस्तकालयों में बुक बैंक को अनुदान; सामान्य पुस्तकालयों एवं,मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए आई टी आई स्थापित करने तथा पुस्तकालयों के लिए अनुदान आदि के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो भी केंद्रीय वक्फ़ परिषद की शिक्षा योजनाओं का ही हिस्सा है तथा एक सीमा में ही राशि उपलब्ध होती है। यह उन मामलों में प्रदान की जाती है जब कार्यक्रम को चलाना आवश्यक हो तथा बिना किसी वित्तीय सहायता के संगठन इसे चला नहीं पा रहे हों।

2. शिक्षा निधि, वक्फ़ निधि का हिस्सा है तो केवल मस्लिम समुदाय/संस्थान इस अनुदान के पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय विशेषतौर पर मुस्लिम महिलाओं का हित है। इसलिए जिन संस्थानों को व्यावसायिक तौर पर चलाया जा रहा है, वह अनुदान के इस अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

3. निधि के स्रोत सीमित हैं, इसलिए अनुदान अधिकतर उन संगठनों को दिया जाता है जो कि इस क्षेत्र में बहुत पहले से हैं तथा समुदाय के विकास में योगदान देते आ रहे हैं। इसलिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुदान के लिए इस क्षेत्र में कुछ अनुभव होना जरूरी है।

4. व्यापार की बाजार मूल्यता तथा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण हेतु व्यापार का चयन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

5. आवेदन जमा करते समय यह संकेत दे दिया जाए कि सोसायटी दो उद्देश्यों के साथ उत्पादन केंद्र स्थापित करने की स्थिति में हैः– (i) सभी उर्त्तीण छात्रों को प्रशिक्षण–सह–नौकरी उपलब्ध कराएगी; और (ii) प्रशिक्षण केंद्र पर खर्च के लिए कुछ आय उत्पन्न करेगी। यह गौर किया जाए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) इस प्रकार के उत्पादन केंद्र को ऋण प्रदान करती है तथा ऐसे मामले जिनमें केंद्रीय वक्फ़ परिषद द्वारा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा हो तो वह ऋण के लिए उनके मामले कि सिफारिश करती है। यह भी गौर किया जाए कि एनएमडीएफसी प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूहों को भी ऋण प्रदान करती है। इसलिए, इस प्रकार के संगठन के लिए 5–10 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो इसे अपने प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर सके तथा जीविका चलाने के लिए इससे पैसा भी कमा सके। इसके लिए कुछ उद्यमशील उन्मुखीकरण होना आवश्यक है।

6. आवेदन पत्र सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली न छोड़ें तथा पूरी जानकारी के साथ भरें। अधूरे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

7. दस्तावेजों की सभी फोटोकापियों को राजपत्रित अधिकारी या आवेदक सोसायटी/संस्था के मुखिया द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।

8. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां अवश्य संलग्न करें।

   i) पंजीकरण प्रमाणपत्र

   ii) उपविधियों के साथ सोसायटी का संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद

   iii) नाम, पता, योग्यता तथा वर्तमान कार्यालय का व्यवसाय तथा सोसायटी की प्रबंध समिति/कार्यकारी समिति के सदस्य।

   iv) वित्तीय सहायता लेने के लिए प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का प्रबंध/कार्यकारी समिति के संकल्प पर हस्ताक्षर।

   v) संस्थान/सोसायटी की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।

   vi) सोसायटी/संस्थान के पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे।

   vii) यदि कोई जमीन का दस्तावेज है या उपलब्ध निर्माणाधीन क्षेत्र जहां के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रस्तावित है। किराए पर स्थान लिए जाने के मामले में वो कागजात दिखाए जाएं जो सुनिश्चित करें कि मालिक इसे अगले पांच वर्षों तक खाली नहीं कराएगा; और जिस सहायता के उद्देश्य से लिया गया है उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है।

   viii) आवश्यक वित्तीय सहायता का पूर्ण ब्यौरा।

   ix) मुस्लिम समुदाय विशेषकर, इस क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं की आवश्कताओं के अनुसार व्यापार का चयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के औचित्य को दर्शाती टिप्पणी दें।

9. जहां कहीं भी कॉलम में स्थान अपर्याप्त हो तो उसके लिए अलग कागज संलग्न करें।

केंद्रीय वक्फ़ परिषद, नई दिल्ली

(भारत सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय)

(व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन)

1. सोसायटी/संस्था के बारे में मूलभूत जानकारी

1.1 सोसायटी/ संस्था का नाम और पता

1.2 सोसायटी/ ट्रस्ट के पंजीकरण की तिथि तथा पंजीकरण संख्या

1.3 सोसायटी / ट्रस्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI या अन्य अधिनियम तहत) पंजीकृत है।

1.4 क्या प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सोसायटी के उद्देश्य के अंतर्गत आता है ? यदि हाँ तो सोसायटी की किस उपविधि की धारा के तहत आता है।

2. सोसायटी/संस्था की वर्तमान गतिवधियाँ

2.1 संस्था का विवरण (क) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाली संस्था (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों (पुरूष/महिला) की व्यापार–वार संख्या;

2.2 सोसायटी/संस्था का व्यापार प्रशिक्षण में अनुभव जिसके लिए वित्तीय सहायता की माँग की गई है;

2.3 कार्यक्रम का ब्यौरा जिसके लिए वित्तीय सहायता की माँग की की गई है;

2.4 क्या प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केंद्र की कोई गुंजाइश है? यदि हाँ तो लाभप्रदता तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र के लिए आवश्यक राशि तथा लभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का अलग से ब्यौरा दें;

2.5 क्या प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है? यदि हाँ तो (i) कृपया विवरण दें; (ii) यदि नहीं, तो वही प्रस्ताव किया जाए;

2.6 प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और सीखाया जाने वाला पाठ्यक्रम;

2.7 प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से एकत्र की जाने वाली राशि और फीस का स्वरूप;

2.8 क्या चलाया जा रहा/प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त है? कृपया ब्यौरा दें;

2.9 पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय वक्फ़ परिषद/मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान और केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त की गई सहायता (प्रस्तावित वर्ष, राशि आदि) का विवरण दें। यदि वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है तो उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने में लगे समय की सूचना दें;

2.10 क्या सोसायटी/संस्थान ने प्रस्तावित व्यापार के लिए किसी अन्य एजेंसी में आवेदन दिया है? यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम और पता दें।

3. संस्थान की वित्तीय स्थिति

3.1 भूमि एवं इमारत पर सोसायटी का स्वामित्व (क्षेत्र, स्थान और मूल्यांकन आदि)

3.2 क. यदि सोसायटी के पास भूमि या इमारत अपनी नहीं है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया जाएगा ?

ख. क्या मालिक द्वारा दिए गए किराए के आवास में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने की अनुमति देने को तैयार है? (इसका प्रमाण साथ लगाएं)

3.3 क. नकदी

ख. बैंक में शेष

3.4 सोसायटी / संस्थान / ट्रस्ट की पिछले वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

4. आवश्यक वित्तीय सहायता

4.1 आवश्यक मशीनरी का ब्यौरा और उसकी लागत;

4.2 आवश्यक फर्नीचर का ब्यौरा और उसकी लागत;

4.3 आवश्यक कुल अनावर्ती व्यय

4.4 आवर्ती व्यय

i) प्रशिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का विवरण।

ii) कच्चा माल, बिजली, पानी आदि के व्यय का विवरण।

iii) अन्य कोई व्यय जैसे किराया आदि।

iv) क्या सोसायटी आवर्ती व्यय को पूरा या भाग रूप में खर्च करने की स्थिति में है, कृपया उसका विवरण दें

हस्ताक्षरः.....

नामः.....

पदनामः.....

दिनांकः

स्थानः

सोसायटी/संस्थान की मुहर

बुक–पोस्ट

क्र.सं. .....

प्रिंटिड मैटर

यदि प्राप्त न हो तो कृपया
निम्न पते पर वापस करें :–

केंद्रीय वक्फ़ परिषद
14/173, जाम नगर हाऊस
शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली–110011

सत्यमेव जयते

केंद्रीय वक्फ़ परिषद

(पुस्तकालय/पुस्तक बैंक हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन)

1. पुस्तकालय/स्कूल का नाम एवं पता

2. पुस्तकालय/स्कूल की पंजीकरण संख्या

3. क्या पुस्तकालय के लिए स्थान उपलब्ध है ?

   (क) यदि यह सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय का रखरखाव कैसे किया जा रहा है? क्या सरकार अर्द्ध–सरकारी निकायों या जनता से वित्तीय सहायता ली जाती है, यदि हाँ तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक से प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा दें।

   (ख) यदि यह स्कूल पुस्तकालय है तो छात्रों की संख्या सहित स्कूल का ब्यौरा दें।

4. पुस्तकालय का वार्षिक खर्च क्या है? कृपया विस्तृत ब्यौरा दें (पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित संलग्न करें)।

5. यदि यह सार्वजनिक पुस्तकालय है तो पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या,सामान्य एवं आजीवन सदस्यों की संख्या

6. क्या सदस्यता शुल्क है? यदि हाँ तो कितना, इस मद में वार्षिक आय कितनी है ?

7. पुस्तकालय के लिए खरीदे जाने वाले दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और इस मद पर होने वाले मासिक व्यय का ब्यौरा (कृपया दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सूची संलग्न करें)।

8. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का विवरण

9. परिषद से आवश्यक वित्तीय सहायता का विवरण सहित खरीदे जाने वाली मदों का ब्यौरा

10. यदि पिछले वर्ष परिषद से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है तो क्या परिषद को इसका उपयोग प्रमाणपत्र जमा करा दिया गया है।

हस्ताक्षरः.....

पूरा नामः.....

पताः.....

पदनामः.....

दिनांकः

स्थानः

अध्याय 19

राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको)

1. पृष्ठभूमि :

भारत के पास विश्व की सबसे ज़्यादा वक्फ़ संपत्तियां हैं। देश में 4.9 लाख से अधिक पंजीकृत औक़ाफ फैले हुए हैं और इन संपत्तियों से मौजूदा वार्षिक आय लगभग 163 करोड़ रु0 है। संपूर्ण भारत में वक्फ़ संपत्तियों के अंतर्गत कुल क्षेत्र लगभग 6 लाख एकड़ आकलित है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1.2 लाख करोड़ रु0 है। इनमें से अधिकांश औक़ाफ मुख्य शहरी भूमि पर हैं और उनके पास औक़ाफ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय सृजित करने की क्षमता है। सच्चर समिति ने आकलन किया था कि ऐसी संपत्तियां 10% की न्यूनतम आय के साथ यदि समुचित रूप से विकसित की जाएं, तो ये न्यूनतम लगभग 12000 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष के हिसाब से आय सृजित करने में सक्षम होंगी।

न्यायमूर्ति सच्चर समिति (2006) ने देश की वक्फ़ संपत्तियों का विकास करने तथा उनकी आय को मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उपयोग करने के लिए 500 करोड़ रु0 की परिक्रामी समेकित निधि के साथ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

वक्फ़ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने भी 04 मार्च, 2008 को संसद में प्रस्तुत अपनी तीसरी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम की स्थापना की जाए।

भारत के राष्ट्रपति ने भी दिनांक 21.02.2013 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपने संबोधन में यह कहा था कि वक्फ़ संपत्तियों के विकास तथा संरक्षण के लिए वक्फ़ विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

2. राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको) का निगमीकरण:

राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको) का कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 की सं0 1) के अंतर्गत 31.12.2013 को निगमीकरण किया गया था।

3. संकल्पना कथन

वक्फ़ संपत्तियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वक्फ़ प्रबंधन को तकनीकी, परामर्शी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

4. मिशन संबंधी कथन:

वक्फ़ संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से एवं व्यावसायिक तौर पर विकास करना ताकि औक़ाफ के उद्देश्यों के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उनकी आय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

5. उद्देश्यः

- वक्फ़ संपत्तियों के विकास के लिए वित्तीय सेवाओं को विकसित करने और मुहैया कराने हेतु विशेषीकृत वित्तीय और विकासात्मक संस्थान के रूप में काम करना, मुतवल्लियों, वक्फ़ बोर्डों, न्यासों और वक्फ़ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एसोसिएशनों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर के देश में वक्फ़ की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से अथवा उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक रूप में अर्थक्षम परियोजनाओं की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पहचान करना तथा परियोजनाओं को कार्यान्वित करना।

- इस्लामिक शरिया सिद्धांत पर वक्फ़ संस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से अथवा किसी व्यक्ति, सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी चाहे वह अग्रिमों, इक्विटी, पुनः वित्तपोषण अथवा किसी अन्य रूप में समाविष्ट हो, के सहयोग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

- वक्फ़ संपत्तियों के विकास के लिए परामर्शी सेवा संचालित करना और इसमें व्यावसायिक परिसरों, आवास परियोजनाओं के डिजाइन तैयार करने में वक्फ़ बोर्डों, मुतवल्लियों, न्यासों और वक्फ़ बोर्ड से पंजीकृत एसोसिएशनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना और ऐसी परियोजनाओं का निगम अथवा ऐसी परियोजनाओं के विकास में लगी अन्य एजेंसियों के सहयोग से निष्पादन करना शामिल होगा।

- वैयक्तिक वक्फ़ संस्थानों को अपनी अधिशेष आय शरिया आधारित वित्तीय संस्थानों में निवेश करने और शरिया सिद्धांत पर वित्तीय लिखत तैयार करने के लिए वित्तीय और अभियांत्रिकी दोनों परामर्शन मुहैया कराना और ऐसे संस्थानों और अनुदेशों के विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाना।

- स्कूलों, कॉलेजों सरीखी शैक्षणिक अवसंरचना और अस्पतालों का वक़्फ़ बोर्डों के साथ पट्टे पर अथवा संयुक्त उद्यम स्थापित करके निर्माण करना।

- उपक्रमों, संपत्तियों अथवा किसी कंपनी के अधिकारों अथवा उसके किसी भाग का सुधार, प्रबंध, विकास अथवा विनिमय करना।

6. निगम की शेयर पूंजीः

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी केवल 100 करोड़ रु0 की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के साथ 500 करोड़ रु0 है। शेयर होल्डिंग प्रतिरूप निम्नानुसार होगाः

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) – 49%

- केन्द्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – 9%

- वक्फ़ संस्थान तथा सार्वजनिक – 42%

7. निदेशक मंडल का गठनः

नावाडको में बारह (12) निदेशक होंगे

- एनएमडीएफसी द्वारा नामित किए गए प्रबंध निदेशक सहित तीन (3) पूर्ण कालिक निदेशक।
- एनएमडीएफसी द्वारा नियुक्त किए गए दो (2) गैर–सरकारी निदेशक।
- केंद्रीय वक्फ़ परिषद (सीडब्ल्यूसी) द्वारा नियुक्त किया गया एक (1) गैर–सरकारी निदेशक।
- वक्फ़ संस्थानों/लोगों में से चुने गए तीन (3) निदेशक।
- नावाडको बोर्ड से तीन (3) स्वतंत्र निदेशक।

8. पंजीकृत एवं कॉरपोरेट ऑफिस :

कार्यालय 1 तल, कोर 1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092 में स्थित हैं।

भाग-VII

समुदाय विशिष्ट कार्यक्रम

सत्यमेव जयते

अध्याय 20

''जियो पारसी''

भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

1. भूमिका

पारसी समुदाय जोकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है, की जनसंख्या जो 1941 में 1,14,000 थी, वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 2001 में घटकर 69,001 रह गई है। इस घटती जनसंख्या को रोकने और इस रुख को बदलने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत समझी है।

सदियों पहले, जब भारत में पहले पारसियों का आगमन हुआ था, पारसी, भारतीय समाज में घुल–मिल गये थे। साथ ही साथ वे अपने विशेष रीति–रिवाजों और परंपराओं तथा जातीय पहचान को बनाये रहे। इनकी जनसंख्या में प्रौढ़ों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद है। इस संबंध में, यह सामान्य भारतीय जनसंख्या जिसमें युवाओं का प्रभुत्व है, के बजाय विकसित देशों में दृष्टिगोचर जनसंख्या परिदृश्य के अधिक समान है।

भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या और जननक्षमता में तीव्र गिरावट रही है। यह दिलचस्प है कि पारसी महिलाओं की विवाह की आयु लगभाग 27 वर्ष और पुरुषों की लगभग 31 वर्ष है। 9 (नौ) परिवारों में केवल एक में ही 10 वर्ष से कम आयु का एक बच्चा होता है।

पारसी समुदाय की कुल जननक्षमता दर 1 (एक) से नीचे पहुंच गई है, जिसका तात्पर्य है कि औसतन एक पारसी महिला अपने गर्भ धारण करने की अवधि में 1 से कम (0.8) शिशु को जन्म देती है। इसके अलावा, 31% पारसी 60 वर्ष की आयु से अधिक हैं और 30% से अधिक पारसियों ने कभी विवाह नहीं किया है।

विलंब से विवाह के अलावा, पारसी समुदाय के बीच कम जननक्षमता के लिए स्वेच्छा और अस्वेच्छा से बच्चे का न होना एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। गैर–पारसियों की तुलना में अविवाहित पारसी पुरुषों का प्रतिशत काफी अधिक है।

1950 के दशक से, मृत्यु से जनसंख्या प्रतिस्थापन दर सतत रूप से निष्प्रभावी हुई है। ऐसा चिकित्सा और

सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से हो सकता है। अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा कराए गए अध्ययनों और पारजोर फाउंडेशन तथा टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस), द्वारा कराए गए संयुक्त अध्ययनों में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट के लिए महत्वपूर्ण कारणों के रूप में निम्नलिखित कारण चिन्हित किये गए हैं:

(क) विलंब से विवाह करना और विवाह न करना;

(ख) जननक्षमता में कमी आना;

(ग) उत्प्रवास;

(घ) बाह्य–विवाह; और

(ङ) संबंध विच्छेद और तलाक होना।

पारसी समुदाय के सदस्यों की इस गिरते हुए रूख को रोकने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग रही है। उपर्युक्त को देखते हुए, भारत सरकार पारसी समुदाय की आबादी के गिरते हुए रुख को रोकने और उनकी जनसंख्या को निचले स्तर से ऊपर लाने हेतु बदलाव लाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना जरूरी समझती है।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रुख को उलटना और उनकी जनसंख्या को स्थिर रखना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है।

3. लक्षित समूह

यह योजना अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् केवल पारसियों के लिए है। वन्ध्यत्व के इलाज हेतु पारसी समुदाय के भीतर लक्षित समूह निम्नानसुार होगाः

(i) शिशु उत्पन्न करने की आयु वाले विवाहित पारसी दंपत्ति जो योजना के अंतर्गत सहायता चाहते हैं।

(ii) वन्ध्यत्व उत्पन्न करने वाली बीमारियों का वयस्कों/युवाओं/युवतियों/किशोरों/किशोरियों में पता लगाना। किशोरों/किशोरियों की जांच के लिए, माता–पिता/कानूनी अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होनी चाहिए।

4. दृष्टिकोण तथा तौर–तरीका

वन्ध्यत्व एक जटिल नैदानिक सामाजिक–मनोवैज्ञानिक मामला है। वन्ध्यत्व दो वर्षों से अधिक से गर्भ धारण करने में असमर्थ होना है और अनिवार्य रूप में एक बीमारी नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में बढ़ोतरी होने के साथ, आज के समय में 90% वन्ध्यत्व का इलाज संभव है। अधिकांश दंपत्तियों के लिए, यह सही चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श हो सकता है तथा सही उम्र में सर्वोत्तम चिकित्सा विशेषज्ञता हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए कड़े चिकित्सा नवाचार के अंतर्गत किया जाएगा।

घटती जनसंख्या को रोकने के लिए, द्विकोणीय दृष्टकोण की आवश्यक्ता होगी। इस योजना में दो संघटक होंगेः

(क) पक्षसमर्थनः परिवार के सदस्यों और शीघ्र विवाह हेतु विवाह योग आयु के लड़के/लड़कियों को परामर्श, यौवन और उसके बाद चिकित्सीय मामलों का इलाज, सही समय पर पितृत्व तथा वन्ध्यत्व की समस्या का पता लगते ही इसके उपचार की सहायता के लिए दृष्टिकोण पक्षसमर्थन के भाग होंगे। इसमें प्रचार और जागरूकता सहित अभिवृद्धि कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

(ख) चिकित्सा सहायताः सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) जिसमें चिकित्सा सहायता के रूप में अपेक्षानुसार इन–विट्रो निषेचन (आईवीएफ) और इंट्रा–साइट्रोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (आईसीएसआई) शामिल है। जननक्षमता मामलों से निपटने के लिए, शादी–शुदा दंपत्तियों की वन्ध्यत्व की जाँच करने और पता लगाने, परामर्श देने तथा जननक्षमता का इलाज करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जब उनकी जननक्षमता का चिकित्सीय जाँच में पता लग जाए।

प्रत्येक लक्षित समूह के लिए मानक चिकित्सा नवाचार का अनुसरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से किया जाएगा। किसी इलाज को शुरू किये जाने के पूर्व मरीज को संपूर्ण इलाज योजना की सूचना देना इलाज करने वाले अस्पताल की ओर से अनिवार्य होगा और उनकी अथवा उसके/उसकी माता–पिता/कानूनी अभिवावकों की सहमति लेना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से चिकित्सा नवाचारों के अनुसार इलाज के चक्रों का अनुसरण किया जाएगा।

5. गोपनीयता

मरीजों की गोपनीयता को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। लक्षित दंपत्तियों के नाम और पहचान के संबंध में गोपनीयता रखी जाएगी। योजना का कार्यान्वयन करने वाला संगठन मरीजों के सभी ब्यौरे रखेगा और इलाज करा रहे दंपत्तियों की कुल संख्या के बारे में मंत्रालय को कूट भाषा में सूचना प्रदान करेगा। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा रखे जाने वाले सभी रजिस्टर और विस्तृत प्रलेख मंत्रालय, लेखा परीक्षा पदाधिकारियों और निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के अध्ययधीन होंगे।

6. अभिवृद्वि कार्यक्रम

इस समुदाय को उनकी वन्ध्यत्व की समझ के बारे में शिक्षित किये जाने की अत्याधिक जरूरत है। इसके समाधान हेतु एक व्यापक अभियान चलाना जाना जरूरी है जिसमें सामान्य सूचना सत्र, मीडिया प्रचार, परामर्श सत्र और ऐसे कार्यक्रम शामिल हों जो पारसियों को अधिक बच्चों के लिए और इस समुदाय के भीतर जल्दी विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार हों। लक्ष्य यह है कि विवाह योग्य आयु की युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता सृजित हो और युवा युगल इस समुदाय की घटती जनसंख्यका को रोकने का प्रयास करें तथा जहां आवश्यक हो विवाह से पहले शीघ्र निदान और इलाज कराएं।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अथवा अभिवृद्वि कार्यक्रम (सेमिनार, प्रचार, ब्रोशर, पारसी समुदाय की जातिय पत्रिकाऐं, पक्ष समर्थन आदि) मुंबई में बाम्बे पारसी पंचायत की सहायता से पारजोर फाउंडेशन और देश के अन्य नगरों, शहरों और मुफिस्सिल क्षेत्रों में फेडेरेशन ऑफ पारसी जरथुस्ट्रन अंजुमन्स ऑफ इंडिया के विभिन्न सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा।

7. सहायता का प्रकार और वित्तीय मानक

यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हालांकि पारसियों को तमाम अन्य समुदायों की तुलना में सापेक्ष रूप में अधिक संपन्न समझा जाता है, फिर भी अनेक मामलों में निम्न आर्थिक स्तर से संबंधित पारसी परिवार हैं जो जननक्षमता इलाज का वहन नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि मध्यमवर्ग के दंपत्तियों के लिए भी इसको

बार–बार इलाज का व्यय वहन करना मुश्किल होता है।

सहायता के इच्छुक विवाहित पारसी दंपत्ति संबंधित चिकित्सक द्वारा सुझाये गये नुस्खे के अनुसार सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकियों (एआरटी) के इलाज चक्रों को कराएगा, जिसमें जरूरी होने पर चिकित्सा सहायता के रूप में इन–विट्रो निषेचन (आईवीएफ) और इंट्रा–साइट्रोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (आईसीएसआई) शामिल होंगे, जो 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये) अथवा वास्तविक अनुसार, जो भी कम हो, की अधिकतम लागत के अध्ययधीन होंगे।

यह इलाज अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किये गए अस्पतालों/औषधालयों में कराया जाएगा। अस्पतालों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और प्रत्येक नगर/शहर के पारसियों के परामर्श से पैनल में शामिल किया जाएगा।

आर्थिक सहायता को जननक्षमता उपचार, जिसमें दवाईयों की लागत शामिल है (अनुवर्ती दवाईयों सहित), दंपत्तियों जिनकी आय निम्नलिखित निर्धारित सीमा में है को चिकित्सा के बाद की सहायता के लिए विस्तारित किया जाएगा :

क्रम सं.	सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय	उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक सहायता
1.	10 लाख रुपये एवं उससे कम	100%
2.	10–15 लाख रुपये	75%
3.	15–20 लाख रुपये	50%

विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपयुक्त प्राधिकारी से आय प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा। शादी करने योग्य आयु के पारसी लड़के और लड़कियों (30 तक के किशोर), जो कि ठीक की जाने वाली रोगविषयक समस्या जिसका परिणाम वन्ध्यत्व होता है को क्रमशः 15,000/– रुपये और 25,000/– रुपये की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

8. पारजोर फाउंडेशन की भूमिका

पारजोर फाउंडेशन हस्तक्षेपों की सफलता को संभव बनाने के लिए पारसी समुदाय और सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होगा। योजना का कार्यान्वयन पारजोर फाउंडेशन द्वारा बाम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी) की

मदद से और संगठनों/सोसायटियों/अंजुमनों तथा तीन वर्षों से मौजूद संबंधित समुदाय की पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। पारजोर फाउंडेशन स्थानीय अंजुमनों और पंचायतों को प्राथमिकता देगा जो स्थानीय समुदाय का सहयोग, परामर्श और कार्यशालाओं के लिए एकत्र कर सकने में समर्थ संगठन है। इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पारजोर फाउंडेशन बाम्बे पारसी पंचायत और संबंधित अंजुमनों की सहायता से निम्नलिखित को सत्यापित करेगाः

(क) कि चिकित्सीय सहायता का लाभ उठाने के लिए जांच हेतु लक्षित विवाहित दम्पत्ति आवश्यक आय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ख) कि जांच के लिए विवाहित दम्पत्ति अथवा शादी की उम्र के लड़का/लड़की पारसी समुदाय से संबंधित है।

(ग) कि जननक्षमता चिकित्सा प्राप्त करने वाली विवाहित महिला की उम्र गर्भधारण करने की है।

बाम्बे पारसी पंचायत और संबंधित अंजुमनों की सहायता से पारजोर फाउंडेशन प्रार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त करने, उनका मूल्यांकन डाक्टरों/पैनल में शामिल अस्पतालों/पैनल में शामिल औषधालयों के साथ करने तथा लाभार्थियों की सिफारिश चिकित्सा करने के लिए और चिकित्सा पूरी होने के बाद बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

निधियों को पक्षसमर्थन और अभिवृद्धि कार्यक्रमों हेतु पारजोर फाउंडेशन को जारी किया जाएगा।

योजना के विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं।

भाग-VIII

अनुसंधान/ मीडिया

सत्यमेव जयते

अध्याय 21

अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं प्रचार सहित योजनाओं के विकास की समीक्षा

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (इसके पश्चात मंत्रालय के रूप में उल्लिखित) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना **'विकास योजनाओं के प्रचार सहित अनुसंधन/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना'** के अंतर्गत उन अनुसंधान संगठनों/संस्थानों/परिषदों/सिविल सोसाइटियों/विश्वविद्यालयों, जिनमें मानित विश्वविद्यालय शामिल हैं, उच्च शिक्षा के ख्याति प्राप्त संस्थान, स्वायत्त निकाय/बाजार अनुसंधान एजेंसियों और व्यावसायिकों की पंजीकृत निकायों (अब से अनुसंधान संगठन कहीं जाने वाली) को व्यावसायिक प्रभार उपलब्ध कराएगा, जिन्हें निपुणता प्राप्त हो तथा जो उद्देश्यपरक संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान करने के इच्छुक हों।

- आधारभूत सर्वेक्षणों/सर्वेक्षणों सहित अल्पसंख्यकों की समस्याओं और जरूरत के बारे में;
- अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समवर्ती निगरानी करना; और
- सरकारी एजेंसियों और प्रतिष्ठित निजी एजेंसियों तथा मीडिया मैनेजमेंट एजेंसियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया सहित मल्टी–मीडिया अभियानों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी) क्रियाकलापों को चलाने हेतु व्यावसायिक प्रभार उपलब्ध कराना।

(क) आधारभूत सर्वेक्षणों/सर्वेक्षणों सहित ऐसे संचलान अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान की रिपोर्टों से विकास कमियों, सफल योजनाओं, दोबारा प्रयोज्य कार्यनीतियों और पहलों, विशेष कार्यक्रम हस्तक्षेप और नीतिगत सुझाव आदि पर सूचना और आंकड़े सुझाने की अपेक्षा होती है।

(ख) कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम के बीच में सुधारात्मक उपाय करने हेतु इनका समवर्ती निगरानी कार्य भी आवश्यक है।

(ग) कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कराने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते

कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन की सीधी प्रासंगिकता मंत्रालय अधिदेश के साथ हो।

(घ) अनुसंधान प्रस्ताव बनाने के लिए किसी संगठन को कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। सामुदायिक चर्चा आयोजित करने के लिए किसी भी संगठन को कोई निधि नहीं दी जाएगी।

1. उद्देश्य

(क) संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और जरूरतों पर सूचना और डाटाबेस बनाना।

(ख) बेसलाइन सर्वेक्षणों के माध्यम से विकास आभावों के बारे में सूचना एकत्र करना।

(ग) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समवर्ती निगरानी।

(घ) अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों और पहलों के संबंध में जागरुकता सृजन हेतु सूचना प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और बाह्य प्रचार के साथ वार्षिक मीडिया योजना बनाना और मल्टी–मीडिया माध्यमों से आईइसी क्रियाकलाप चलाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) जो इस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हैं, का व्यापक प्रचार करना।

(च) अल्पसंख्यकों के संगत विषयों पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों हेतु संगठन को सहयोग देना।

2. कार्यक्षेत्र

क योजना में संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान सहित बेसलाइन सर्वेक्षण/सर्वेक्षण, निगरानी/समवर्ती निगरानी और विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन और मंत्रालय के कार्यक्रम, जिसमें देशभर में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम शामिल है,

जिसमें अल्पसंख्यक बहुल जिलों/ब्लॉकों/नगरों/गांवों के समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए मंत्रालय को संगत विषयों पर कार्यशालाए/संगोष्ठीयां/सम्मेलन आयोजित करना या तो संस्थान/संगठन द्वारा स्वंय प्रस्तावित है या स्वतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित या आयोजित है, का व्यय शामिल है।

ख इस योजना में योजना को कार्यान्वित करने वाले संबंधित विभागों द्वारा विकसित किए जाने वाले निगरानी प्रारूपों और निष्पादन संकेतकों का विकास करना भी शामिल है। पैनल में शामिल एजेंसियों का इस कार्य के लिए भी सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआरएस) का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है।

ग सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी) क्रियाकलापों के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचना के प्रसार हेतु, विशेष प्रकृति के सृजनात्मक मल्टी–मीडिया अभियान, जिनके लिए व्यावसायिकता, विशेषज्ञता और अवर्सरचना अपेक्षित है, जो सामान्य सरकारी एजेंसियों के पास नहीं है, को सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के संगत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विख्यात निजी मीडिया एजेंसियों के माध्यम से चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

घ मीडिया अभियान हेतु सामग्री निर्माण के लिए डीएवीपी के पैनल में शामिल एजेंसियों को मंत्रालय द्वारा डीएवीपी की दरों पर काम में लगाया जाएगा।

3. पात्रता

क संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान/नगरानी/समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षण और कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन आयोजित करने हेतु व्यावसायिक प्रभार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसंधान संगठन पात्र हैं :–

(i) अनुसंधान संगठन/संस्थान/परिषदें;

(ii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सिविल सोसाइटियां;

(iii) मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय;

(iv) उच्चतर शिक्षा के लिए ख्याति प्राप्त संस्थान;

(v) स्वायत्त निकाय;

(vi) विख्यात बाजार अनुसंधान एजेन्सियां और व्यावसायिकों का पंजीकृत निकाय।

ख डीएवीपी और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के पैनल में शामिल विख्यात मीडिया एजेंसियां व्यावसायिकता, विशेषज्ञता और अवसंरचना जरूरत वाले उन विशेष प्रकृति के सृजनात्मक मल्टी–मीडिया अभियान बनाने हेतु पात्र होंगे, जो सामान्यतः सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों के अभिकरणों के अंतर्गत स्वायत्त निकायों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

4. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशा–निर्देश

क.1 **संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान** के साथ–साथ आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षण, निगरानी/समवर्ती निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव आमंत्रण या तो अखबारों में विज्ञापन द्वारा और मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से अथवा सरकारी अनुसंधान संस्थान के माध्यम से सीधे किए जा सकते हैं या मंत्रालय द्वारा स्वयं सीधे प्रस्तावित/प्रायोजित किए जा सकते हैं। इसे जीएफआर के संगत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेन्सियों द्वारा भी कराया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों के मामले में, जीएफआर में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार मंत्रालय एक अनुसंधान संगठन को लगा सकता है। मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सहायता संस्थान–आधारित होगी तथा अनुसंधान/संगठन के प्रमुख को जारी की जाएगी। अध्ययन कार्य के लिए नियुक्त स्टॉफ को संस्थान/संगठन का कर्मचारी माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधन/कार्रवाई अनुसंधान सहित सर्वेक्षण और समवर्ती निगरानी कार्य करने का इच्छुक कोई भी पात्र अनुसंधान संगठन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक– I) में मंत्रालय को आवेदन करेगा और आवेदन के साथ निम्नलिखित विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित अध्ययन की रूपरेखा भी भेजेगा –

(i) उद्देश्यः विस्तार में दिया जाने वाला विशेष उद्देश्य तथा विशेष बल और अभिमुखीकरण।

(ii) औचित्यः समस्या का संक्षिप्त परिचय, प्रयोग की जाने वाली परिकल्ना और उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न।

(iii) कार्यक्रम की संगतताः ठोस विवरणयुक्त एक वक्तव्य, जिसमें यह उल्लेख हो कि अध्ययन कार्य के परिणाम अल्पसंख्यकों से जुड़ी नीति, योजना या कार्यक्रम के निरूपण और कार्यान्वयन में सुधार लाने में किस हद तक संगत रहेंगे।

(iv) पद्धति तथा तौर–तरीकाः अध्ययन के प्रतिबिंबित अथवा अनुभवजन्य होने की सीमा तक चाहे यह प्राथमिक आंकड़ा संकलित करने के लिए आशायित हो, और यदि ऐसा है तो यह नमूना सर्वेक्षण या मामला अध्ययन पर आधारित हो, यदि उपलब्ध आंकड़ों के उपयोग की संकल्पना हो तो संगत स्रोत और आवश्यक आंकड़ा।

(v) आंकड़ा संकलन और विश्लेषण के ब्यौरेः अवधारणाएं, परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिवर्तन सैम्पलिंग डिजायन यदि आवश्यक है, विश्लेषण की संगत लाइनों से संबंधित अनुसूची/प्रशनावलियों की विस्तृत विषय–सूची, सारणी, रिपोर्ट के अध्याय का सारांश, यदि सम्भव हो।

(vi) परियोजना अवधिः अध्ययन पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित समय, क्षेत्र अध्ययन/आंकड़ा संकलन और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए परिकल्पित अवधि। अनुसंधान–अध्ययन साधारणतः छः माह की अवधि में पूरा कर लिया जाए तथा किसी भी स्थिति में एक वर्ष से अधिक का समय न लिया जाए। परियोजना को जल्द पूरा करने हेतु विचारार्थ विषय और शक्ति खण्डों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(vii) स्टॉफ–प्रतिमानः सहायक स्टॉफ की संख्या और उनका प्रकार/कितने समय के लिए स्टॉफ अपेक्षित है और उसे दिया जाने वाला पारिश्रमिक।

(viii) बजटः वित्तीय अपेक्षाएं विभिन्न मद में हो सकती है अर्थात् स्टॉफ का पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता, कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन, लेखन सामग्री/फार्मों का मुद्रण, संगणन तथा

आकस्मिकता से जुड़ा व्यय।

(ix) संस्थान का योगदानः अध्ययन कार्य की लागत के रूप में संस्थान/संगठन द्वारा प्रस्तावित योगदान की सीमा।

(x) स्टॉफ का जीवन वृत्तः अध्ययन से सम्बद्ध परियोजना निदेशक और वरिष्ठ स्टॉफ की शैक्षिक अर्हता और अनुसंधान अनुभव से संबंधित पर्याप्त सूचना। यह सरकारी संस्थान/परिषद/संगठन के मामले में अपेक्षित नहीं है।

क.2. कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रण या तो अखबारों में विज्ञापन देकर और मंत्रालय की वेबसाईट द्वारा अथवा सरकारी अनुसंधान संगठनों के माध्यम से सीधे किया जा सकता है या मंत्रालय स्वयं सीधे प्रस्तावित/प्रायोजित कर सकता है। सभी प्रक्रियाओं में जीएफआर के संगत प्रावधानों का पालन किया जाएगा। कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों को आयोजित कराने के पात्र और इच्छुक अनुसंधान संगठन, सरकारी/अर्ध–सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हों मंत्रालय को निम्नलिखित ब्यौरों के साथ प्रस्तावित परियोजना की रूप–रेखा के साथ आवेदन करेंगेः

1) कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि का मुख्य विषय/विषय–वस्तु;

2) स्पष्ट तौर पर योगदान अंकित करते हुए प्रस्तावित कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन द्वारा किया जाने वाला अपेक्षित महत्व/उद्देश्य;

3) विचार–विमर्श के लिए प्रस्तावित विषय/विषय–वस्तु;

4) प्रतिभागियों का स्तर एवं उनकी संख्या;

5) अवधि और स्थल;

6) कार्यक्रम सारणी;

7) अनंतिम संसाधक;

8) सहयोग करने वाली एजेन्सी, यदि कोई हो;

9) वित्तीय अनुमान और प्राक्कलन;

10) क्षेत्र में संगठन का अनुभव (यदि कोई हो)।

ख. मंत्रालय डीएवीपी के पैनल में शामिल निजी विख्यात मीडिया एजेंसियों की सूची से अथवा समाचार–पत्रों में विख्यात और मंत्रालय की वेबसाईट के माध्यम से विशेष प्रकृति के ऐसे सृजनात्मक मल्टी–मीडिया अभियान बनाने हेतु जिनके लिए व्यावसायिकता, कौशल और अवर्सरचना जो साधारणतः सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं, के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है। डीएवीपी के पैनल में न शामिल निजी मीडिया एजेंसियों के चयन के लिए, जीएफआर में दी गई प्रक्रियाओं और समय–समय पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रस्तावों की जांच अनुवीक्षण समिति द्वारा की जाएगी। सृजनात्मक एजेंसियां निम्नलिखित ब्यौरों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगीः–

क) एजेंसी का नाम।

ख) उपयोग किया जाने वाला माध्यम।

ग) एजेंसी का पता, स्थायी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय (यदि कोई हो), संपर्क सूत्र, ई–मेल, दूरभाष संख्या।

घ) क्या डीएवीपी के पैनल में शामिल है।

ङ) प्रस्ताव का ब्यौरा।

च) प्रचार प्रिंट मीडिया के मामले में/टेलीविजन रेटिंग प्वाईंटस (टीआरपी) इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में।

छ) अभियान की कवरेज।

ज) लक्षित समूह।

झ) आईइसी क्रियाकलापों में प्रस्तावित सृजनात्मक अभियान का संभावति योगदान।

ञ) वित्तीय निहितार्थ, इसे सभी अलग–अलग ब्यौरे, माध्यम का नाम अंकित करते हुए, अभियान का प्रकार, समय अवधि, दर और कुल लागत (कर सहित यदि कोई हो) के साथ होना चाहिए।

निधियन

क.1. मंत्रालय, बेस–लाईन सर्वेक्षण/सर्वेक्षण, मूल्यांकन/समवर्ती, निगरानी सहित संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित अनुमोदित मदों पर हुए खर्च को वहन करेगा :–

(i) परियोजना स्टॉफ के लिए पारिश्रमिक।

(ii) परियोजना स्टॉफ के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ते।

(iii) लेखन सामग्री और प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा फार्मों की छपाई।

(iv) कार्यशाला/संगोष्ठी।

(v) डाक प्रभार, संगणन और गणना प्रभारों सहित आकस्मिक व्यय।

(vi) सर्वेक्षण, आंकड़ा संकलन/प्रोसेसिंग/प्रस्तुतीकरण।

उपरोक्त सभी मदों को कुल परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

क.2. मंत्रालय, जहाँ आवश्यक होगा, निम्नलिखित मदों से संबंधित, कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन का व्यय वहन करेगाः–

(i) प्रतिभागियों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ते।

(ii) मानदेय (प्रयोजन का उल्लेख करते हुए)।

(iii) लेखन–सामग्री/सूचना पुस्तिकाएं।

(iv) फैक्स शुल्क/दूरभाष शुल्क/डाक शुल्क सहित आकस्मिक व्यय।

(v) संगोष्ठी/कार्यशाला के दस्तावेजों का प्रकाशन।

(vi) कार्यवाहियों।

(vii) विविध, यदि कोई हो।

ऊपर उल्लिखित सभी मदें कुल परियोजना लागत में शामिल की जाएंगी। कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के मामले में 50 प्रतिभागियों के एक दिन की कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए 1.25 लाख रुपये स्वीकार्य होंगे। दिये गए प्रस्तावों में 2 दिन की कार्यशाला के लिए अधिकतम 200 प्रतिभागियों की अनुमति होगी। लागत में कार्यशाला/संगोष्ठी के लिए जगह की व्यवस्था, बैगों/फोल्डरों में प्रतिभागियों के लिए पठन सामग्री, संसाधकों/बाहरी प्रतिभागियों (यदि कोई हो) के रहने/ठहरने का व्यय, संसाधकों को मानदेय, प्रचार, ऊपरी व्यय (कार्यशाला/संगोष्ठी के लिए उपलब्ध कराये गए कुल बजट के 2.5% तक सीमित) और कार्यशाला/संगोष्ठी के परिणामों पर तैयार की गई रिपोर्ट भी शामिल है।

योजना के विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं।

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–I

संचालन अनुसंधान/बाजार अनुसंधान/कार्रवाई अनुसंधान/सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मॉडल फार्मेट

I संस्थागत विवरण

i) (क) संस्थान/संगठन का नाम मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के पते सहित (यदि कोई हो)

(ख) डाक का पता

(ग) दूरभाष नं.

(घ) संगठन के अध्यक्ष/सचिव/संपर्क सूत्र का नाम

ii) क्षेत्र/फील्ड की कवरेज और स्कोप सहित परियोजना का शीर्षक

iii) संस्थान/संगठन की स्थिति

व्यावसायिक संगठन/समाज सेवा अनुसंधान संगठन/स्वायत्त निकाय/व्यावसायिकों/विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय का पंजीकृत निकाय (विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए)

iv) संस्थान/संगठन की प्रकृति और कार्य (संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

v) किस तरीके से संस्थान/संगठन स्थापित किया गया था।

(संसद का अधिनियम/राज्य विधानमंडल का अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत)

vi) (क) यदि संसद/राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो संविधि का नाम, उसकी संख्या और वर्ष

(ख) यदि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, स्थान, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख

vii) यदि अर्द्ध–सरकारी संस्थान/संगठन/पीएसयू है, उस सरकारी विभाग का नाम जिसके साथ यह सम्बद्ध है

viii) (क) क्या संस्थान/संगठन का नियमित आय का स्रोत है।

(ख) क्या यह बिना लाभ हानि के आधार पर चलता है।

ix) संस्थान/संगठन का संक्षिप्त इतिहास, इसके उद्देश्य और व्यक्तित्व के मामले में कार्यकलापों/शैक्षणिक योग्यताएं।

x) (क) क्या संस्थान/संगठन को देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव है/अथवा इस प्रकार के कार्यकलाप किए गए थे।

(ख) यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे।

xi) संगठन के पास उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा।

II परियोजना की रूपरेखा

i) उद्देश्य।

ii) औचित्य।

iii) कार्रवाई कार्यक्रम की संगतता।

iv) पद्धति और तौर–तरीका

v) आंकड़े एकत्र और विश्लेषण करने का विवरण

vi) परियोजना की अवधि

vii) स्टॉफ पद्धति

viii) बजट

ix) संस्थान/संगठन का अपना अंशदान

III (1) स्टॉफ पद्धति

i) परियोजना निदेशक का नाम।

ii) इस समय संस्थान/संगठन में या अन्यत्र परियोजना निदेशक की स्थिति क्या है, जैसा कि मद सं. 1(i) में उल्लिखित है।

iii) परियोजना निदेशक द्वारा पहले किन प्रमुख पदों पर काम किया गया है।

iv) परियोजना निदेशक का जीवन वृत्त (संलग्न किया जाए)।

v) परियोजना निदेश की विशेषज्ञता का क्षेत्र।

vi) परियोजना निदेशक द्वारा पहले पूरी की गई परियोजनाएं, संगठन का नाम, जिसके लिए यह की गई थी।

vii) पिछले 3 वर्षों में प्रकाशनों की सूची (संलग्न की जाए)।

viii) परियोजना निदेशक के पास अन्य परियोजनाओं के नाम तथा उनकी आरम्भ कराने वाली एजेंसियों के नाम।

(2) अन्य स्टॉफ

(नियुक्त किए जाने व्यक्तियों की संख्या, पदनाम, वेतन, नियुक्ति का कार्यकाल दर्शाएं); वरिष्ठ स्टॉफ के मामले में, जीवन वृत्त संलग्न किया जाए)

क्रम सं.	स्टॉफ का नाम	पदनाम	आयु	लिंग	नियुक्ति की तारीख	मासिक वेतन/पारिश्रमिक (रुपये में)

IV बजट आकलन

(क) अन्य स्टाफ

क्रम सं.	व्यय की मदें	ईकाइयां	दर (रुपये में)	कुल लागत (रुपये में)	टिप्पणियां
1.	पारिश्रमिक				नीचे दिए गए प्रारूप IV(ख) के अनुसार ब्यौरा दिया जाना
2.	यात्रा लागत				
3.	आंकड़ा संकलन/प्रोसेसिंग/विश्लेषण				
4.	लेखन सामग्री, छपाई, डाक खर्च आदि				
5.	अतिरिक्त/आकस्मिक व्यय				परियोजना की कुल लागत का 3% तक स्वीकृति योग्य
	कुल लागत				

(ख) स्टाफ का पारिश्रमिक

क्रम सं.	स्टॉफ की श्रेणी	संख्या	किए जाने वाले काम/कर्तव्य	अवधि	मासिक पारिश्रमिक (रुपये में)	कुल लागत
1.	परियोजना निदेशक					
2.	अनुसंधान/सर्वेक्षण स्टॉफ					
3.	कार्य क्षेत्र स्टॉफ					
4.	सचिवालय स्टॉफ					
	कुल					

V आवेदन प्रपत्र की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. संगठन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति
2. संगम ज्ञापन और नियम/संविधान
3. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/कार्यकारी अथवा शासी निकाय की संरचना
4. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ पिछले तीन वर्शों की लेखा–परीक्षित रिपोर्ट
5. नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट
6. पिछले तीन वर्षों की अवधि में प्रकाशित रिपोर्टों की प्रतियां

स्थान :

दिनांक :

(संस्थान/संगठन के अध्यक्ष/सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

सरकारी मुहर

परिशिष्ट– ।।

कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मॉडल प्रारूप

I संस्थागत विवरण

i) (क) संस्थान / संगठन का नाम मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के पते सहित (यदि कोई हो)

(ख) डाक का पता

(ग) दूरभाष नं.

(घ) संगठन के अध्यक्ष / सचिव / संपर्क सूत्र का नाम।

ii) क्षेत्र / फील्ड की कवरेज और कार्यक्षेत्र सहित परियोजना का शीर्षक।

iii) संस्थान / संगठन की स्थिति।

व्यावसायिक संगठन / समाज सेवा अनुसंधान संगठन / स्वायत्त निकाय / व्यवसायिकों / विश्वविद्यालय / मानित विश्वविद्यालय की पंजीकृत निकाय (विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए)

iv) संस्थान / संगठन की प्रकृति और कार्य जिसके लिए यह स्थापित किया गया था (संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

v) किस तरीके से संस्थान / संगठन स्थापित किया गया था।

(संसद के अधिनियम / राज्य विधानमंडल के अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत)।

vi) (क) यदि संसद / राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो अधिनियम का नाम, उसकी संख्या और वर्ष।

(ख) यदि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, स्थान, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख।

vii) यदि अर्द्ध–सरकारी संस्थान / संगठन / पीएसयू है, उस सरकारी विभाग का नाम जिसके साथ यह सम्बद्ध है।

viii) (क) क्या संस्थान / संगठन का नियमित आय का स्रोत है।

(ख) क्या यह कोई लाभ / हानि नहीं के आधार पर चलता है।

ix) संस्थान / संगठन का संक्षिप्त इतिहास, इसके उद्देश्य और व्यक्तियों के मामले में कार्यकलापों / शैक्षणिक योग्यताएं।

x) (क) क्या संस्थान / संगठन को देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव है / अथवा इस प्रकार के कार्यकलाप आरम्भ किए गए थे।

(ख) यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे।

II संगठन के पास उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा।

III प्रस्ताव के ब्यौरे

क) कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि का मुख्य विषय/विषय–वस्तु;

ख) महत्व/उद्देश्य दर्शाते हुए प्रस्तावित योगदान जिसकी उम्मीद कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन से है;

ग) चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय/सामग्री;

घ) प्रतिभागियों का स्तर और उनकी संख्या;

ङ) अवधि और आयोजन स्थल;

च) कार्यक्रम सारणी;

छ) संसाधकों की उनकी दक्षता के साथ संभावित सूची;

ज) सहयोगी एजेंसी, यदि कोई हो;

झ) वित्तीय अनुमान और प्राक्कलन।

IV क्षेत्र में संगठन का अनुभव (यदि कोई हो)

V परियोजना सहायक की प्रोफाइल।

VI बजट प्राक्कलन– दिशा–निर्देशों के पैरा 7 क.2 के अनुसार

VII आवेदन फार्म की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. संगठन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति
2. संगम ज्ञापन और नियम/संविधान
3. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कार्यकारी अथवा शासी निकाय की संरचना
4. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ पिछले तीन वर्षों की लेखा–परीक्षित रिपोर्ट
5. नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट
6. पिछले तीन वर्षों की अवधि में प्रकाशित रिपोर्टों की प्रतियां

स्थान :

दिनांक :

(संस्थान/संगठन के अध्यक्ष/सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

सरकारी मुहर

सत्यमेव जयते

भाग-IX

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्वास्थ्य योजना

अध्याय 22

''मौलाना आज़ाद सेहत योजना''

1. भूमिका

- माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2013–14 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। शुरूआत में इन्फर्मरी अथवा रेजिडेंट डॉक्टर को ऐसे संस्थानों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने इस पहल की शुरूआत करने के लिए 100.00 करोड़ रु0 आबंटित किए।

- मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर–लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

2. सेहत योजना

- इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त संस्थान के प्रत्येक छात्र को "सेहत कार्ड" जारी किया जाएगा। संस्थान द्वारा सरकार/निजी अस्पतालों/उपचर्या गृहों के माध्यम से वर्ष में दो बार निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोजनार्थ नामोद्दिष्ट किए गए अस्पताल स्वास्थ्य जांचों के लिए समस्त अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों के साथ संस्थानों में जाएंगे। रक्त के नमूने एकत्रित किए जाएंगे, जिसके उपरांत उनके अस्पताल/संस्थान में आवश्यक प्रयोगशाला जांच परवर्ती तौर पर की जाएंगी। निवारक स्वास्थ्य जांचों के सभी परिणाम छात्र के सेहत कार्ड में दर्ज किए जाएंगे।

- एमएईएफ द्वारा वित्त पोषित/सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को रोजमर्रा की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल) में औषधालय/स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र की स्थापना की जाएगी। संस्थान द्वारा संविधा के आधार पर एक

उपचारिका/परिचारी को नियोजित किया जा सकता है, जो दैनिक आधार पर छात्रों की चिकित्सा संबंधी जरूरत का ध्यान रखेगी/रखेगा। संस्थान द्वारा स्थानीय अर्हता प्राप्त चिकित्सकों में से चिकित्सकों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिनकी सेवाओं का उपयोग कॉल के आधार पर किया जा सकेगा। यह सुविधा स्कूली घंटों के दौरान उपलब्ध रहेगी।

3. सेहत योजना हेतु निधियां

- शैक्षणिक संस्थानों को कॉल के आधार पर नियोजित चिकित्सकों को शुल्क के संवितरण तथा चुनिंदा संस्थानों में संविदा के आधार पर नियोजित एक उपचारिका/परिचारी को पारिश्रमिक के भुगतान हेतु निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी। संभार तंत्रीय सहायता अर्थात् दवाईयां, आवर्ती व्यय सहित अन्य चिकित्सा उपकरण भी एमएईएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

- व्यय को निम्नलिखित ढंग से वित्त पोषित प्रदान किया जाएगा :–

क्रम. सं.	चिकित्सक/स्टॉफ	कॉल के घंटे	गणना	कुल राशि
1.	चिकित्सक (एमबीबीएस)	माह में 4 घंटे × 8 दिन = 32 घंटे	32 × 500 × 12 = 1,92,000	1,92,000 रु.
2.	एक उपचारिका/ *परिचारी	संविदा के आधार पर 20,000 रु. प्रति माह	12 × 20,000 = 2,40,000	2,40,000 रु.
3.	निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर .	एल.एस. (यूएसजी/छाती के एक्सरे/टी.सी./डी.सी./एचबी/शुगर/कल्चर इत्यादि सहित)		3,00,000 रु.***
			कुल	7,32,000

* नियोजित किए गए परिचारी का पारिश्रमिक संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार निश्चित किया जा सकता है।

** न्यूनतम 300 छात्रों के अध्यधीन।

अन्य व्यय

क्रम. सं.	विवरण	@	कुल राशि
1.	200 छात्रों हेतु पैक्ड दवाई	वार्षिक तौर पर 1000/– रु. प्रति छात्र	2,00,000/– रु.
2.	मूलभूत चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर यथा नेब्यूलाइजर, स्टैथो स्कोप, हैंगर, बिस्तर, स्टेचर, व्हील चेयर, मेज, कुर्सियां, पंखे आदि	एकबारगी	1,00,000/– रु.
3.	विविध		50,000/– रु.
		कुल	3,50,000/– रु.

- जहां उचित अवसंरचना उपलब्ध न हो अथवा छात्रों की संख्या 300 से कम हो वहां सचल औषधालय भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

- उपर्युक्त राशि का आकलन स्कूल में भर्ती किए गए 300 छात्रों के आधार पर किया गया है। अतः, यह आंकड़ा स्कूल में छात्रों की संख्या के अनुसार अलग–अलग हो सकता है।

4. चिकित्सकों को पैनलबद्ध करना और उपचारिकाओं/परिचरों की भर्ती

- संस्थान द्वारा इलाके में उपलब्ध चिकित्सकों, उपचारिकाओं से चिकित्सकों को पैनल में शामिल किया जाएगा और उपचारिकाओं/परिचरों की भर्ती की जाएगी। संस्थान एक से अधिक चिकित्सक को पैनल में शामिल कर सकता है और उनके दौरे की तारीखें संस्थान की सुविधानुसार तथा छात्रों की जरूरत को देखते हुए निश्चित की जा सकती हैं। किंतु किसी विशिष्ट संस्थान में उनके आगमन के दिनों की संख्या किसी भी स्थिति में 8 दिन/माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

5. शैक्षणिक संस्थानों का चयन

- चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता दिए जाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का चयन वास्तविक फील्ड मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। एमएईएफ द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों की सूची हमारी वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है।

जांच समिति की अध्यक्षता सचिव, एमएईएफ द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगेः–

1. एमएईएफ के संयुक्त सचिव प्रभारी

2. सचिव, एमएईएफ

3. उप सचिव/एमएईएफ के निदेशक प्रभारी

4. कोषाध्यक्ष, एमएईएफ

सभी मामलों में, जांच समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकरण होगा।

जांच समिति के अनुमोदन के उपरांत चयनित संस्थानों से चिकित्सक को पैनल में शामिल करने तथा उपचारिका/परिचर की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जाएगा। तत्पश्चात् वे एमएईएफ को अपना वहन–संभाव्य अनुमानित व्यय प्रस्तुत करेंगे। एमएईएफ संस्थानों के दावों का सत्यापन करेगा और समुचित सत्यापन के उपरांत स्वीकार्य राशि के संवितरण की सिफारिश करेगा। एमएईएफ दो किश्तों में रकम जारी करेगा अर्थात् 50ः स्वीकार्य व्यय वहन करने हेतु अग्रिम में तथा बकाया 50ः उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर व्यय वहन करने के उपरांत। एमएईएफ, संबंधित संस्थान को ईसीएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियों का अंतरण करेगा।

6. अस्पतालों में गंभीर रोगों के आगे के उपचार के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता की योजना

- अपवाद स्वरूप और पात्र मामलों में छात्रों को अस्पतालों में गंभीर रोगों के आगे के उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। यह योजना अधिसूचित अल्पसंख्यकों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000/– लाख रु0 प्रतिवर्श से कम है, से संबंध रखने वाले और गुर्दे, हृदय, जिगर, कैंसर तथा मस्तिशक कें गंभीर रोगों अथवा घुटनों की शल्य चिकित्सा और रीढ़ संबंधी शल्य

सत्यमेव जयते

चिकित्सा सहित जीवन को जोखिम में डालने वाले अन्य रोगों से पीड़ित छात्रों को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आशयित है तथा इसे सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

- छात्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत, अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्शिक पारिवारिक आय 1,00,000/– लाख रु0 प्रतिवर्श से अधिक नहीं होनी चाहिए। गंभीर रोगों से पीड़ित, जिनमें शल्य चिकित्सा की जरूरत है जैसा कि गुर्दे, हृदय, जिगर, कैंसर तथा मस्तिशक अथवा घुटनों की शल्य चिकित्सा और रीढ़ संबंधी शल्य चिकित्सा इत्यादि और जीवन जोखिम में डालने वाले अन्य कोई रोग।

- छात्र संस्थान के परिचारी चिकित्सक/संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित अनुलग्नक–ाा पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र में चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन करेगा। आवेदन आय प्रमाण–पत्र, पहचान प्रमाण–पत्र जैसा कि राशन कार्ड/आधार कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, नियोक्ता द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों इत्यादि और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित उपचार की अनुमानित लागत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- आवेदन संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा उस संस्थान के अध्यक्ष द्वारा संस्तुत और अग्रेशित किया जाना चाहिए, जहां छात्र पढ़ रहा है। संबंधित चिकित्सक को यह घोषणा पत्र देना अपेक्षित है कि वह रोगी का उपचार कर रहा/रही है और छात्र आवेदन में उल्लिखित रोग से पीड़ित है। विधिवत भरा हुआ प्रपत्र सचिव, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को शल्य चिकित्सा की वास्तविक तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व भेज दिया जाना चाहिए।

- यह योजना सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। प्राधिकृत अस्पतालों की सूची अनुलग्नक–III पर दी गई है। निर्देशक रोगों की सूची अनुलग्नक–IV पर दी गई है।

- शल्य चिकित्सा सहित चिकित्सकीय उपचार की अनुमानित लागत आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में सचिव, एमएईएफ को प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसमें चिकित्सकीय उपचार/शल्य चिकित्सा हेतु

निश्चित की गई वास्तविक तारीख दर्शायी गई हो। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की अधिकतम राशि प्रति व्यक्ति के लिए 2.00 लाख रु0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चिकित्सकीय सहायता के अंतर्गत दावे पर समय–समय पर संशोधित सीजीएचएस दरों के अनुसार विचार किया जाएगा।

- जांच समिति प्राप्त आवेदन की प्रमाणिकता की जांच करेगी और इसे संसाधित करेगी। तत्पश्चात् एमएईएफ के अध्यक्ष को अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेगी।

- मंजूरीदाता प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत संबंधित अस्पताल जहां रोगी का उपचार चल रहा हो, को इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा कि 2.00 लाख रु0 की सीमा तक के व्यय का एमएईएफ द्वारा भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि अपेक्षित हुआ, उपचार की अनुमानित लागत के 90% की अग्रिम राशि 1.00 लाख रु0 की अधिकतम सीमा तक चिकित्सकीय उपचार/शल्य चिकित्सा के शुरू होने से पूर्व ईसीएस के माध्यम से संबंधित अस्पताल को सीधे निर्मुक्त की जाएगी। बकाया राशि सीजीएचएस दर सूची के अनुसार उक्त अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रमाण–पत्र के आधार पर शल्य चिकित्सा हो जाने के उपरांत सीधे अस्पताल को अथवा आवेदक को, जैसी भी स्थिति हो, निर्मुक्त की जाएगी। किसी भी स्थिति में भुगतान की राशियां 2.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होंगी। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमानित लागत प्रमाण–पत्र में शल्य क्रिया हेतु निश्चित की गई तारीख दर्शायी गई हो।

7. अस्पतालों में गंभीर रोगों/आगे के उपचार के लिए छात्रों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र (जांच–सूची) संलग्न किए जाने चाहिएः–

1. संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा संस्थान के अध्यक्ष, जहां छात्र पढ़ रहा है, द्वारा रोगी के चिकित्सकीय उपचार एवं शल्य चिकित्सा हेतु विधिवत हस्ताक्षरित मूल लागत अनुमान प्रमाण–पत्र। चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उनके अस्पताल में उपचार ले रहे रोगी का फोटो संलगन किया हुआ और प्रमाणित है।

2. छात्र, जिसके लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया गया है, के परिवार का मूल आय प्रमाण–पत्र। आय प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। बीपीएल कार्ड वाले परिवारों के मामले में आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

3. पहचान प्रमाण–पत्र जैसे कि स्कूल का पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

4. आवेदन के साथ संलग्न लागत अनुमान पत्र में शल्य क्रिया हेतु निश्चित तारीख दर्शायी जानी चाहिए।

5. प्रतिष्ठान एवं अन्य स्रोतों से चिकित्सकीय सहायता उपचार की कुल अनुमानित लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

6. एमएईएफ से निधियां प्राप्त होने के पश्चात, संबंधित अस्पताल यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उपचार हेतु निधियां प्राप्त एवं प्रयुक्त कर ली गई हैं।

अनुलग्नक–I

मौलाना आज़ाद सेहत योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन–प्रपत्र

फोटो

1. छात्र का नाम ....
2. लिंग ....
3. जन्म तिथि ....
4. पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम ....
5. अल्पसंख्यक समुदाय ....
6. आवास का स्थायी पता ....
7. संस्थान का नाम जहां छात्र पढ़ रहा है ....
8. मोबाइल / दूरभाष नं0 ....
9. यूआईडी/आधार नं0 ....
10. रोग की प्रकृति ....
11. शल्यचिकित्सा की तारीख ....
12. अस्पताल का नाम जहां उपचार कराया गया है तथा क्या यह योजना के अंतर्गत कवर किया है ....
....
13. अपेक्षित चिकित्सा सहायता (उक्त अस्पताल से अनुमानित लागत प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न करें) ....
....
14. परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय (प्रमाण / प्रमाण–पत्र संलग्न करें) ....
....
15. क्या आवेदक ने ऐसी सहायता अन्य किसी स्त्रोत से ली है, यदि हाँ ब्यौरा दें ....
....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

संस्थान के प्रमुख का
हस्ताक्षर एवं मोहर

चिकित्सक/शल्यचिकित्सा की सिफारिश
करने वाले चिकित्सक/अस्पताल
के चिकित्सा अधीक्षक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–II

प्राधिकृत अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों की सूची

योजना निम्नलिखित अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगीः–

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/पटना/गुवाहाटी आदि।
2. संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, बिहार।
4. जबलपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
5. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम।
6. बिरला हार्ट फाउंडेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
7. कलिंगा हॉस्पिटल लिमिटेड, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिषा।
8. टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीटयूट, मुंबई, महाराष्ट्र।
9. निज़ाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
10. दि वॉलेंटरी हेल्थ सर्विसेज़, चेन्नई।
11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित सभी सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल।
12. राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पताल।
13. राज्य सरकार के सभी अस्पताल।

14. जिला मुख्यालयों/प्रमुख नगरों के सभी सरकारी अस्पताल जहां गुर्दे, हृदय, यकृत के कैंसर एवं मस्तिष्क अथवा घुटने की शल्य चिकित्सा तथा रीढ़ की शल्य चिकित्सा सहित जीवन को जोखिम में डालने वाले अन्य रोगों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

15. पीयरलैस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कोलकाता।

16. रूबी जनरल हॉस्पिटल, कोलकाता।

17. होली फैमिली हॉस्पिटल, नई दिल्ली।

18. एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीटयूट, नई दिल्ली।

19. सीएस (एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल।

निर्देशक रोगों की सूची

1. ईएनटी, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, यकृत, एवं गुर्दे की बीमारियां।
2. सभी प्रकार के चर्म रोग।
3. शरीर के किसी भाग में सभी प्रकार के कैंसर।
4. तंत्रिका रोग।
5. सभी प्रकार के बुखार/फ्लू।
6. हेपेटाइटिस ए/बी/सी/डी/ई, एचआईवी आदि जैसे प्रतिरक्षण से संबंधित रोग।
7. पोलियो/हैजा।
8. किसी भी प्रकार का अस्थि रोग अथवा अस्थि विरूपण।
9. चोट/अंग विच्छेदन आदि से जुड़ी समस्याएं।
10. किसी प्रकार के नेत्र रोग।
11. आमाशय एवं आंत से संबंधित सभी रोग।
12. रक्त संबंधी रोग।
13. प्रोस्ट्रेट एवं मूत्र मार्ग।
14. स्त्री रोग विज्ञान एवं पुरूष जननेंद्रिय से संबंधित रोग।
15. सभी अन्य प्रतिरक्षण।
16. अग्न्याशय एवं पित्ताशय के संक्रमण।
17. खांसी और सर्दी–जुकाम की समस्याएं।
18. भोजन नली एवं श्वास नली के संक्रमण आदि।
19. पैनल में शामिल काय चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कोई अन्य रोग।
20. पैनल में शामिल संस्थान द्वारा प्रमाणित कोई अन्य रोग।

मंत्रालय और उसके अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों के पते

क्र.सं.	विवरण	पता
1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	11वीं मंजिल,पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर,लोदी रोड, नई दिल्ली, पिन –110003, भारत हेल्पलाइन 011–1800–11–2001 (सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:00 से सांय 6:00 बजे के बीच) वेबसाइटः www.minorityaffairs.gov.in
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	कोर–I, पहली मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, पिन–110092, भारत दूरभाषः सं.011–22441442–45 फैक्स सं.011–22441637 वेबसाइटः www.nmdfc.org
3	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ)	सामाजिक न्याय सेवा केंद्र, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, पिन–110055, भारत दूरभाषः सं.011–23583788–89 फैक्स सं. 011–23561945 वेबसाइटः www.maef.nic.in
4	केंद्रीय वक्फ़ परिषद	14/173, जामनगर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली, पिन–110011, भारत दूरभाषः सं. 011–23384465 फैक्स सं. 011–23070881 वेबसाइटः www.centralwakfcouncil.org
5	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	लोक नायक भवन,खान मार्किट, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली, पिन–110003, भारत वेबसाइटः www.ncm..nic.in
6.	राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको)	पंजीकृत एवं कॉरपोरेट ऑफिस : 1 तल, कोर 1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092 पत्राचार कार्यालयः 1 तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफैक्स : 011–24360585 वेबसाइट : www.nawadco.co.in
7.	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त	1 तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाष : 011–24364289 एक्सटेंशन : 257

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

11वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
हैल्पलाईन (टोल फ्री): 1800-11-2001
वेबसाईट : www.minorityaffairs.gov.in

संशोधित सितम्बर 2014